बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

(1949 का अधिनियम संख्यांक 10)[1]

[10 मार्च, 1949]

बैंककारी [2]* संबंधी विधि को समेकित**
और संशोधित करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि बैंककारी [2]*** से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित किया जाए ;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी [3][विनियमन] अधिनियम, 1949 है ।

[4][(2) इसका विस्तार [5]*** संपूर्ण भारत पर है ।]

(3) यह उस तारीख[6] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना—इस अधिनियम के उपबंध [7][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)], तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि, इसमें इसके पश्चात् स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, उसके अल्पीकारक ।

[8][**3. अधिनियम का कतिपय दशाओं में सहकारी सोसाइटियों को लागू होना**—इस अधिनियम की कोई बात—

(क) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी को लागू नहीं होगी ;

(ख) सहकारी भूमि बंधक बैंक को लागू नहीं होगी ; तथा

(ग) किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को भाग 5 में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक ही लागू होगी अन्यथा नहीं ।]

4. अधिनियम का प्रवर्तन निलंबित करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो साठ दिन से अधिक नहीं होगी, इस अधिनियम के सब उपबंधों का या इनमें से किसी का प्रवर्तन या तो साधारणतः या किसी विनिर्दिष्ट बैंककारी कंपनी के संबंध में उस दशा में निलंबित कर सकेगी जब रिजर्व बैंक द्वारा उस निमित्त किए गए अभ्यावेदन पर उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है ।

(2) विशेष आपात की दशा में रिजर्व बैंक का गवर्नर अथवा उसकी अनुपस्थिति में रिजर्व बैंक का कोई डिप्टी गवर्नर, जो इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का लिखित आदेश द्वारा प्रयोग कर सकेगा किंतु इस प्रकार कि निलम्बन की अवधि तीस दिन से अधिक की न हो तथा जहां, यथास्थिति, गवर्नर या डिप्टी गवर्नर ऐसा करता है वहां वह उस बात की रिपोर्ट तत्काल केन्द्रीय सरकार को करेगा तथा वह आदेश, यथाशक्य शीघ्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदिष्ट किसी निलंबन की अवधि को किसी एक समय में साठ दिन से अनधिक उतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बढ़ा सकेगी किंतु इस प्रकार कि कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न हो ।

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार दादरा और नगर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) और गोवा, दमन और दीव पर 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा किया गया है ।

इस अधिनियम की कोई बात (धारा 34क को छोड़कर) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को लागू नहीं होगी, 1964 का अधिनियम सं० 18 की धारा 34 देखिए ।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 23 की धारा 10 द्वारा (1-3-1966 से) "कंपनियों" शब्द का लोप किया गया ।

[3] 1965 के अधिनियम सं० 23 की धारा 11 द्वारा (1-3-1966 से) "कंपनियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[6] 16 मार्च, 1949, भारत का राजपत्र, 1949 (अंग्रेजी) तारीख 10 मार्च, 1949, भाग 1, पृष्ठ 326 में प्रकाशित अधिसूचना सं०एफ० 4(46)-एफ आई/49 देखिए ।

[7] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारत कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1965 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा (1-3-1966 से) पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) उपधारा (3) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना की प्रति, निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, [1][संसद्] के पटल पर रखी जाएगी।

5. निर्वचन—[2][इस अधिनियम में], जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

[3][(क) "अनुमोदित प्रतिभूति" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ;]

(ख) "बैंककारी" से उधार देने या विनिधान के प्रयोजन से जनता से धन के निक्षेप स्वीकार करना अभिप्रेत है जो कि मांग पर या अन्यथा प्रतिसंदेय हों तथा चेक, डाफ्ट या आर्डर द्वारा या अन्यथा निकाले जा सकें ;

(ग) "बैंककारी कंपनी" से कोई ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो [4][भारत में] बैंककारी कारबार करती है।

स्पष्टीकरण—जो कोई कंपनी माल के विनिर्माण में लगी हुई है या कोई व्यापार करती है तथा ऐसे विनिर्माता या व्यापारी के रूप में अपने कारबार का वित्तपोषण करने के प्रयोजन से ही जनता से धन के निक्षेप स्वीकार करती है, उसकी बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अर्थ में बैंककारी कारबार करती है ;

[5][(गक) "बैंककारी नीति" से वह नीति अभिप्रेत है जो निक्षेपकर्ताओं के हितों, निक्षेपों के परिमाण तथा बैंक के अन्य संपत्ति स्रोतों का तथा इन निक्षेपों और संपत्ति स्रोतों के साम्यापूर्ण आबंटन और दक्षतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता का उचित ध्यान रखते हुए बैंककारी प्रणाली के हित में अथवा मौद्रिक स्थिरता या सुदृढ़ आर्थिक विकास के हित में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाती है ;]

[6][(गग) बैंककारी कंपनी के संबंध में "शाखा" या "शाखा कार्यालय" से कोई भी शाखा या शाखा कार्यालय अभिप्रेत है, भले ही वह संदाय कार्यालय या उप-संदाय कार्यालय या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जिसमें निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं, चेक भुनाए जाते हैं, या धनराशियां उधार दी जाती हैं तथा धारा 35 के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत कारबार का कोई ऐसा स्थान भी है जहां धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार का कारबार किया जाता है ;]

[7][(घ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ में विदेशी कंपनी भी है ;]

[8][(घक) "तत्स्थानी नया बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ;]

[9]* * * *

(च) "मांग दायित्व" से ऐसे दायित्व अभिप्रेत हैं जिनकी पूर्ति मांग पर की जानी है तथा "कालिक दायित्व" से ऐसे दायित्व अभिप्रेत हैं जो मांग दायित्व नहीं हैं ;

[10][(चच) "निक्षेप बीमा निगम" से निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम अभिप्रेत है ;]

[11]* * * *

(चचख) "निआ बैंक" से भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक अभिप्रेत है ;]

[12][(चचग) "पुनर्निर्माण बैंक" से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अभिप्रेत है ;]

[13][(चचघ) "राष्ट्रीय आवास बैंक" से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है ;]

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "डोमिनियन विधान-मण्डल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा (1-2-1964 से) "(1) इस अधिनियम में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "किसी राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (1-2-1969 से) अन्तःस्थापित।
[6] 1959 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (1-10-1959 से) अन्तःस्थापित।
[7] 1959 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (1-10-1959 से) खण्ड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[8] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-2-1984 से) अन्तःस्थापित।
[9] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 2 द्वारा खंड (ङ) का लोप किया गया।
[10] 1961 के अधिनियम सं० 47 की धारा 51 और अनुसूची 2, भाग 2, द्वारा (1-1-1962 से) अन्तःस्थापित।
[11] 2003 के अधिनियम सं० 53 की धारा 12 और अनुसूची द्वारा (2-7-2004 से) लोप किया गया।
[12] 1984 के अधिनियम सं० 62 की धारा 71 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-3-1985 से) अन्तःस्थापित।
[13] 1987 के अधिनियम सं० 53 की धारा 56 और दूसरी अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अन्तःस्थापित।

(छ) "स्वर्ण" के अंतर्गत ऐसा स्वर्ण भी है, जो सिक्के के रूप में हो चाहे वह वैद्य निविदा हो या नहीं, अथवा जो बुलियन या सिल्ली के रूप में हो चाहे वह परिष्कृत हो या नहीं ;

[1][(छछ) "प्रबंध अभिकर्ता" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) सचिव और कोषपाल,

(ii) जहां प्रबंध अभिकर्ता कोई कंपनी है, वहां ऐसी कंपनी का कोई निदेशक तथा उसका कोई ऐसा सदस्य जिसका ऐसी कंपनी में पर्याप्त हित है,

(iii) जहां प्रबंध अभिकर्ता कोई फर्म है वहां ऐसी फर्म का कोई भागीदार ;]

[2][(ज) किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में "प्रबंध निदेशक" से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है जिसे बैंककारी कंपनी के साथ किए गए करार के अथवा बैंककारी कंपनी द्वारा अपने साधारण अधिवेशन में या उसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के आधार पर अथवा उसके संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों के आधार पर कंपनी के समस्त या सारतः समस्त कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है तथा प्रबंध निदेशक के पद पर होने वाला कोई निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, इसके अंतर्गत है :]

[3][परंतु प्रबंध निदेशक, निदेशक-बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ;]

[4][(जक) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है ;]

[5]* * * * * * *

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

[4][(ञक) "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ;]

[6]* * * *

[7][(ठ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ;]

[6]* * * *

(ढ) "प्रतिभूत उधार या अग्रिम धन" से कोई उधार या अग्रिम धन अभिप्रेत है जो ऐसी आस्तियों की प्रतिभूति पर दिया गया है जिनका बाजार मूल्य किसी भी समय ऐसे उधार या अग्रिम धन की रकम से कम नहीं है ; तथा "अप्रतिभूत उधार या अग्रिम धन" से वह उधार या अग्रिम धन अभिप्रेत है जो ऐसे प्रतिभूत नहीं है ;

[8][(ढi) "लघु उद्योग बैंक" से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है ;]

[9][(ढक) "लघु उद्योग समुत्थान" से कोई ऐसा औद्योगिक समुत्थान अभिप्रेत है जिसके संयंत्र और मशीनरी में किया हुआ विनिधान साढ़े सात लाख रुपए से या बीस लाख रुपए से अनधिक इतनी उच्चतर रकम से, अधिक नहीं है जितनी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

[7][(ढख) "प्रायोजक बैंक" का वही अर्थ है जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) में है;

(ढग) "भारतीय स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है ;]

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (1-2-1969 से) अन्तःस्थापित।
[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा (1-2-1959 से) खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (1-2-1969 से) जोड़ा गया।
[4] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अन्तःस्थापित।
[5] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा (1-10-1959 से) खंड (झ) का लोप किया गया।
[6] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा (1-10-1959 से) खंड (ट) और (ड) का लोप किया गया।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-2-1984 से) अन्तःस्थापित।
[8] 1989 के अधिनियम सं० 39 की धारा 53 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-3-1990 से) अन्तःस्थापित।
[9] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (1-2-1969 से) अंतःस्थापित।

[1][(ढघ)] "समनुषंगी बैंक" का वही अर्थ है जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में है ;]

[2][(ढङ)] "पर्याप्त हित" से—

(i) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यष्टि या उसके पति या पत्नी या उसकी अवयस्क संतान द्वारा, चाहे अलग-अलग या मिलाकर उस उनस शेयरों में जिन पर समादत्त रकम पांच लाख रुपए से या कंपनी की समादत्त पूंजी के दस प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, उससे अधिक है, फायदाप्रद हित का धारण किया जाना अभिप्रेत है ;

(ii) किसी फर्म के संबंध में, किसी व्यष्टि या उसके पति या पत्नी या उसकी अवयस्क संतान द्वारा, चाहे अलग-अलग या मिलाकर, उस फर्म के सब भागीदारों द्वारा लगाई गई कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक के बराबर धारण किया गया फायदाप्रद हित अभिप्रेत है ;]

[3][(ण) इसमें प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किए गए सब अन्य शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।]

[4]* * * *

[3][**5क. इस अधिनियम का ज्ञापन, अनुच्छेदों आदि पर अध्यारोही होना**—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर :—

(क) इस अधिनियम के उपबंध, किसी बैंककारी कंपनी के ज्ञापन या अनुच्छेदों में अथवा उसके द्वारा निष्पादित किसी करार में अथवा बैंककारी कंपनी द्वारा अपने साधारण अधिवेशन में अथवा उसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प में, चाहे उसका, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण, निष्पादन या पारण बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 33) के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो या पश्चात्, उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ; और

(ख) पूर्वोक्त ज्ञापन, अनुच्छेदों, करार या संकल्प का कोई भी उपबंध, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है, यथास्थिति, शून्य हो जाएगा या होगा ।]

भाग 2

बैंककारी कंपनियों का कारबार

6. कारबार जो बैंककारी कंपनियां कर सकती हैं—(1) कोई भी बैंककारी कंपनी, बैंककारी कारबार के अतिरिक्त निम्न प्रकार के कारबारों में से कोई एक या अधिक कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) धन उधार लेना, इकट्ठा करना या उसका आदान करना; प्रतिभूति पर या उसके बिना धनराशि उधार या अग्रिम रूप में देना; विनिमयपत्र, हुण्डियां, वचनपत्र, कूपन, ड्राफ्ट, वहनपत्र, रेलवे रसीदें, अधिपत्र, डिबेंचर, प्रमाणपत्र, स्क्रिप और अन्य लिखत प्रतिभूतियां, चाहे वे अंतरणीय या परक्राम्य हों, न हों, लिखना, बनाना, स्वीकार करना, मितीकाटे पर देना, क्रय करना, विक्रय करना, संग्रहण करना और उनमें व्यौहार करना; प्रत्यय पत्र, यात्री चेक और गश्ती नोट देना, और निर्गमित करना; बुलियन और सिक्के क्रय करना, विक्रय करना और उनमें व्यौहार करना; विदेशी बैंक नोटों सहित विदेशी मुद्रा क्रय करना और विक्रय करना; स्टाकों, निधियों, शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाकों, बंधपत्रों, बाध्यता-पत्रों, प्रतिभूतियों और सब प्रकार के विनिधानों को अर्जित करना, धारण करना, कमीशन पर निर्गमित करना, उनके लिए हामीदारी करना और उनमें व्यौहार करना; बंधपत्र, स्क्रिप या अन्य किस्म की प्रतिभूतियां अपने व्यवहारियों के या अन्य व्यक्तियों के निमित्त क्रय करना और विक्रय करना; उधारों और अग्रिम धनों के बारे में बातचीत करना; सब किस्मों के बंधपत्रों, स्क्रिपों या मूल्यवान वस्तुओं को निक्षेप पर या निरापद अभिरक्षा के लिए या अन्यथा प्राप्त करना; सुरक्षित निक्षेप आगार उपलब्ध करना; धन और प्रतिभूतियां संग्रहण और पारेषित करना ;

(ख) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ; किसी भी प्रकार का अभिकरण कारबार करना जिसके अंतर्गत माल की निकासी और अग्रेषण करना, व्यौहारियों की ओर से रसीदें और उन्मोचनपत्र देना तथा अन्यथा अटर्नी के रूप में कार्य करना भी है, किंतु किसी कम्पनी के [5][प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल] का काम इससे अपवर्जित है ;

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (ढख) को खंड (ढघ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (ढग) को खंड (ढङ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया ।
[3] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।
[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[5] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा (1-10-1959 से) "प्रबन्ध अभिकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) पब्लिक और प्राइवेट उधारों के लिए संविदा करना तथा उनके बारे में बातचीत करना, और उन्हें निर्गमित करना ;

(घ) राज्य, नगरपालिक या अन्य उधारों का, या किसी कंपनी, निगम या संगम के शेयरों, स्टाक, डिबेंचरों या डिबेंचर स्टाक का पब्लिक या प्राइवेट निर्गमन करना, उनका बीमा करना, उन्हें प्रत्याभूत करना, उनके लिए हामीदारी करना, उनका प्रबंध करने में भाग लेना तथा उन्हें क्रियान्वित करना, तथा किसी ऐसे निर्गमन के प्रयोजन के लिए धन उधार देना ;

(ङ) हर प्रकार का प्रत्याभूति और क्षतिपूर्ति कारबार चलाना और उसका संव्यवहार करना ;

(च) ऐसी किसी संपत्ति का प्रबंध करना, विक्रय करना और उसे वसूल करना जो कंपनी के किन्हीं दावों की तुष्टि या आंशिक तुष्टि में उसके कब्जे में आए ;

(छ) ऐसी किसी संपत्ति का या ऐसी संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित का अर्जन करना, धारण करना और साधारणतः उसमें व्यौहार करना, जो किन्हीं उधारों या अग्रिम धनों के लिए प्रतिभूति के या प्रतिभूति के भाग के रूप में हो अथवा जो किसी ऐसी प्रतिभूति से संबंधित हों ;

(ज) न्यासों का भार ग्रहण करना और निष्पादन करना ;

(झ) निष्पादक या न्यासी के रूप में या अन्यथा संपदाओं के प्रशासन का भार ग्रहण करना ;

(ञ) कंपनी के कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों को या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों और संबंधितों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रकल्पित संगमों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों तथा सुविधाओं को स्थापित और समर्थित करना या उनकी स्थापना और समर्थन में सहायता करना ; पेंशन और भत्ते देना तथा बीमा लेखे संदाय करना; पूर्त या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए अथवा किसी प्रदर्शनी के लिए अथवा किसी सार्वजनिक, सामान्य या उपयोगी उद्देश्य के लिए चंदा देना या धनराशियां प्रत्याभूत करना ;

(ट) किसी भवन या संकर्म का अर्जन, निर्माण, आरक्षण और परिवर्तन, जो कंपनी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो ;

(ठ) कंपनी की पूरी संपत्ति और सब अधिकारों अथवा उसके या उनके किसी भाग का विक्रय, सुधार, प्रबंध, विकास, विनिमय, पट्टा, बंधक, व्ययन या उपयोग करना या अन्यथा उसमें व्यवहार करना ;

(ड) किसी व्यक्ति या कंपनी के पूरे कारबार या उसके भाग का अर्जन और भार ग्रहण करना जबकि ऐसा कारबार इस उपधारा में प्रगणित या वर्णित प्रकार का है ;

(ढ) ऐसी अन्य सब बातें करना जो कम्पनी के कारबार के संप्रवर्तन या अभिवर्धन की आनुषंगिक या साधक हैं ;

(ण) किसी अन्य प्रकार का ऐसा कारबार, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार का कारबार विनिर्दिष्ट करे जिसकों करना बैंककारी कंपनी के लिए विधिसम्मत है ।

(2) कोई भी बैंककारी कंपनी उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के कारबार से भिन्न प्रकार का कारबार नहीं करेगी ।

[1][**7. "बैंक", "बैंककार", "बैंककारी" या "बैंककारी कंपनी" शब्दों का प्रयोग**—(1) बैंककारी कंपनी से भिन्न कोई भी कंपनी अपने नाम के भाग के रूप में [2][या अपने कारबार के संबंध में] "बैंक", "बैंककार" या "बैंककारी" शब्दों में से किसी का प्रयोग न करेगी तथा कोई भी कंपनी इन शब्दों में से कम से कम किसी एक का प्रयोग अपने नाम के भाग के रूप में किए बिना भारत में बैंककारी कारबार नहीं करेगी ।

(2) कोई भी फर्म, व्यष्टि या व्यष्टियों का समूह किसी कारबार को करने के प्रयोजन के लिए अपने नाम के भाग के रूप में "बैंक", "बैंककारी" या "बैंककारी कंपनी" शब्दों में से किसी का प्रयोग नहीं करेगा ।

(3) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) किसी बैंककारी कंपनी की, धारा 19 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए बनाई गई कोई समनुषंगी कंपनी जिसके नाम से यह उपदर्शित होता है कि वह उस बैंककारी कंपनी की समनुषंगी है ;

(ख) बैंकों का कोई ऐसा संगम जो अपने पारस्परिक हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।]

8. व्यापार करने का प्रतिबंध—धारा 6 में या किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, कोई बैंककारी कंपनी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः माल के क्रय, विक्रय या विनिमय का कारबार, अपने को दी गई या अपने द्वारा धारित किसी प्रतिभूति को नकदी में परिवर्तित करने के संबंध में ही करेगी अन्यथा नहीं या कोई व्यापार नहीं करेगी अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए माल का क्रय, विक्रय या

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 7 द्वारा (1-2-1964 से) पूर्ववर्ती धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 14 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।

विनिमय, ऐसे विनिमय-पत्रों के जो संग्रहण या परक्रामण के लिए प्राप्त हुए हैं, अथवा अपने ऐसे कारबार के, जैसा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (झ) में निर्दिष्ट है, संबंध में ही करेगी अन्यथा नहीं ;

[1][परन्तु यह धारा ऐसे किसी कारबार को लागू नहीं होगी जो धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट किया गया है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "माल" से हर प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, जो अनुयोज्य दावों, स्टाक, शेयर, धन, बुलियन और सिक्कों तथा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सब लिखतों से भिन्न है ।

9. गैर-बैंककारी आस्तियों का व्ययन—धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी अपने ही प्रयोग के लिए अपेक्षित स्थावर संपत्ति से भिन्न कोई भी स्थावर संपत्ति, चाहे वह कैसे ही अर्जित की गई हो, उसके अर्जन से या इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इनमें से जो भी बाद में हो, उससे सात वर्ष से या ऐसी अवधि में की गई किसी वृद्धि से, जो इस धारा में उपबंधित है, अधिक किसी अवधि के लिए धारण न करेगी तथा ऐसी संपत्ति का व्ययन, यथास्थिति, ऐसी अवधि या बढ़ाई गई अवधि के अंदर कर दिया जाएगा :

परंतु बैंककारी कंपनी ऐसी संपत्ति का व्ययन सुगम करने के प्रयोजन के लिए उसमें व्यवहार या व्यापार, यथापूर्वोक्त सात वर्ष की अवधि के अंदर कर सकेगी :

परंतु यह और कि रिजर्व बैंक किसी विशिष्ट मामले में सात वर्ष की पूर्वोक्त अवधि को इतनी अवधि तक जो पांच वर्ष से अधिक न हो उस दशा में बढ़ा सकेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी वृद्धि बैंककारी कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हित में होगी ।

[2][**10. प्रबंध अभिकर्ताओं के नियोजन का प्रतिषेध तथा कुछ प्रकार के नियोजनों पर निर्बंधन**—(1) कोई भी बैंककारी कंपनी—

(क) कोई प्रबंध अभिकर्ता नियोजित नहीं करेगी या उसके द्वारा प्रबंधित नहीं होगी, अथवा

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगी या उसका नियोजन जारी नहीं रखेगी—

(i) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत है या किसी समय किया जा चुका है अथवा जिसने संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों से प्रशमन कर लिया है अथवा जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा सिद्धदोष है या सिद्धदोष ठहराया जा चुका है, अथवा

(ii) जिसका पारिश्रमिक या जिसके पारिश्रमिक का भाग कमीशन के रूप में है या कंपनी के लाभों में हिस्से के रूप में है :

[3][परंतु इस उपखंड की कोई बात बैंककारी कंपनी द्वारा निम्नलिखित के संदाय को लागू न होगी, अर्थात् :—

(क) औद्योगिक विवादों से संबंधित किसी विधि के अधीन हुए या किए गए किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में या ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के अनुसार अथवा बैंककारी कारबार में प्रचलित किसी सामान्य प्रथा के अनुसार कोई बोनस ;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी के कर्मचारिवृंद के नियमित सदस्य से भिन्न रूप में किसी संविदा के अधीन उस कंपनी द्वारा नियोजित (प्रत्याभूति दलाल सहित) किसी दलाल, रोकड़िया-संविदाकार, निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता, नीलामकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमीशन, अथवा]

(iii) जिसका पारिश्रमिक रिजर्व बैंक की राय में अत्यधिक है ; अथवा

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित नहीं होगी—

[4][(i) जो ऐसी किसी अन्य कंपनी का निदेशक है जो—

(क) न तो उस बैंककारी कंपनी की समनुषंगी है, और

(ख) न कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है :

परन्तु इस उपखंड का प्रतिषेध ऐसे किसी निदेशक के संबंध में तीन मास से अनधिक अस्थायी अवधि के लिए या नौ मास से अनधिक इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी रिजर्व बैंक अनुज्ञात करे, लागू नहीं होगा, अथवा]

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 15 द्वारा (15-2-1984 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 2 द्वारा (14-1-1957 से) धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा (1-10-1959 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा (1-10-1959 से) उपखंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) जो किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में लगा हुआ है ; अथवा

(iii) [1][जिसकी उस कंपनी का प्रबंध करने वाले व्यक्ति के रूप में पदावधि] किसी एक समय पर पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए है ;

[2][परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की पदावधि प्रत्येक अवसर पर पांच वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधियों के लिए इस शर्त के अधीन नवीकृत की जा सकेगी या बढ़ाई जा सकेगी कि ऐसा नवीकरण या वृद्धि उस तारीख से, जिसको वह प्रवर्तन में आनी है, दो वर्ष से अधिक पहले मंजूर नहीं की जाएगी :]

परंतु यह भी कि जहां ऐसे व्यक्ति की पदावधि अनिश्चित काल के लिए है वहां, जब तक कि वह पहले ही अन्यथा समाप्त न हो जाए, वह उसकी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष के अवसान पर अथवा बैंककारी विधि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1963 (1963 का 55) की धारा 8 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के अवसान पर, इनमें से जो भी बाद में हो, उस पर तुरंत समाप्त हो जाएगी :]

परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी बैंककारी कंपनी के प्रबंध निदेशक से भिन्न किसी निदेशक को केवल इसी कारण लागू न होगी कि वह ऐसा निदेशक है ।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के उपखंड (iii) के प्रयोजन के लिए, "पारिश्रमिक" शब्द के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो नियोजित किया गया है या जिसका नियोजन जारी रखा गया है, वेतन, फीस और परिलब्धियां भी होंगी, किंतु कोई ऐसे भत्ते या अन्य रकमें इसके अंतर्गत नहीं होंगी, जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा वस्तुतः उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजन से दी जाएं ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन अपनी राय कायम करने में रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रख सकेगा, अर्थात् :—

(i) उस बैंककारी कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसका इतिहास, उसका आकार और कार्यक्षेत्र, उसके साधन, उसके कारबार का परिमाण तथा उसकी उपार्जन सामर्थ्य की प्रवृत्ति ;

(ii) उसकी शाखाओं या कार्यालयों की संख्या ;

(iii) संबंधित व्यक्ति की अर्हताएं, आयु और अनुभव ;

(iv) उस बैंककारी कंपनी द्वारा नियोजित अन्य व्यक्तियों को या वैसी ही स्थिति वाली किसी दूसरी बैंककारी कंपनी में उसी प्रकार के पद पर होने वाले किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ; और

(v) उसके निक्षेपकर्ताओं के हित ।

[3][[4]* * * *

(6) इस धारा के अधीन किया गया या दिया गया रिजर्व बैंक का कोई विनिश्चय या आदेश, सब प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा ।]]

[5][**10क. निदेशक बोर्ड में वृत्तिक या अन्य अनुभव वाले व्यक्तियों का होना**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक बैंककारी कंपनी—

(क) जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 3 के प्रारंभ पर विद्यमान है, अथवा

(ख) जो तत्पश्चात् अस्तित्व में आती है,

इस धारा की अपेक्षताओं की पूर्ति करेगी :

परंतु इस उपधारा की कोई बात खंड (क) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी को, ऐसे प्रारंभ से तीन मास की अवधि तक के लिए लागू न होगी ।

(2) किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति होंगे—

(क) जिन्हें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् :—

(i) लेखा फर्म,

(ii) कृषि और ग्राम्य अर्थव्यवस्था,

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा (1-2-1964 से) प्रथम परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 6 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा (1-2-1964 से) उपधारा (3), (4) और (5) का लोप किया गया ।
[5] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 द्वारा (1-2-1969 से) अंतःस्थापित ।

(iii) बैंककारी,

(iv) सहकारिता,

(v) अर्थशास्त्र,

(vi) वित्त,

(vii) विधि,

(viii) लघु उद्योग,

(ix) कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रिजर्व बैंक की राय में बैंककारी कंपनी के लिए उपयोगी होगा :

परंतु निदेशकों की पूर्वोक्त संख्या में से कम से कम दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कृषि और ग्राम्य अर्थव्यवस्था, सहकारिता या लघु उद्योग का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो ; तथा

(ख) (1) जिनका चाहे कर्मचारी, प्रबंधक या प्रबंध अभिकर्ता के रूप में—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी से भिन्न किसी ऐसी कंपनी में, या

(ii) किसी ऐसी फर्म में,

पर्याप्त हित नहीं होगा या उससे संबंध नहीं होगा जो कोई व्यापार, वाणिज्य या उद्योग चलाती है तथा जो दोनों में से किसी भी मामले में लघु उद्योग समुत्थान नहीं है, अथवा

(2) जो ऐसे किसी व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक समुत्थान के, जो लघु उद्योग समुत्थान नहीं है, स्वत्वधारी नहीं होंगे ।

[1][(2क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(i) किसी बैंककारी कंपनी के किसी अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न कोई निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लगातार आठ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ;

(ii) किसी बैंककारी कंपनी का ऐसा कोई अध्यक्ष या अन्य पूर्णकालिक निदेशक, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पद से हटा दिया गया है, उस बैंककारी कंपनी का निदेशक भी नहीं रहेगा और, यथास्थिति, अपने अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक न रहने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए, चाहे निर्वाचन द्वारा या सहयोजन द्वारा या अन्यथा, ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र भी नहीं होगा ।]

(3) यदि किसी बैंककारी कंपनी की बाबत अपेक्षाएं, जो उपधारा (2) में अधिकथित हैं, किसी समय पूरी न होती हों तो ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक बोर्ड ऐसे बार्ड को पुनर्गठित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती है ।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक हो कि किसी निदेशक या निदेशकों को निवृत्त कर दिया जाए, तो बोर्ड ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लाट डाल कर यह निश्चित करेगा कि कौन सा निदेशक या कौन-कौन से निदेशक पद पर नहीं रहेगा अथवा नहीं रहेंगे, तथा ऐसा निश्चय बोर्ड के हर निदेशक पर आबद्धकर होगा ।

(5) जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड का गठन ऐसा है कि उससे उपधारा (2) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, वहां वह ऐसी बैंककारी कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, उस बैंककारी कंपनी को यह निदेश दे सकेगा कि वह अपने निदेशक बोर्ड को ऐसे पुनर्गठित करे जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तथा यदि उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो मास के अंदर वह बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करती तो वह बैंक ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लाट डालकर यह अवधारित करने के पश्चात् कि किस व्यक्ति को निदेशक बोर्ड की सदस्यता से हटा दिया जाना चाहिए, उसे उस बैंककारी कंपनी के निदेशक के पद से हटा सकेगा, तथा इस दृष्टि से कि उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन हो जाए, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान में किसी उपयुक्त व्यक्ति को निदेशक बोर्ड का सदस्य नियुक्त कर सकेगा और तब, ऐसे नियुक्त किया गया व्यक्ति बैंककारी कंपनी द्वारा अपने निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

(6) इस धारा के अधीन उचित रूप से की गई प्रत्येक नियुक्ति, हटाया जाना या पुनर्गठन तथा उचित रूप से किया गया प्रत्येक निर्वाचन अंतिम होगा तथा उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी ।

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 16 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।

(7) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या नियुक्त किया गया प्रत्येक निदेशक, उस तारीख तक पद धारण करेगा जिस तारीख तक उसका पूर्ववर्ती पद धारण करता यदि, यथास्थिति, वह निर्वाचन न किया गया होता या वह नियुक्ति न की गई होती ।

(8) किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अथवा इस आधार पर कि तत्पश्चात् यह पता चलता है कि उसके सदस्यों में से कोई इस धारा की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, अविधिमान्य न होगी ।

10ख. बैंककारी कंपनी का प्रबंध पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा किया जाना—[1][(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अथवा किसी संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक बैंककारी कंपनी के, जो बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारंभ पर विद्यमान है या जो तत्पश्चात् अस्थित्व में आती है, निदेशकों में से एक निदेशक जो पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष होगा और जहां वह पूर्णकालिक आधार पर निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहां उसे बैंककारी कंपनी के संपूर्ण कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाएगा :

परंतु अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग निदेशक बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए करेगा ।

(1क) जहां अध्यक्ष अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है वहां—

(i) ऐसी नियुक्ति रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जा सकेगी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो रिजर्व बैंक ऐसा अनुमोदन करते समय विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) ऐसी बैंककारी कंपनी के संपूर्ण कार्यकलापों का प्रबंध, किसी ऐसे प्रबंध निदेशक को सौंपा जाएगा जो अपनी शक्तियों का प्रयोग, निदेशक बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए करेगा ।]

(2) बैंककारी कंपनी के [2][निदेशक बोर्ड का प्रत्येक अध्यक्ष जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक प्रबंध निदेशक ऐसी कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में होगा] ऐसी कंपनी का पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और वह अपना पद पांच वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए धारण करेगा, जितनी निदेशक बोर्ड नियत करे, किंतु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु इस उपधारा की किसी बात का अर्थ यह न लगाया जाएगा कि वह अध्यक्ष को बैंककारी कंपनी की समनुषंगी कंपनी का निदेशक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी का निदेशक होने से प्रतिषिद्ध करती है ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 3 के प्रारंभ पर किसी बैंककारी कंपनी के प्रबन्ध निदेशक का पद धारण कर रहा है—

(क) उस दशा में जब उस कंपनी के निदेशक बोर्ड का कोई अध्यक्ष है ऐसे प्रारंभ पर अपना पद रिक्त कर देगा, अथवा

(ख) उस दशा में जब उस कंपनी के निदेशक बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं है, उस तारीख को जिसको निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष इस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित होता है या नियुक्त किया जाता है, अपना पद रिक्त कर देगा ।

(4) [2]["बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड का प्रत्येक अध्यक्ष जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है और बैंककारी कंपनी का प्रत्येक प्रबंध निदेशक जो उपधारा (1क) के अधीन नियुक्त किया जाता है"] ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निम्नलिखित का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् :—

(क) बैंककारी कंपनी का अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी समनुषंगी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का कामकाज, अथवा

(ख) वित्तीय, आर्थिक या कारबार प्रशासन :

परंतु कोई व्यक्ति [3][अध्यक्ष जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबन्ध निदेशक] होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह,—

(क) उपधारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न किसी कंपनी का निदेशक है ; अथवा

(ख) किसी ऐसी फर्म का भागीदार है जो कोई व्यापार, कारबार या उद्योग चलाती है ; अथवा

(ग) किसी अन्य कंपनी या फर्म में पर्याप्त हित रखता है ; अथवा

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) किसी व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक समुत्थान का निदेशक, प्रबंधक प्रबंध अभिकर्ता, भागीदार या स्वत्वधारी है ; अथवा

(ङ) कोई अन्य कारबार या व्यवसाय करता है ।

(5) [1][पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक] कंपनी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । [2]***

[3][(5क) [1][पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त निदेशक बोर्ड का ऐसा कोई अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक] जिसकी पदावधि उसके पदत्याग के कारण या उसकी पदावधि के समाप्त हो जाने के कारण, समाप्त हो गई है, रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता ।]

(6) धारा 36कक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि जहां रिजर्व बैंक की राय है कि [1][ऐसा कोई व्यक्ति, जो बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड का ऐसा अध्यक्ष है या निर्वाचित हुआ है, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है या प्रबंध निदेशक] ऐसा पद धारण करने के लिए ठीक और उचित व्यक्ति नहीं है वहां वह ऐसे व्यक्ति को और उस बैंककारी कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा उस बैंककारी कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह [1][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक] के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित या नियुक्त करे तथा यदि ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के अन्दर वह बैंककारी कंपनी किसी उपयुक्त व्यक्ति [1][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक] के रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं करती तो रिजर्व बैंक प्रथम वर्णित व्यक्ति को बैंककारी कंपनी के [1][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है या प्रबंध निदेशक पद से हटा सकेगा] तथा उसके स्थान पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और तब ऐसे नियुक्त किया गया व्यक्ति [1][ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है या प्रबंध निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से], यथास्थिति, निर्वाचित किया गया या नियुक्त किया गया समझा जाएगा, तथा इस उपधारा के अधीन [4][पूर्णकालिक आधार पर अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या नियुक्त व्यक्ति या प्रबंध निदेशक] उस व्यक्ति की पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह ऐसे निर्वाचित या नियुक्त किया गया है ।

(7) बैंककारी कंपनी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध हटाने का आदेश उपधारा (6) के अधीन किया गया है, उस आदेश की उसे संसूचना दिए जाने की तारीख से तीस दिन के अंदर केंद्रीय सरकार से अपील कर सकेगा, तथा उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय और उसके रहते हुए रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा (6) के अधीन दिया गया आदेश अंतिम होगा, तथा उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी ।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी रिजर्व बैंक [5][निदेशक बोर्ड अध्यक्ष को जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है या प्रबंध निदेशक] को ऐसा अंशकालिक अवैतनिक कार्य, जिससे [6][ऐसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक] के रूप में उसके अपने कर्तव्य के पालन में बाधा होने की संभाव्यता नहीं है, लेने की अनुज्ञा उस दशा में दे सकेगा जब उसकी यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है ।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहां [1][पूर्णकालिक आधार पर निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति या प्रबंध निदेशक] मर जाता है या पद त्याग देता है, अथवा दौर्बल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, अथवा छुट्टी पर या अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें उसका पद रिक्त नहीं होता, अनुपस्थित रहता है, वहां बैंककारी कंपनी, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, चार मास से अनधिक की कुल अवधि के लिए [1][अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के कर्तव्यों] का पालन किए जाने के लिए समुचित प्रबंध कर सकेगी ।

[7][**10खख. बैंककारी कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करने की रिजर्व बैंक की शक्ति**—(1) जहां किसी बैंककारी कंपनी के [5][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर सकेगा] का पद रिक्त है वहां रिजर्व बैंक, यदि उसकी राय हो कि ऐसी रिक्ति के बने रहने से उस बैंककारी कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को उस बैंककारी कंपनी के [8][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक नियुक्त कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए धारा 10ख की उपधारा (4) के अधीन पात्र है और जहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक नहीं है वहां वह उस समय तक, जब तक वह [8][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर सकेगा] का पद धारण किए रहता है, उस बैंककारी कंपनी का निदेशक समझा जाएगा ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 17 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्द का लोप किया गया ।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 17 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) "अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित या नियुक्त" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा (31-1-1994 से) "ऐसे अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 18 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (31-1-1994 से) "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) रिजर्व बैंक द्वारा [1][इस प्रकार नियुक्त निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक] बैंककारी कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में होगा और तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, किंतु इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) रिजर्व बैंक द्वारा [1][इस प्रकार नियुक्त निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक] बैंककारी कंपनी से ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, जो रिजर्व बैंक अवधारित करे और उसे रिजर्व बैंक द्वारा ही पद से हटाया जा सकेगा ।

(4) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 10ख के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा [1][नियुक्त निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबन्ध निदेशक को] वैसे ही लागू होंगे जैसे वे बैंककारी कंपनी द्वारा [1][नियुक्त निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक को लागू होते हैं ।]

[2][**10ग. अध्यक्ष और कुछ निदेशकों के लिए यह अपेक्षित न होना कि वे अर्हतादायी शेयर धारण करें**—किसी बैंककारी कंपनी के [3][निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष से, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक से] (चाहे उसे किसी ने भी नियुक्त किया हो) और किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक से (जो धारा 10क के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया गया हो) यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह बैंककारी कंपनी में अर्हतादायी शेयर धारण करे ।]

10घ. धारा 10क और 10ख के उपबंधों का अन्य सब विधियों, संविदाओं आदि पर अध्यारोही होना—किसी विधि में या किसी संविदा या किसी संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी धारा 10क या धारा 10ख [4][या धारा 10खख] के अनुसरण में किसी [5][निदेशक, निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष, जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, या प्रबंध निदेशक] की नियुक्ति या उसका हटाया जाना प्रभावी होगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति पद की हानि या समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।]

11. न्यूनतम समादत्त पूंजी और आरक्षितियों के बारे में अपेक्षा—(1) [6][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 149 में] किसी बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान है, ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की या एक वर्ष से अनधिक इतनी अतिरिक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जितनी कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करना ठीक समझे, [7][भारत में] कारबार नहीं चलाएगी और कोई भी अन्य बैंककारी कंपनी इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् [7][भारत में] कारबार न तो प्रारंभ करेगी और न चलाएगी [8][जब तक कि वह इस धारा की अपेक्षाओं में से जो उसे लागू हैं उनकी पूर्ति नहीं करती ।]

[9][(2) भारत से बाहर निगमित बैंककारी कंपनी की दशा में :—

(क) उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य पंद्रह लाख रुपए से तथा यदि उसका कारबार का स्थान या कारबार के स्थान मुंबई नगर में या कलकत्ता नगर में या दोनों में है या हैं तो बीस लाख रुपए से कम न होगा ; और

(ख) [10][बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक में या तो नकद या विल्लंगम रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में या भागतः नकद और भागतः ऐसी प्रतिभूतियों के रूप में निम्नलिखित रकम निक्षिप्त करेगी और निक्षिप्त रखेगी, अर्थात् :—

(i) इतनी रकम जो खंड (क) द्वारा अपेक्षित न्यूनतम से कम न हो ; और

(ii) हर [11]*** वर्ष के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, इतनी रकम, जितनी भारत में उसकी शाखाओं के माध्यम से किए गए सब कारबार की बाबत उस वर्ष के लिए उसके उन लाभों के, जो धारा 29 के अधीन उस वर्ष के बारे में तैयार किए गए लाभ-हानि लेखा में प्रकट किए गए हैं, बीस प्रतिशत के हिसाब से परिकलित करके आए :

परंतु कोई भी ऐसी बैंककारी कंपनी किसी भी समय—

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा (31-1-1994 से) "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 19 द्वारा (15-2-1984 से) धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा (31-1-1994 से) "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 20 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा (31-1-1994 से) "निदेशक या अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 103" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "किसी राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा (1-10-1959 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1962 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 7 द्वारा (30-12-1988 से) "कलैंडर" शब्द का लोप किया गया ।

(i) ऐसे निक्षिप्त किन्हीं प्रतिभूतियों के स्थान पर नकदी अथवा विल्लंगम रहित अनुमोदित कोई अन्य प्रतिभूतियां अथवा भागतः नकदी और भागतः ऐसी अन्य प्रतिभूतियां रख सकेगी, किंतु इस प्रकार कि कुल निक्षिप्त रकम पर कोई प्रभाव न पड़े ;

(ii) ऐसे निक्षिप्त किसी नकदी के स्थान पर समान मूल्य की विल्लंगम रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां रख सकेगी ।]

[1][(2क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक की सिफारिश पर तथा किसी बैंककारी कंपनी द्वारा भारत में अपने निक्षेप दायित्वों के संबंध में उपधारा (2) के अधीन पहले से ही निक्षिप्त की गई और निक्षिप्त रखी गई रकमों की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के उपबन्ध, उस बैंककारी कंपनी को इतनी अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।]

(3) किसी ऐसी बैंककारी कंपनी की दशा में, जिसे उपधारा (2) के उपबंध लागू नहीं होते, उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) यदि उसके कारबार के स्थान एक से अधिक राज्यों में हैं तो पांच लाख रुपए तथा यदि ऐसा कारबार का स्थान या कारबार के स्थान मुंबई नगर में या कलकत्ता नगर में या दोनों में है या हैं तो दस लाख रुपए ;

(ii) यदि उसके सब कारबार के स्थान एक राज्य में हैं और उनमें से कोई भी मुंबई या कलकत्ता नगर में नहीं है तो उसके प्रधान कारबार के स्थान के संबंध में एक लाख रुपए तथा उसके ऐसे अन्य कारबार के स्थानों में से, जो उसी जिले में स्थित है जिसमें उसका प्रधान कारबार का स्थान है, हर एक के लिए दस-दस हजार रुपए तथा ऐसे प्रत्येक कारबार के स्थान के लिए, जो उसी राज्य में किंतु उस जिले से अन्यत्र स्थित है पच्चीस हजार रुपए :

परंतु कोई भी बैंककारी कंपनी, जिसे यह खंड लागू होता है, इस बात के लिए अपेक्षित न होगी कि उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक हो :

परन्तु यह और कि कोई भी बैंककारी कम्पनी, जिसे यह खंड लागू होता है, किन्तु जिसका केवल एक कारबार का स्थान है, इस बात के लिए अपेक्षित न होगी कि उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक हो :

[1][परन्तु यह और कि ऐसी हर बैंककारी कम्पनी की दशा में, जिसको यह खंड लागू होता है, और जो बैंककारी कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1962 (1962 का 36) के प्रारंभ के पश्चात् पहली बार बैंककारी कारबार प्रारंभ करती है, उसकी समादत्त पूंजी का मूल्य पांच लाख रुपए से कम न होगा ;]

(iii) यदि उसके सब कारबार के स्थान एक राज्य में हैं जिनमें से एक या अधिक मुम्बई या कलकत्ता नगर में स्थित है या हैं, पांच लाख रुपए तथा, यथास्थिति, मुम्बई या कलकत्ता नगर के बाहर स्थित हर कारबार के स्थान की बाबत पच्चीस हजार रुपए :

परन्तु कोई भी बैंककारी कम्पनी जिसे यह खंड लागू होता है, इस बात के लिए अपेक्षित न होगी कि उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य दस लाख रुपए से अधिक हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस कारबार के स्थान की बाबत, जो उस राज्य से भिन्न [2][राज्य में] स्थित है जिसमें बैंककारी कम्पनी का प्रधान कारबार का स्थान है, उस दशा में, जिसमें वह कारबार का स्थान प्रधान कारबार के स्थान से पच्चीस मील से अधिक की दूरी पर नहीं है, यह समझा जाएगा कि वह उसी राज्य में है जिसमें ऐसा प्रधान कारबार का स्थान है ।

(4) कोई रकम जो [3][भारत के बाहर] निगमित किसी बैंककारी कम्पनी द्वारा उपधारा (2) के [4]*** अधीन रिजर्व बैंक में निक्षिप्त की गई है और निक्षिप्त रखी गई है, उस कम्पनी द्वारा [5][भारत में] बैंककारी कारबार के किसी भी कारणवश बन्द कर दिए जाने की दशा में कम्पनी की ऐसी आस्ति होगी जिस पर भारत में कम्पनी के सब लेनदारों के दावे प्रथम भार होंगे ।

[6][(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कारबार का स्थान" से कोई ऐसा कार्यालय, उप-कार्यालय, उप-संदाय कार्यालय और कोई भी कारबार का स्थान अभिप्रेत है जिसमें निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं, चेक भुनाए जाते हैं या धन उधार दिया जाता है ;

---

[1] 1962 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा "भारत में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्य को छोड़कर अन्यत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा (1-10-1959 से) "परन्तुक के" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यों में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) "मूल्य" से वास्तविक या निविमेय मूल्य अभिप्रेत है न कि वह खाता मूल्य जो सम्बद्ध बैंककारी कम्पनी की बहियों में दिखाया हुआ हो ।]

(6) यदि किसी बैंककारी कम्पनी की समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य संगणित करने में कोई विवाद पैदा होता है तो रिजर्व बैंक द्वारा उसका अवधारण इस धारा के प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा ।

[1][**12. समादत्त पूंजी, प्रतिश्रुत पूंजी तथा प्राधिकृत पूंजी का विनियमन तथा शेयरधारकों के मताधिकार**—(1) कोई भी बैंककारी कम्पनी भारत में कारबार तब तक न चलाएगी जब तक वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति नहीं करती, अर्थात् :—

(i) कम्पनी की प्रतिश्रुत पूंजी उसकी प्राधिकृत पूंजी के आधे से कम नहीं है तथा उसकी समादत्त पूंजी उसकी प्रतिश्रति पूंजी के आधे से कम नहीं है तथा यदि पूंजी बढ़ाई जाती है तो वह इस खण्ड में विहित शर्तों की पूर्ति दो वर्षों से अनधिक इतनी अवधि के अन्दर कर देती है जितनी रिजर्व बैंक अनुज्ञात करे ;

[2][(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी बैंककारी कंपनी की पूंजी निम्नलिखित रूप में हैं—

(क) केवल साधारण शेयर, या

(ख) साधारण शेयर और अधिमानी शेयर :

परंतु अधिमानी शेयर का पुरोधरण, रिजर्व बैंक द्वारा अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों के (चाहे वे स्थायी या अमोचनीय या मोचनीय हों) प्रत्येक वर्ग के पुरोधरण के विस्तार और ऐसे निबंधन और शर्तों को, जिनके अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयरों का पुरोधरण किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करते हुए विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु यह और कि कंपनी द्वारा पुरोधृत अधिमानी शेयर का कोई धारक, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।]

[3]* * * * * * *

(2) बैंककारी कम्पनी में शेयर धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, मत लिए जाने के समय, बैंककारी कम्पनी के सब शेयरधारकों के कुल [4][मताधिकारों के] [5][दस प्रतिशत से अधिक] मताधिकारों का प्रयोग, अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में, नहीं करेगा :

[6][परंतु रिजर्व बैंक क्रमिक रूप से मताधिकारों की ऐसी सीमा दस प्रतिशत से बढ़ाकर छब्बीस प्रतिशत कर सकेगा ।]

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा या लिखत में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो बैंककारी कम्पनी में शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही इस आधार पर न होगी कि उक्त शेयर विषयक हक रजिस्ट्रीकृत धारक से भिन्न किसी व्यक्ति में निहित है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात—

(क) शेयर के किसी अन्तरिती द्वारा, इस आधार पर कि उसने रजिस्ट्रीकृत धारक से उस शेयर का अन्तरण किसी ऐसी विधि के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है जो अन्तरण से संबंधित है ; अथवा

(ख) अवयस्क या पागल की ओर से, इस आधार पर कि रजिस्ट्रीकृत धारक उस शेयर को अवयस्क या पागल की ओर से धारित किए हुए है,

वाद या अन्य कार्यवाही को वर्जित न करेगी ।

(4) किसी बैंककारी कम्पनी का प्रत्येक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उस बैंककारी कम्पनी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा धारित शेयरों की संख्या और मूल्य की तथा ऐसे धारित शेयरों की संख्या में किसी तब्दीली की अथवा उससे संलग्न अधिकारों में हुए किसी परिवर्तन की पूरी विशिष्टियां तथा उन शेयरों से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी, जैसी रिजर्व बैंक आदेश द्वारा अपेक्षित करे अन्तर्विष्ट करने वाली विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसे समयों पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों, उस बैंककारी कम्पनी की मार्फत रिजर्व बैंक को देगा ।

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 3 द्वारा (14-1-1957 से) धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 8 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 9 द्वारा (1-2-1964 से) "पांच प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][**12क. नए निदेशकों का निर्वाचन**—(1) रिजर्व बैंक किसी बैंककारी कम्पनी से आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस आदेश की तारीख से दो मास से अन्यून इतने समय के अन्दर, जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, अथवा इतने अतिरिक्त समय के अन्दर जितना रिजर्व बैंक इस निमित्त अनुज्ञात करे, कम्पनी के शेयरधारकों का साधारण अधिवेशन इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय मताधिकारों के अनुसार, नए निदेशकों का निर्वाचन करने के लिए बुलाए तथा बैंककारी कम्पनी उस आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित प्रत्येक निदेशक, उस तारीख तक अपना पद धारण करेगा जिस तारीख तक उसका पूर्ववर्ती पद धारण करता यदि वह निर्वाचन न किया गया होता ।

(3) इस धारा के अधीन उचित रूप से किए गए किसी निर्वाचन पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी ।]

[2][**12ख. शेयरों या मताधिकारों के अर्जन का विनियमन**—(1) कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है), रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, आवेदन किए जाने पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करते हुए, किसी बैंककारी कंपनी के ऐसे शेयरों या उसमें मताधिकारों को अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने के लिए सहमत नहीं होगा जिसका उसके द्वारा या उसके नातेदार या सहयुक्त उद्यम या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों और मताधिकारों के साथ, यदि कोई हो, किया गया ऐसा अर्जन, आवेदक को ऐसी बैंककारी कंपनी की पांच प्रतिशत या अधिक की समादत्त शेयर पूंजी का धारक बनाता है या ऐसी बैंककारी कंपनी में पांच प्रतिशत या अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनाता है ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "सहयुक्त उद्यम" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो,—

(i) आवेदक की नियंत्री कंपनी या कोई समनुषंगी कंपनी है ; या

(ii) आवेदक का सह उद्यम है ; या

(iii) आवेदक को शासित करने वाले निदेशक बोर्ड या अन्य निकाय के गठन पर नियंत्रण रखता है ; या

(iv) रिजर्व बैंक की राय में, वित्तीय या नीति विषयक विनिश्चय करने में आवेदक पर महत्वपूर्ण असर रखता है ; या

(v) आवेदक के क्रियाकलाप से आर्थिक लाभ अभिप्राप्त करने में समर्थ है ;

(ख) "नातेदार" का वह अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 में है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को "मिलकर कार्य करते हुए" समझा जाएगा जो इस उपधारा में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किसी करार या समझौते (औपचारिक या अनौपचारिक) के अनुसरण में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बैंककारी कंपनी के शेयरों या मताधिकारों के अर्जन द्वारा या अर्जन करने की सहमति द्वारा सहकार करते हैं ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सह उद्यम से पारस्परिक लाभ के लिए किसी विशिष्ट संव्यवहार के संयुक्त उपक्रम में लगा हुआ भागीदारी की प्रकृति का कोई विधिक अस्तित्व या कोई व्यक्ति-संगम या संयुक्त रूप से चलाए जा रहे किसी वाणिज्यिक उद्यम में, जिसमें सभी अंशदायी आस्तियां और शेयर जोखिम हैं, कंपनियां अभिप्रेत हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अनुमोदन रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक—

(क) लोक हित में ; या

(ख) बैंककारी नीति के हित में ; या

(ग) किसी बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों को, बैंककारी कंपनी के हितों के लिए हानिकर या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से संचालित किए जाने को रोकने के लिए ; या

(घ) बैंककारी और अंतरराष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों में उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ; या

(ङ) भारत में बैंककारी और वित्तीय प्रणाली के हित में, शेयरों या मताधिकारों को अर्जित करने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है ;

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 4 द्वारा (14-1-1957 से) अंतःस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

परंतु रिजर्व बैंक आवेदक से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जो वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर विचार करने के लिए आवश्यक समझे :

परंतु यह और कि रिजर्व बैंक भिन्न-भिन्न प्रतिशतताओं में शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) जहां अर्जन, बैंककारी कंपनी के शेयरों के अंतरण के रूप में किया जाता है और रिजर्व बैंक का यह समाधान हो गया है कि ऐसे अंतरण को अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए वहां वह आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई शेयर, प्रस्तावित अंतरिती को अंतरित नहीं किया जाएगा और बैंककारी कंपनी को यह और निदेश दे सकेगा कि वह शेयरों के अंतरण को प्रभावी न करे और यदि अंतरण को रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो अंतरिती, बैंककारी कंपनी के किसी भी अधिवेशन में मतदान में अपने मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) शेयरों के अर्जन का अनुमोदन, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकेगा, जिनको रिजर्व बैंक अधिरोपित करना ठीक समझे जिनके अंतर्गत ऐसी शर्त सम्मिलित है जिसमें शेयरों के किसी अतिरिक्त अर्जन में रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा और आवेदक, शेयरों या मताधिकारों को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति बना रहता है ।

(5) किसी व्यक्ति को किसी शेयर के निर्गमित करने या आबंटित करने या किसी व्यक्ति के नाम में शेयरों के अंतरण को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व, बैंककारी कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का उस व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाता है और जहां अर्जन, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किया गया है वहां बैंककारी कंपनी यह और सुनिश्चित करेगी कि उपधारा (4) के अधीन ऐसे अनुमोदन की अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हों, पूरी की जाती हैं ।

(6) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर रिजर्व बैंक का विनिश्चय, रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु नब्बे दिन की अवधि की संगणना करने में, रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदक द्वारा ली गई अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

(7) रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी में अर्जित किए जाने वाले शेयरों की न्यूनतम प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट कर सकेगा यदि वह यह मानता है कि ऐसा प्रयोजन, जिसके लिए शेयरों को आवेदक द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो ऐसे न्यूनतम शेयर धारण का समर्थन करता है ।

(8) रिजर्व बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति जो बैंककारी कंपनी के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के पांच प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार धारण करते हैं, ऐसे शेयर या मताधिकारों को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित नहीं हैं, तो यह निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि उसके साथ मिलकर कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, कुल मिलाकर, बैंककारी कंपनी के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के पांच प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का मतदान में प्रयोग नहीं करेंगे :

परंतु रिजर्व बैंक, ऐसे व्यक्ति या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा ।]

13. शेयरों के विक्रय पर कमीशन, दलाली, बट्टे आदि पर निर्बन्धन—[1][कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 76 और धारा 79 में] किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी बैंककारी कम्पनी अपने द्वारा निर्गमित किन्हीं शेयरों की बाबत किसी भी रूप में कमीशन, दलाली, बट्टा या पारिश्रमिक के तौर पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इतनी कोई रकम न देगी जितनी [2][ऐसी कीमत, जिस पर उक्त शेयर निर्गमित किए जाते हैं] के कुल मिलाकर ढ़ाई प्रतिशत से अधिक हो ।

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि ऐसी कीमत, जिस पर उक्त शेयर निर्गमित किए जाते हैं] पद के अंतर्गत ऐसे शेयरों की रकम या प्रीमियम का मूल्य भी होगा ।]

14. असमादत्त पूंजी पर भार का प्रतिषेध—कोई भी बैंककारी कम्पनी उस कम्पनी की किसी असमादत्त पूंजी पर कोई भी भार सृजित न करेगी तथा ऐसा कोई भी भार अविधिमान्य होगा ।

[4][**14क. आस्तियों पर चल भार का प्रतिषेध**—(1) धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कम्पनी के उपक्रम या उनकी किसी सम्पत्ति पर या उसके किसी भाग पर कोई चल भार उस दशा के सिवाय सृजितन करेगी जब कि ऐसे चल भार के सृजन की बाबत रिजर्व बैंक ने लिखित रूप में यह प्रमाणित कर दिया है कि वह ऐसी कम्पनी के निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर नहीं है ।

(2) रिजर्व बैंक का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना सृजित किया गया कोई ऐसा भार अविधिमान्य होगा ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 105 और 105क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 9 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।

(3) कोई भी बैंककारी कम्पनी, जो उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित है, उस तारीख से, जिसको ऐसे इन्कार की सूचना उसे दी गई है, नब्बे दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगी ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपील की गई है वहां उस सरकार का अथवा जहां ऐसी कोई अपील नहीं की गई है वहां रिजर्व बैंक का विनिश्चय अन्तिम होगा ।]

15. लाभांश के संदाय के बारे में निर्बन्धन—[1][(1)] कोई भी बैंककारी कम्पनी अपने शेयरों पर कोई लाभांश तब तक न देगी, जब तक कि उसके सब पूंजीकृत व्यय (जिनके अन्तर्गत प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-विक्रय कमीशन, दलाली, उपगत हानियों की रकमें तथा व्यय की कोई अन्य मद भी है, जिसको प्रतिदर्शित करने वाली कोई मूर्त आस्तियां नहीं हैं) पूरी तरह से बट्टे खाते न डाल दिए गए हों ।

[2][(2) उपधारा (1) में या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कम्पनी निम्नलिखित को बट्टे खाते डाले बिना अपने शेयरों पर लाभांश दे सकेगी, अर्थात् :—

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में उसके विनिधानों के मूल्यों में अवक्षयण, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसा अवक्षयण वस्तुतः पूंजीकृत नहीं किया गया है या हानि के रूप में अन्यथा हिसाब में नहीं लिया गया है ;

(ii) शेयरों, डिबेंचरों या (अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न) बंधपत्रों में उसके विनिधानों के मूल्य में अवक्षयण, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसे अवक्षयण के लिए यथेष्ट उपबन्ध बैंककारी कम्पनी के लेखापरीक्षक को समाधानप्रद रूप में कर दिया गया है ;

(iii) डूबे ऋण, यदि कोई हों, उस दशा में, जिसमें ऐसे ऋणों के लिए यथेष्ट उपबन्ध बैंककारी कम्पनी के लेखापरीक्षक को समाधानप्रद रूप में कर दिया गया है ।]

[3][**16. सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिषेध—**[4][(1) भारत में निगमित कोई भी बैंककारी कंपनी अपने निदेशक बोर्ड में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नहीं रखेगी जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक है ।

(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी बैंककारी कंपनी अपने निदेशक बोर्ड में तीन से अधिक ऐसे निदेशक नहीं रखेगी जो ऐसी किन्हीं कंपनियों के निदेशक हैं जो परस्पर मिलकर, उस बैंककारी कंपनी के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के बीस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने की हकदार हैं ।]

(2) यदि बैंककारी कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 95) के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी बैंककारी कम्पनी के निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी किन्हीं कम्पनियों का भी निदेशक है जो परस्पर मिलकर उस बैंककारी कम्पनी के सब शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के बीस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने की हकदार है, तो वह ऐसे प्रारंभ से इतनी अवधि के अन्दर, जितनी रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(क) या तो उस बैंककारी कम्पनी के निदेशक के रूप में अपना पद त्याग देगा ; अथवा

(ख) कम्पनियों में से इतनी कम्पनियों को, जितनी परस्पर मिलकर उस बैंककारी कम्पनी के सब शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के बीस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने की हकदार नहीं है, ऐसी कम्पनियों के रूप में चुन लेगा जिनमें वह निदेशक के पद को धारण किए रहना चाहता है तथा अन्य कम्पनियों में निदेशक के रूप में अपना पद त्याग देगा ।

[5][(3) उपधारा (1) की कोई बात रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को या उसके संबंध में लागू न होगी ।]

[6][**17. आरक्षित निधि—**(1) भारत में निगमित प्रत्येक बैंककारी कम्पनी एक आरक्षित निधि सृजित करेगी तथा [7]*** धारा 29 के अधीन तैयार किए गए लाभ-हानि लेखा में यथा संप्रकट प्रत्येक वर्ष के लाभ के अतिशेष में से तथा लाभांश घोषित किए जाने के पूर्व, ऐसे लाभ के बीस प्रतिशत से अन्यून के बराबर राशि आरक्षित निधि को अन्तरित करेगी ।

[8][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर तथा बैंककारी कम्पनी के निक्षेप-दायित्वों के संबंध में उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) के उपबन्ध उस बैंककारी कम्पनी को इतनी अवधि के लिए लागू नहीं होंगे जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो :

---

[1] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 10 द्वारा (1-10-1959 से) धारा 15 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 10 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 5 द्वारा (14-1-1957 से) धारा 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा (31-1-1994 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 4 द्वारा (1-2-1969 से) अंतःस्थापित ।
[6] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 11 द्वारा (1-10-1959 से) धारा 17 और 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1962 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[8] 1962 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश तब तक न दिया जाएगा जब तक कि उसके दिए जाने के समय उपधारा (1) के अधीन आरक्षित निधि की रकम शेयर प्रीमियम खाते की रकम सहित, बैंककारी कम्पनी की समादत्त पूंजी से कम न हो ।]

(2) जब कोई बैंककारी कम्पनी आरक्षित निधि में से या शेयर प्रीमियम खाते में से कोई धनराशि या राशियां विनियोजित करती है, तब वह ऐसे विनियोग संबंधी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए उस बात की रिपोर्ट, ऐसे विनियोग की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर रिजर्व बैंक को देगी :

परन्तु रिजर्व बैंक किसी विशिष्ट मामले में इक्कीस दिन की उक्त अवधि को इतनी अवधि तक बढ़ा सकेगा जितनी वह ठीक समझता है अथवा ऐसी रिपोर्ट के किए जाने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

[1][**18. नकद आरक्षिति**—(1) प्रत्येक बैकंकारी कंपनी, [2][जो अनुसूचित बैंक नहीं है, भारत में दैनिक आधार पर] अपने पास नकद आरक्षिति के रूप में अथवा रिजर्व बैंक के पास किसी चालू खाते में अतिशेष के रूप में अथवा चालू खातों में शुद्ध अतिशेष के रूप में अथवा पूर्वोक्त किसी एक या अधिक रूप में उतनी राशि रखेगी जितनी पूर्ववर्ती द्वितीय पक्ष के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसके मांग और कालिक दायित्वों के योग के [2][ऐसे प्रतिशत] के बराबर हो [3][,जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, देश की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे] और प्रत्येक मास के बीसवें दिन के पूर्व रिजर्व बैंक को विवरणी देगी जिसमें वह रकम, जो पूर्ववर्ती मास के दौरान दूसरे शुक्रवारों को इस प्रकार धारित थी, दर्शित होगी और जिसके साथ ऐसे प्रत्येक शुक्रवार को या यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां होंगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 24 में—

(क) "भारत के दायित्वों" के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं, अर्थात् :—

(i) बैंककारी कंपनी की समादत्त पूंजी या आरक्षितियां अथवा लाभ-हानि खाते में कोई जमा अतिशेष ;

(ii) रिजर्व बैंक [4]*** या निआ बैंक [5][या पुनर्निर्माण बैंक] [6][या राष्ट्रीय आवास बैंक] या राष्ट्रीय बैंक [7][,लघु उद्योग बैंक] से बैंककारी कंपनी द्वारा लिया गया कोई अग्रिम धन ;

(iii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक की दशा में ऐसे बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिए गए कोई उधार भी ;

(ख) "पक्ष" में शनिवार से आगामी द्वितीय शुक्रवार तक की अवधि जिसके अंतर्गत ये दोनों दिन हैं, अभिप्रेत है ;

(ग) "चालू खातों में शुद्ध अतिशेष" से किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में उस बैंककारी कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या किसी समनुषंगी बैंक या तत्स्थानी नए बैंक के पास रखे गए चालू खाते में नकदी अतिशेषों के योग का वह आधिक्य, यदि कोई हो, अभिप्रेत है, जो उक्त बैंकों द्वारा ऐसी बैंककारी कंपनी के पास चालू खाते में धारित नकदी अतिशेषों के योग से अधिक हो ;

(घ) दायित्वों की संगणना के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक, किसी समनुषंगी बैंक, तत्स्थानी नए बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, अन्य बैंककारी कंपनी, सहकारी बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्था के प्रति किसी बैंककारी कंपनी के कुल दायित्वों में से बैंककारी कम्पनी के प्रति ऐसे सभी बैंकों और संस्थाओं के कुल दायित्वों को घटा दिया जाएगा ;

(ङ) "सहकारी बैंक" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 56 के खंड (गग1) में है ।

[8][(1क) यदि किसी भी दिन, कारबार के बंद होने पर ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा धारित अतिशेष उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम है तो ऐसी बैंककारी कंपनी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन के संबंध में, उतनी रकम पर, जिससे ऐसा अतिशेष विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम पड़ता है, बैंक दर से तीन प्रतिशत की अधिक दर पर शास्तिक ब्याज का, रिजर्व बैंक को संदाय करने का दायी होगा और यदि ऐसी कमी आगे जारी रहती है तो इस प्रकार प्रभारित शास्तिक ब्याज में ऐसे प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती दिन के संबंध में, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत की अधिक दर तक वृद्धि की जाएगी ।

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 21 द्वारा (29-3-1985 से) धारा 18 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 1984 के अधिनियम सं० 62 की धारा 71 और अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अंतःस्थपापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 53 की धारा 56 और अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अंतःस्थापित ।
[7] 1989 के अधिनियम सं० 39 की धारा 53 और अनुसूची द्वारा (7-3-1990 से) अंतःस्थापित ।
[8] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

(1ख) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि रिजर्व बैंक का, व्यतिक्रमी बैंककारी कंपनी द्वारा लिखित में आवेदन किए जाने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी व्यतिक्रमी बैंककारी कंपनी के पास उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में उसके असफल रहने के लिए पर्याप्त कारण था, तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं कर सकेगा।

(1ग) रिजर्व बैंक, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस धारा के उपबंधों से ऐसी छूटों को बैंककारी कंपनी को प्रदान कर सकेगा जिनको वह अपने सभी या किन्हीं अधिकारियों के प्रतिनिर्देश या अपनी संपूर्ण आस्तियों और दायित्वों या उनके किसी भाग के प्रतिनिर्देश से ठीक समझे।]

(2) रिजर्व बैंक, इस धारा और धारा 24 के प्रयोजनों के लिए किसी संव्यवहार या किसी वर्ग के संव्यवहारों के बारे में समय-समय पर यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों के भारत में किसी बैंककारी कंपनी का दायित्व माना जाएगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी संव्यवहार या किसी वर्ग के संव्यवहारों को इस धारा और धारा 24 के प्रयोजनों के लिए भारत में किसी बैंककारी कंपनी का दायित्व माना जाए तो उस पर रिजर्व बैंक का विनिश्चय अन्तिम होगा।]]

19. समनुषंगी कम्पनियों के स्वरूप पर निर्बन्धन—[1][(1) बैंककारी कंपनी निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए बनाई जाने वाली समनुषंगी कंपनी के सिवाय कोई समनुषंगी कंपनी नहीं बनाएगी, अर्थात् :—

(क) कोई ऐसा कारबार करना, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ण) के अधीन किसी बैंककारी कंपनी के लिए किया जाना अनुज्ञेय है ; या

(ख) रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व अनुज्ञा से अनन्यतः भारत के बाहर बैंककारी कारबार करना ; या

(ग) ऐसा अन्य कारबार करना जिसे रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में बैंककारी को बढ़ाने के लिए लाभदायक अथवा लोकहित में अन्यथा उपयोगी या आवश्यक समझे।]

स्पष्टीकरण—धारा 8 के प्रयोजनों के लिए, किसी बैंककारी कंपनी के बारे में उसके द्वारा किसी समनुषंगी कंपनी को बनाए जाने या उसके होने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी समनुषंगी कंपनी द्वारा किए जाने वाले कारबार में अप्रत्यक्षतः लगी हुई है।]

(2) उपधारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी बैंककारी कम्पनी किसी कम्पनी में चाहे गिरवीदार, बन्धकदार या पूर्ण स्वामी के रूप में, उस कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत या अपनी ही समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षितियों के तीस प्रतिशत, इनमें से जो कम हो, उस रकम से अधिक के शेयर धारण न करेगी :

परन्तु कोई बैंककारी कम्पनी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर कोई शेयर धारण किए हुए है जिनसे इस उपधारा के उपबन्धों का उल्लंघन होता है, उसके लिए उस दशा में किसी शास्ति की दायी न होगी जिसमें वह उस बात की रिपोर्ट अविलम्ब रिजर्व बैंक को दे देती है और अपने शेयर धारण को दो वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के अन्दर, जितनी रिजर्व बैंक अनुज्ञात करना ठीक समझे, उक्त उपबन्धों के अनुरूप कर लेती है।

(3) उपधारा (1) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय तथा उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कम्पनी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् चाहे गिरवीदार, बन्धकदार या पूर्ण स्वामी के रूप में ऐसी किसी कम्पनी में शेयर धारण न करेगी जिसके प्रबन्ध में उस बैंककारी कम्पनी का कोई प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक किसी भी रीति से संबंधित या हितबद्ध है।

[2][(4) उपधारा (1) के खंड (ग) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय बैंककारी कंपनी कोई समनुषंगी कंपनी बनाकर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 30) के अनुसार प्रत्यय विषयक जानकारी संबंधी कारबार करने के लिए समनुषंगी कंपनी बना सकेगी।]

[3][**20. उधारों और अग्रिम धनों पर निर्बन्धन—**(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कम्पनी—

(क) कोई उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर न देगी, और

(ख) निम्नलिखित को या उनकी ओर से कोई उधार या अग्रिम धन देने के लिए कोई वचनबंध न करेगी, अर्थात् :—

(i) उसका कोई निदेशक,

(ii) कोई ऐसी फर्म, जिसमें उसका कोई निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, कर्मचारी या प्रत्याभूतिदाता के रूप में हितबद्ध है, या

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 22 द्वारा (15-2-1984 से) प्रतिस्थापित।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 30 की धारा 34 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।
[3] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 5 द्वारा (1-2-1969 से) धारा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(iii) कोई ऐसी कम्पनी (जो उस बैंककारी कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी या सरकारी कम्पनी नहीं है) जिसका [1][,अथवा वह समनुषंगी या धारक कम्पनी जिसका,] उस बैंककारी कम्पनी के निदेशकों में से कोई निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक, कर्मचारी या प्रत्याभूतिदाता है या जिसमें वह पर्याप्त हित धारण करता है, या

(iv) कोई ऐसा व्यष्टि जिसका निदेशकों में से कोई भागीदार या प्रत्याभूतिदाता है ।

(2) जहां बैंककारी कम्पनी द्वारा दिया गया कोई उधार या अग्रिम धन इस प्रकार का है कि उसे देने का वचनबंध उस दशा में न किया गया होता जब उपधारा (1) का खण्ड (ख) उस तारीख को प्रवृत्त होता जिसको वह उधार या अग्रिम धन दिया गया था अथवा वह बैंककारी कम्पनी द्वारा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारम्भ के पश्चात् किन्तु ऐसे वचनबन्ध के अनुसार, जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व किया गया था, दिया जाता है, वहां उस उधार या अग्रिम धन मद्धे जो रकमें बैंककारी कम्पनी को देय हैं उन रकमों को उन पर देय ब्याज सहित, यदि कोई हो, उस उधार या अग्रिम धन के दिए जाने के समय नियत की गई अवधि के अन्दर या उस दशा में, जिसमें ऐसी कोई अवधि नियत नहीं की है, उक्त धारा 5 के प्रारम्भ से एक वर्ष के अवसान के पूर्व वसूल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी :

परन्तु रिजर्व बैंक, किसी मामले में, बैंककारी कम्पनी द्वारा उससे इस निमित्त लिखित आवेदन किए जाने पर उस उधार या अग्रिम धन की वसूली की अवधि को, उक्त धारा 5 के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि से आगे की तारीख न होने वाली किसी तारीख तक के लिए तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो रिजर्व बैंक ठीक समझे, बढ़ा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि और जब संबंधित निदेशक, बैंककारी कम्पनी के निदेशक के पद को, चाहे मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र से या अन्यथा रिक्त कर देता है और तब, यह उपधारा लागू न होगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी उधार या अग्रिम धन का, या उसके किसी भाग का परिहार रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना न किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया परिहार शून्य और सर्वथा प्रभावहीन होगा ।

(4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट उधार या अग्रिम धन, जो किसी व्यक्ति द्वारा संदेय है, बैंककारी कम्पनी को उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिसंदत्त नहीं किया गया है वहां यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अवधि के अवसान की तारीख को ऐसी बैंककारी कम्पनी का निदेशक है तो उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस रूप में अपना पद उक्त तारीख से रिक्त कर दिया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) "उधार या अग्रिम धन" के अन्तर्गत ऐसा कोई संव्यवहार न होगा जिस संव्यवहार के स्वरूप को, उस अवधि को जिसके अन्दर और उस रीति और उन परिस्थितियों को, जिससे या जिनमें उस संव्यवहार मद्धे कोई रकम वसूल होनी संभाव्य है, निक्षेपकर्ताओं के हित को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक उसकी बाबत साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह विनिर्दिष्ट करे कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए उधार या अग्रिम धन नहीं है ;

(ख) "निदेशक" के अन्तर्गत भारत में ऐसे किसी बोर्ड या समिति का सदस्य है जो किसी बैंककारी कम्पनी ने अपने सब या किन्हीं मामलों का प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए या प्रबन्ध करने में उसे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठित की है ।

(5) यदि इस बाबत कोई प्रश्न पैदा होता है कि कोई संव्यवहार इस धारा के प्रयोजनों के लिए उधार या अग्रिम धन है या नहीं तो वह रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।]

[2][**20क. ऋणों का परिहार करने की शक्ति पर निर्बन्धन**—(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कम्पनी रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे किसी ऋण का पूर्णतः या भागतः परिहार न करेगी जो—

(क) उसके निदेशकों में से किसी द्वारा देय है, अथवा

(ख) ऐसी किसी फर्म या कम्पनी द्वारा देय है जिसमें उसके निदेशकों में से कोई निदेशक, भागीदार, प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में हितबद्ध है, अथवा

(ग) ऐसे किसी व्यष्टि द्वारा उस दशा में देय है जब उसके निदेशकों में से कोई उसका भागीदार या प्रत्याभूतिदाता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया कोई परिहार शून्य और सर्वथा प्रभावहीन होगा ।]

21. बैंककारी कम्पनियों द्वारा अग्रिम धनों के दिए जाने का नियंत्रण करने की रिजर्व बैंक की शक्ति—(1) रिजर्व बैंक अग्रिम धनों के संबंध में साधारणतया बैंककारी कम्पनियों द्वारा अथवा विशिष्टतया किसी बैंककारी कम्पनी द्वारा अनुसरण की जाने वाली

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 23 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 12 द्वारा (1-2-1964 से) अंतःस्थापित ।

नीति का अवधारण उस दशा में कर सकेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि लोकहित में [1][या निक्षेपकर्ताओं] [2][अथवा बैंककारी नीति] के हित में वैसा करना आवश्यक या समीचीन है तथा जब इस प्रकार नीति का अवधारण कर दिया गया हो तब, यथास्थिति, सब बैंककारी कम्पनियों या संबंधित बैंककारी कम्पनी ऐसी अवधारित नीति का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक या तो साधारणतः बैंककारी कम्पनियों की अथवा विशिष्टतः किसी बैंककारी कम्पनी या बैंककारी कंपनियों के समूह को निम्नलिखित के बारे में निदेश दे सकेगा, [3][अर्थात् :—

(क) वे प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम धन दिए जा सकेंगे या नहीं दिए जा सकेंगे,

(ख) प्रतिभूत अग्रिम धनों के विषय में बनाए रखे जाने वाले मार्जिन,

(ग) अग्रिम धनों या अन्य वित्तीय सौकर्य की वह अधिकतम रकम जो किसी बैंककारी कंपनी की समादत्त पूंजी, आरक्षितियों और निक्षेपों को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उस बैंककारी कम्पनी द्वारा किसी एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि को दी जा सकेगी,

(घ) वह अधिकतम रकम जिस तक, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए बैंककारी कंपनी द्वारा किसी एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि के निमित्त प्रत्याभूतियां दी जा सकेंगी,

(ङ) ब्याज की वह दर जिस पर तथा वे अन्य निबंधन और शर्तें जिन पर अग्रिम धन या अन्य वित्तीय सौकर्य या प्रत्याभूतियां दी जा सकेंगी ।]

[4][(3) प्रत्येक बैंककारी कम्पनी इस धारा के अधीन उसे दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने के लिए, आबद्ध होगी ।]

[5][**21क. बैंककारी कंपनियों द्वारा प्रभारित ब्याज की दरों का न्यायालयों की संवीक्षा के अधीन न होना**—अति ब्याज उधार अधिनियम, 1918 (1918 का 10) या किसी राज्य में प्रवृत्त ऋणिता से संबंधित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंककारी कम्पनी और उसके ऋणी के बीच किए गए किसी संव्यवहार पर किसी न्यायालय द्वारा इस आधार पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा कि ऐसे संव्यवहार की बाबत बैंककारी कंपनी द्वारा प्रभारित ब्याज की दर अधिक है ।]

22. बैंककारी कंपनियों का अनुज्ञापन—[6][(1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी कम्पनी [7][भारत में] बैंककारी कारबार उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जब कि वह रिजर्व बैंक द्वारा उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति धारण करती है तथा ऐसी कोई अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों के अधीन दी जा सकेगी जैसी रिजर्व बैंक अधिरोपित करना ठीक समझे ।]

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान प्रत्येक बैंककारी कंपनी ऐसे प्रारंभ से छह मास के अवसान के पूर्व तथा प्रत्येक अन्य कंपनी भारत में बैंककारी कारबार प्रारंभ करने के पूर्व इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व बैंक को लिखित आवेदन करेगी :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान बैंककारी कंपनी की दशा में, उपधारा (1) की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह [8][इस धारा] के अनुसार उसे अनुज्ञप्ति दिए जाने तक, अथवा रिजर्व बैंक द्वारा उसे लिखित सूचना द्वारा यह इत्तिला दिए जाने तक कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती उस कंपनी को बैंककारी कारबार करने से प्रतिषिद्ध करती है :

परन्तु यह और कि रिजर्व बैंक इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान बैंककारी कंपनी को पूर्वोक्त जैसी सूचना धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीन वर्ष के अवसान के पूर्व अथवा इतनी अतिरिक्त अवधि के अवसान के पूर्व न देगा जितनी रिजर्व बैंक उस उपधारा के अधीन अनुज्ञात करना ठीक समझे ।

(3) इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति देने के पूर्व रिजर्व बैंक यह अपेक्षा कर सकेगा कि कम्पनी की बहियों के निरीक्षण द्वारा या अन्यथा उसका यह समाधान कर दिया जाए कि निम्नलिखित [9][शर्तों की] पूर्ति कर दी गई है, अर्थात् :—

[10][(क) कि कंपनी इस स्थिति में है या हो जाएगी कि वह अपने विद्यमान अथवा भावी निक्षेपकर्ताओं के दावों को पूर्णतः वैसे-वैसे चुका देगी जैसे-जैसे वे प्रोद्भूत होते जाएंगे ;

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 13 द्वारा (1-2-1964 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 6 द्वारा (1-2-1969 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 13 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 13 द्वारा (1-2-1964 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 24 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित ।
[6] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 13 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "किसी भी राज्य में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 13 द्वारा (1-10-1959 से) "उपधारा (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 25 द्वारा (15-2-1984 से) "सब शर्तें या उनमें से किन्हीं की" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 13 द्वारा (1-10-1959 से) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) कि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन ऐसी किसी रीति से नहीं किया जा रहा है या किया जाना संभाव्य नहीं है जो उसके विद्यमान या भावी निक्षेपकर्ताओं के लिए हानिकर हो ;]

[1][(ग) कि कंपनी के प्रस्तावित प्रबंध के साधारण स्वरूप का लोकहित या उसके निक्षेपकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(घ) कि कंपनी की पूंजी की संरचना और उपार्जन की संभाव्यताएं पर्याप्त हैं;

(ङ) कि कंपनी को भारत में बैंककारी कारबार चलाने के लिए अनुप्ति देने से लोकहित की पूर्ति होगी ;

(च) कि कंपनी के प्रस्तावित प्रधान कार्य क्षेत्र में उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं को, उस क्षेत्र में पहले ही से विद्यमान बैंको के विस्तार की संभावना को और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति के दिए जाने से धन संबंधी स्थिरता और आर्थिक वृद्धि से सुसंगत बैंककारी पद्धति के प्रचालन और समेकन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(छ) कोई अन्य शर्त जिसका पूरा किया जाना रिजर्व बैंक की राय में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि कंपनी द्वारा भारत में बैंककारी कारबार चलाए जाने से लोकहित या निक्षेपकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[2][(3क) भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी को इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति देने के पूर्व, रिजर्व बैंक कंपनी की बहियों का निरीक्षण करके या अन्यथा अपना यह समाधान कर सकेगा कि उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है और भारत में ऐसी कंपनी द्वारा बैंककारी कारबार का चलाया जाना लोकहित में होगा और उस देश की, जिसमें वह कंपनी निगमित है, सरकार या विधि भारत में रजिस्ट्रीकृत बैंककारी कंपनियों के प्रति किसी भी रीति से विभेद नहीं करती है और वह कंपनी भारत के बाहर निगमित बैंककारी कंपनियों को लागू होने वाले इस अधिनियम के सभी उपबंधों का अनुपालन करती है ।]

[3][(4) रिजर्व बैंक इस धारा के अधीन किसी बैंककारी कंपनी को दी गई अनुज्ञप्ति को उस दशा में रद्द कर सकेगा जिसमें—

(i) वह कंपनी भारत में बैंककारी कारबार करना बन्द कर देती है ; अथवा

(ii) वह कंपनी उपधारा (1) के अधीन अपने पर अधिरोपित शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में किसी समय असफल होती है ; अथवा

(iii) उपधारा (3) [2][और उपधारा (3क)] में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त की किसी समय पूर्ति नहीं की जाती है :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन इस आधार पर कि बैंककारी कंपनी उनमें निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में या किसी की पूर्ति करने में असफल रही है, अनुज्ञप्ति को रद्द करने के पूर्व रिजर्व बैंक उस दशा के सिवाय जब उसकी यह राय हो कि विलम्ब से कंपनी के निक्षेपकर्ताओं या जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कंपनी को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्त का अनुपालन करने या उसकी पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते अवसर देगा ।

(5) कोई बैंककारी कंपनी, जो अनुज्ञप्ति को इस धारा के अधीन रद्द करने वाले रिजर्व बैंक के विनिश्चय से व्यथित है, उस तारीख से, जिसको ऐसा विनिश्चय उसे सूचित किया जाता है, तीस दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगी ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपील की गई है वहां उस सरकार का जहां ऐसी कोई अपील नहीं की गई है वहां रिजर्व बैंक का विनिश्चय अन्तिम होगा ।]

[4][23. नए कारबार के स्थान खोलने और विद्यमान कारबार के स्थानों का अन्तरण करने पर निर्बंधन—(1) रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना—

(क) कोई बैंककारी कंपनी भारत में नया कारबार का स्थान न खोलेगी या भारत में स्थित विद्यमान कारबार के स्थान के अवस्थान का अंतरण उस नगर, नगरी या ग्राम के बाहर न करेगी; तथा

(ख) भारत में निगमित कोई बैंककारी कंपनी भारत के बाहर नया कारबार का स्थान नहीं खोलेगी या भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में स्थित विद्यमान कारबार के स्थान के अवस्थान का अन्तरण उस देश या क्षेत्र में उसी नगर, नगरी या ग्राम के बाहर न करेगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, किसी प्रदर्शनी, सम्मेलन या मेले के अवसर पर अथवा किसी अन्य वैसे ही अवसर पर जनता को बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी नगर, नगरी या ग्राम में, जिसके अन्दर बैंककारी कंपनी का पहले से ही कारबार का स्थान है, अथवा उसके आसपास एक मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी कारबार का स्थान खोलने को, लागू नहीं होगी ।

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 25 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 25 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 13 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (4) और (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 13 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) इस धारा के अधीन, कोई अनुज्ञा देने के पूर्व रिजर्व बैंक यह अपेक्षा कर सकेगा कि धारा 35 के अधीन निरीक्षण द्वारा या अन्यथा कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके इतिहास, उसकी सामान्य प्रबंध व्यवस्था, उसकी पूंजी की संरचना की पर्याप्तता और उसकी उपार्जन सम्भाव्यताओं की बाबत तथा इस बाबत कि, यथास्थिति, कारबार का स्थान खोलने से या उसके अवस्थान का अन्तरण करने से लोकहित साधन होगा, उसका समाधान कर दिया जाए ।

(3) रिजर्व बैंक उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकेगा, जैसी वह साधारणत: या किसी विशेष मामले के बारे में अधिरोपित करना ठीक समझे ।

(4) जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि कोई बैंककारी कंपनी इस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित शर्तों में से किसी की पूर्ति करने में किसी समय असफल रही है, वहां रिजर्व बैंक लिखित आदेश द्वारा तथा उस बैंककारी कंपनी को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध, जिसे उसके खिलाफ किए जाने की प्रस्थापना है, कारण दिखाने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसी किसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा जो इस धारा के अधीन दी गई हो ।

[1][(4क) इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक की अनुज्ञा की अपेक्षा करने वाला कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अपना आवेदन रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय बैंक की मार्फत भेजेगा जो आवेदन के गुणावगुण पर अपनी टिप्पणी देगा और उसे रिजर्व बैंक को भेजेगा :

परन्तु प्रादेशिक ग्रामीण बैंक आवेदन की अग्रिम प्रति रिजर्व बैंक को सीधे भेज सकेगा ।]

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कारबार के स्थान" के अन्तर्गत कोई ऐसा उप-कार्यालय, संदाय कार्यालय, उप-संदाय कार्यालय और कोई भी कारबार का स्थान आता है जिनमें निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं, चैक भुनाए हैं या धन उधार दिया जाता है ।

24. आस्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना—[2]* * * * *

[3][(2क) कोई अनुसूचित बैंक, उस औसत दैनिक अतिशेष के अतिरिक्त, जो वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है या जिसे रखने की उससे अपेक्षा की जाए तथा प्रत्येक अन्य बैंककारी कंपनी, उस नकद आरक्षिति के अतिरिक्त, जिसे रखने की धारा 18 के अधीन उससे अपेक्षा है, भारत में ऐसी आस्तियां रखेगा, जिनका मूल्य द्वितीय पूर्ववर्ती पक्ष के अन्तिम शुक्रवार को भारत में उसकी कुल मांग और कालिक दायित्वों के चालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होगा, जो रिजर्व बैंक, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियां, ऐसे प्ररूप और रीति में रखी जाएंगी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।]

[2]* * * * * * *

[4][(3) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और विहित रीति से एक मासिक विवरणी, उस मास के, जिससे वह सम्बन्धित है, अंत के पश्चात् बीस दिन के भीतर देगी जिसमें उस मास के दौरान प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को कारबार के बन्द होने के समय अथवा यदि कोई शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बंद होने के समय इस धारा के अनुसार रखी गई उसकी आस्तियों की और भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां दर्शित होंगी :

परन्तु प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी राष्ट्रीय बैंक को उक्त विवरणी की प्रति देगा ।]

(4) (क) यदि किसी दूसरे शुक्रवार को यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को किसी बैंककारी कंपनी द्वारा उस दिन कारबार के बंद होने के समय रखी गई रकम उपधारा (2क) [5]*** द्वारा या अधीन विहित न्यूनतम से कम पड़ती है तो ऐसी बैंककारी कंपनी उस दिन के व्यतिक्रम की बाबत रिजर्व बैंक को उस दिन के लिए उतनी रकम पर बैंक दर से अधिक तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर शास्तिक ब्याज देने के लिए दायी होगी, जितनी से वास्तव में रखी गई रकम उस दिन विहित न्यूनतम रकम से कम पड़ती है; और

(ख) यदि व्यतिक्रम अगले उत्तरवर्ती शुक्रवार को या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को पुन: किया जाता है और, यथास्थिति, उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवारों या पूर्ववर्ती कार्य दिवसों को जारी रहता है तो ऐसी प्रत्येक कमी पर शास्तिक ब्याज की दर बढ़ा कर उस दूसरे शुक्रवार और प्रत्येक उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवार या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो उस पूर्ववर्ती कार्य दिवस की बाबत, जब व्यतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक कर दी जाएगी ।

(5) (क) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से उसे ऐसी विवरणी दे जिसमें मास के प्रत्येक दिन कारबार के बंद होने के समय इस धारा के अनुसार रखी गई उसकी आस्तियों की और भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां दर्शित होंगी; और

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं०17 की धारा 2 द्वारा (23-1-2007 से) लोप किया गया ।
[3] 2007 के अधिनियम सं०17 की धारा 2 द्वारा (23-1-2007 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 26 द्वारा (29-3-1985 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 7 द्वारा लोप किया गया ।

(ख) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी दिन उपधारा (2क) [1]*** द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार रखे जाने के लिए अपेक्षित रकम रखने में किसी बैंककारी कम्पनी के असफल रहने पर रिजर्व बैंक, ऐसे व्यतिक्रम की बाबत, बैंककारी कंपनी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस दिन के लिए शास्तिक ब्याज का संदाय करे जैसा उपधारा (4) के खंड (क) में उपबंधित है और यदि व्यतिक्रम अगले उत्तरवर्ती कार्य दिवस को जारी रहता है तो शास्तिक ब्याज को संबंधित दिवसों के लिए बढ़ाया जा सकेगा जैसा उपधारा (4) के खंड (ख) में उपबंधित है ।

(6) (क) उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन संदेय शास्ति उस तारीख से, जिसको उसके संदाय की मांग करने वाली रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सूचना की तामील बैंककारी कंपनी पर की जाती है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी और ऐसी अवधि के भीतर उसका संदाय करने में बैंककारी कम्पनी के असफल रहने की दशा में शास्ति, उस क्षेत्र में, जिसमें व्यतिक्रम बैंककारी कंपनी का कार्यालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के निदेश से उद्गृहीत की जा सकेगी और ऐसा निदेश रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त न्यायालय को किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा ; और

(ख) जब न्यायालय खंड (क) के अधीन कोई निदेश देता है तब वह बैंककारी कंपनी द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र वैसी ही रीति से प्रवर्तनीय होगा मानो वह न्यायालय द्वारा किसी वाद में की गई कोई डिक्री हो ।

(7) जब किसी बैंककारी कंपनी द्वारा उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की बढ़ी हुई दर पर शास्तिक ब्याज संदेय हो गया है, और तत्पश्चात् यदि अगले उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवार को या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो अगले पूर्ववर्ती कार्य दिवस को रखे जाने के लिए अपेक्षित रकम विहित न्यूनतम से तब भी कम है तो बैंककारी कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक या सचिव और जो जानते हुए, जानबूझकर व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती दूसरे शुक्रवार या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि रिजर्व बैंक का व्यतिक्रम करने वाली बैंककारी कंपनी द्वारा लिखित रूप में आवेदन किए जाने पर यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (2क) [1]*** के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बैंककारी कंपनी के पास पर्याप्त हेतुक था तो रिजर्व बैंक शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "लोक अवकाश दिन" पद से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश दिन है] ।

25. भारत में आस्तियां—[2][(1) हर तिमाही के अन्तिम शुक्रवार को अथवा यदि वह शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय हर बैंककारी कंपनी की भारत में आस्तियां, भारत में उसके कालिक और मांग दायित्वों के पचहत्तर प्रतिशत से कम न होंगी ।

(2) प्रत्येक बैंककारी कंपनी हर तिमाही के अन्त से एक मास के अन्दर, रिजर्व बैंक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियों और दायित्वों की, जैसी वे पूर्ववर्ती तिमाही के अन्तिम शुक्रवार को कारबार के बंद होने के समय, अथवा यदि वह शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्वगामी कार्य दिवस को कारबार बन्द होने के समय हों, विहित प्ररूप में और विहित रीति से एक विवरणी प्रस्तुत करेगी :]

[3][परन्तु प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय बैंक को उक्त विवरणी की एक प्रति भी देगा ।]

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

[4][(क) "भारत में आस्तियां" के अन्तर्गत ऐसे निर्यात बिल, जो भारत में लिखे गए हैं तथा ऐसे आयात बिल, जो भारत पर लिखे गए हैं तथा ऐसे आयात बिल, जो भारत पर लिखे गए हैं और भारत में संदेय हैं तथा ऐसी करेंसियों में व्यक्त हैं जैसी रिजर्व बैंक समय-समय पर इस निमित्त अनुमोदित करें तथा ऐसी प्रतिभूतियां भी, जिन्हें रिजर्व बैंक इस निमित्त अनुमोदित करे, इस बात के होते हुए भी समझी जाएंगी कि उक्त सब बिल या प्रतिभूतियां या उनमें से कोई भारत के बाहर धारित है ;]

[5][(ख) "भारत में उसके कालिक और मांग दायित्वों" के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी की समादत्त पूंजी या आरक्षिति अथवा उसके लाभ-हानि खाते में कोई जमा अतिशेष नहीं आता;]

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 7 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 16 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 7 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 16 द्वारा (1-10-1959 से) अंत:स्थापित ।

[1][(ग)] "तिमाही" से तीन मासों की वह अवधि अभिप्रेत है जो मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होती है ।

26. उन निक्षेपों की विवरणी जिन पर कोई दावा नहीं किया गया है—प्रत्येक बैंककारी कंपनी हर कलैण्डर वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् तीस दिन के अंदर रिजर्व बैंक को ऐसे कलैण्डर वर्ष के अन्त में [2][भारत में], अपने उन सब खातों की, जिनमें कोई लेनदेन पिछले दस वर्षों [3]*** में नहीं किया गया है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से एक विवरणी प्रस्तुत करेगी :

परन्तु नियत अवधि के लिए निक्षिप्त धन की दशा में उक्त दस वर्ष की अवधि की गणना ऐसी नियत अवधि की समाप्ति की तारीख से की जाएगी :

[4][परन्तु यह और कि प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय बैंक को उक्त विवरणी की एक प्रति भी देगा ।]

[5][**26क.निक्षेपकर्ता शिक्षा औश्र जागरुकता निधि की स्थापना**—(1) रिजर्व बैंक "निक्षेपकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि" (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है) के नाम से ज्ञात निधि की स्थापना करेगा ।

(2) किसी बैंककारी कंपनी के पास भारत में किसी ऐसे खाते में, जिसको पिछले दस वर्ष की अवधि तक चलाया नहीं गया है, जमा रकम को या दस वर्ष से अधिक तक किसी निक्षेप या अदावाकृत शेष किसी रकम को दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर निधि में जमा किया जाएगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निक्षेपकर्ता को या किसी अन्य दावेदार को बैंककारी कंपनी के साथ उसके निक्षेप या अदावाकृत रकम का दावा करने से या उसका खाता या निक्षेप खाता चलाने से उक्त दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं रोकेगी और ऐसी बैंककारी कंपनी, ऐसे निक्षेप या ब्याज की ऐसी रकम का, जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिदाय करने के लिए दायी होगी ।

(3) जहां बैंककारी कंपनी ने उपधारा (2) में निर्दिष्ट परादेय रकम का संदाय किया है या ऐसे खातों या निक्षेप के प्रचालन को अनुज्ञात किया है, वहां ऐसी बैंककारी कंपनी ऐसी रीति से, जो उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(4) निधि का, निक्षेपकर्ता के हितों के संवर्धन के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निक्षेपकर्ताओं के हितों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपयोग किया जाएगा ।

(5) रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकारी या समिति को, ऐसे सदस्यों सहित, जो रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए जाएं, निधि को प्रशासित करने के लिए और निधि के संबंध में पृथक् लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसे प्ररूपों में रखने के लिए, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या समिति के लिए, ऐसे उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिनके लिए निधि स्थापित की गई है, निधि में से धनराशि को खर्च करना समक्ष होगा ।]

27. मासिक विवरणियां तथा अन्य विवरणियां और जानकारी मांगने की शक्ति—(1) प्रत्येक बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और विहित रीति से प्रत्येक मास के लिए एक विवरणी, उस मास के जिससे वह संबंधित है, उत्तरवर्ती मास के अन्त से पूर्व प्रस्तुत करेगी जिसमें संबंधित मास के अन्तिम शुक्रवार को कारबार के बन्द होने के समय अथवा यदि वह शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अवकाश दिन है तो पूर्वगामी कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय [2][भारत में] उसकी आस्तियां और दायित्व दर्शित होंगे ।

[6][(2) रिजर्व बैंक किसी बैंककारी कंपनी को किसी भी समय यह निदेश दे सकेगा कि वह इतने समय के अंदर जितना रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस बैंककारी कंपनी के कारबार या कार्यकलाप के बारे में (जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई कारबार या कार्यकलाप भी है जिससे ऐसी बैंककारी कंपनी सम्बन्धित है) ऐसे विवरण और जानकारी दे जैसी रिजर्व बैंक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त करना आवश्यक या समीचीन समझे तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह [7][उस बैंककारी कंपनी के विनिधानों के विषय में तथा उद्योग, वाणिज्य और कृषि के संबंध में उसके अग्रिम धनों के वर्गीकरण के बारे में] हर आधे वर्ष में जानकारी मांग सकेगा ।]

---

[1] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 16 द्वारा (1-10-1959 से) खंड (ख) को खंड (ग) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया गया ।
[2] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यों में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 14 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[4] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 4 धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 6 द्वारा (14-1-1957 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 17 द्वारा (1-10-1959 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(3) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसी विवरणी की एक प्रति, जिसे वह उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक को देता है, राष्ट्रीय बैंक को भी देगा और उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शास्तियां प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संबंध में राष्ट्रीय बैंक द्वारा भी प्रयोग की जाएगी ।]

[2][**28. जानकारी प्रकाशित करने की शक्ति**—रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक या दोनों यदि वे लोक हित में ऐसा करना चाहें तो—

[3][(क) इस अधिनियम के अधीन उन्हें अभिप्राप्त किसी जानकारी को ऐसे समेकित प्ररूप में जिसे वह ठीक समझे ;

(ख) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 30) के अधीन प्रकट की गई किसी प्रत्यय विषयक जानकारी को ऐसी रीति में जिसे वे उचित समझें, प्रकाशित कर सकेगा ।]

29. लेखा और तुलनपत्र—(1) प्रत्येक कलैंडर वर्ष की समाप्ति पर [4][या ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समाप्त होने वाले बारह मास की अवधि की समाप्ति पर,] प्रत्येक बैंककारी कंपनी, जो [5][भारत में] निगमित है, उस समस्त कारबार की बाबत, जो उसने किया हो, तथा प्रत्येक बैंककारी कंपनी, जो [6][भारत के बाहर] निगमित है, [7][भारत में] अपनी शाखाओं के माध्यम से किए गए समस्त कारबार की बाबत [8][यथास्थिति, उस वर्ष या कालावधि] के संबंध में तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, जैसा वह [9][यथास्थिति, उस वर्ष या कालावधि] के अंतिम कार्य दिवस को है, उन प्ररूपों में जो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं या परिस्थितियों में यथासाध्य निकटतम प्ररूपों में तैयार करेगी :

[10][परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन एक लेखा अवधि से दूसरी लेखा अवधि के संक्रमण को सुकर बनाने की दृष्टि से, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो वह, यथास्थिति, संबंधित वर्ष या कालावधि के संबंध में, तुलनपत्र या लाभ और हानि-लेखा के तैयार करने के लिए या उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए, आवश्यक या समीचीन समझती है ।]

(2) तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा—

(क) [6][भारत में] निगमित बैंककारी कंपनी की दशा में, उस कंपनी के प्रबंधक या प्रधान अधिकारी द्वारा और जहां उस कम्पनी के तीन से अधिक निदेशक हैं वहां उन निदेशकों में से कम से कम तीन द्वारा, अथवा जहां तीन निदेशकों से अधिक नहीं हैं वहां सब निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, तथा

(ख) [6][भारत के बाहर] निगमित बैंककारी कंपनी की दशा में, [7][भारत में] उस कंपनी के प्रधान कार्यालय के प्रबंधक या अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) इस बात के होते हुए भी कि किसी बैंककारी कंपनी के तुलनपत्र की बाबत उपधारा (1) के अधीन यह अपेक्षित है कि वह [11]कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची 6 के भाग 1 में दिए गए पाद-टिप्पण 12] के लिए चिह्नांकन प्ररूप से भिन्न प्ररूप में तैयार किया जाए, कंपनी के तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा से संबंधित उस अधिनियम की अपेक्षाएं वहां तक, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, बैंककारी कंपनी के, यथास्थिति, तुलनपत्र या लाभ-हानि लेखा को लागू होंगी ।

[12][(3क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210 की उपधारा (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी अवधि जिससे लाभ-हानि लेखा संबंधित है, किसी बैंककारी कंपनी की दशा में, वह अवधि होगी जो उस वर्ष के, जिसमें वार्षिक साधरण अधिवेशन होता है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम कार्य दिवस के साथ समाप्त होती है ।]

[13][**स्पष्टीकरण**—उपधारा (3क) में, "वर्ष" से, यथास्थिति, वह वर्ष या कालावधि अभिप्रेत है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है ।]

(4) केन्द्रीय सरकार अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देने के पश्चात् उन प्ररूपों को, जो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं, वैसी ही अधिसूचना द्वारा समय-समय पर संशोधित कर सकेगी ।

[14][29क. सहयुक्त उद्यमियों के संबंध में शक्ति—(1) रिजर्व बैंक किसी भी समय, किसी बैंककारी कंपनी को उसके वित्तीय विवरणों के साथ, ऐसे समय के भीतर और ऐसे अंतरालों पर, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, बैंककारी कंपनी के किसी

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 30 की धारा 34 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 8 द्वारा (30-12-1988 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "किसी राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्य के बाहर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यो में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 8 द्वारा (30-12-1988 से) "उस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 8 द्वारा (30-12-1988 से) "वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 8 द्वारा (30-12-1988 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का 7) की तीसरी अनुसूची में चिह्नांकित एफ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 27 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।
[13] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 8 द्वारा (30-12-1988 से) अंत:स्थापित ।
[14] 2013 के अधिनियम सं० 4 धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

सहयुक्त उद्यम के कारबार या कामकाज से संबंधित, ऐसे विवरण और सूचना, जो रिजर्व बैंक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, संलग्न करने या पृथक् रूप से देने का निदेश दे सकेगा ।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, किसी भी समय, किसी बैंककारी कंपनी के किसी सहयुक्त उद्यम और उसकी लेखा बहियों का, अपने एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसे सहयुक्त उद्यम को विनियमित करने वाले बोर्ड या प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाने वाला निरीक्षण करा सकेगा ।

(3) धारा 35 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के अधीन निरीक्षण को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में "सहयुक्त उद्यम" में ऐसा उद्यम सम्मलित है जो—

(i) जो बैंककारी कंपनी की कोई नियंत्री कंपनी या कोई समनुषंगी कंपनी है ; या

(ii) बैंककारी कंपनी का कोई सह उद्यम है ; या

(iii) बैंककारी कंपनी की नियंत्री कंपनी की कोई समनुषंगी कंपनी या कोई सह उद्यम है ; या

(iv) निदेशक बोर्ड या बैंककारी कंपनी को शासित करने वाले किसी अन्य निकाय की संरचना का नियंत्रण करता है ; या

(v) रिजर्व बैंक की राय में वित्तीय या नीति विषयक विनिश्चयों को लेने में बैंककारी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करता है ; या

(vi) बैंककारी कंपनी के क्रियाकलापों से आर्थिक फायदे अभिप्राप्त करने में समर्थ है ।]

30. लेखापरीक्षा—[1][(1) धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कंपनियों का लेखापरीक्षक होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है ।]

[2][(1क) उस समय प्रवृत्त किसी विधि में अथवा किसी संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक बैंककारी कंपनी किसी लेखापरीक्षक या किन्हीं लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने, पुनर्नियुक्त करने या हटाने के पूर्व रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करेगी ।]

(1ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि जब रिजर्व बैंक की यह राय है कि लोकहित में अथवा किसी बैंककारी कंपनी के या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित में यह आवश्यक है [3][तो वह किसी भी समय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि बैंककारी कंपनी के खातों की विशेष लेखापरीक्षा किसी ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग के लिए या ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, की जाएगी और उसी या किसी भिन्न आदेश द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्ति को कंपनियों का लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा या बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक को स्वयं ऐसी विशेष लेखापरीक्षा करने का निदेश दे सकेगा] और लेखापरीक्षक ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को करेगा और उसकी एक प्रति उस कंपनी को भेजेगा ।

(1ग) रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट [3][विशेष लेखापरीक्षा] के या उसके आनुषांगिक व्यय बैंककारी कंपनी द्वारा दिए जाएंगे ।]

(2) लेखापरीक्षक को वह शक्ति प्राप्त होगी, वह उन कृत्यों का निष्पादन करेगा और उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा उन दायित्वों और शास्तियों के अधीन होगा जो [4][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227] द्वारा कंपनियों के लेखापरीक्षकों [5][और संबंधित बैंककारी कंपनी को स्थापित, गठित या बनाने वाली विधि द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों, यदि कोई हों,] को प्राप्त हैं, उनमें निहित हैं या उन पर अधिरोपित हैं ।

(3) पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन, लेखापरीक्षक से अपनी रिपोर्ट में जो बात कथित करनी अपेक्षित है उनके अतिरिक्त वह [6][भारत में] निगमित बैंककारी कंपनी की दशा में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें कथित करेगा,—

(क) उसने जो जानकारी और स्पष्टीकरण अपेक्षित किए वे समाधानप्रद पाए गए हैं या नही ;

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 8 द्वारा (1-2-1969 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 8 द्वारा (1-2-1969 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 9 द्वारा (30-12-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (1-2-1969 से) "कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का 7) की धारा 145" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 9 द्वारा (30-12-1988 से) अंत:स्थापित ।

[6] 1950 के अधिनियम सं०20 की धारा 3 द्वारा "किसी राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) कंपनी के जिन संव्यवहारों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट हुआ है वे कंपनी की शक्तियों के अन्तर्गत हैं या नहीं ;

(ग) कंपनी के शाखा कार्यालयों से जो विवरणियां प्राप्त हुई हैं, वे उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं या नहीं ;

(घ) लाभ-हानि लेखा से उस अवधि के लिए, जिससे ऐसा लेखा संबंधित है, [1][लाभ या हानि] का सही अतिशेष प्रकट होता है या नहीं ;

(ङ) कोई अन्य बात जिसकी बाबत वह यह समझता है कि वह कंपनी के शेयर धारकों के ध्यान में लाई जानी चाहिए ।

31. विवरणियों का दिया जाना—धारा 29 में निर्दिष्ट लेखा और तुलनपत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित विहित रीति से प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी तीन प्रतियां विवरणी के तौर पर, उस अवधि के अंत से, जिससे वे संबंधित हैं, तीन मास के अन्दर रिजर्व बैंक को दी जाएंगी :

परंतु रिजर्व बैंक किसी मामले में, ऐसी विवरणियों के दिए जाने के लिए तीन मास की उक्त अवधि को इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो तीन मास से अधिक न हो :

[2][परंतु यह और कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ऐसी विवरणियां राष्ट्रीय बैंक को भी देगा ।]

32. तुलनपत्र और लेखाओं की प्रतियों का रजिस्ट्रार को भेजा जाना—[3][(1) जब कोई बैंककारी कंपनी किसी वर्ष अपने लेखा और तुलनपत्र धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार देती है तब वह उसी समय उक्त लेखाओं और तुलनपत्र की और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तीन प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजेगी, तथा जब ऐसी प्रतियां, इस प्रकार भेजी जाती हैं तब, पब्लिक कंपनी की दशा में, लेखाओं और तुलनपत्र की तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियों को, और प्राइवेट कंपनी की दशा में, तुलनपत्र की और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियों को, रजिस्ट्रार के यहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 220 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में फाइल करना आवश्यक न होगा ; तथा इस प्रकार भेजी गई प्रतियां उसी फीस से प्रभार्य होंगी और उनसे सभी मामलों में ऐसे बरता जाएगा मानो वे उस धारा के अनुसार फाइल की गई हों ।

(2) यदि रिजर्व बैंक धारा 27 की उपधारा (2) के अनुसरण में धारा 31 के अधीन दिए गए तुलनपत्र और लेखाओं के संबंध में कोई अतिरिक्त विवरण या जानकारी मांगता है तो जब बैंककारी कंपनी ऐसा विवरण या जानकारी दे तब वह रजिस्ट्रार को उसकी एक प्रति भेजेगी ।

33. भारत के बाहर निगमित कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षित तुलनपत्र का संप्रदर्शन—[4][भारत के बाहर] निगमित प्रत्येक बैंककारी कंपनी धारा 29 के अधीन तैयार किए गए अपने अंतिम बार लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि की एक प्रति, किसी वर्ष के जिसमें वह कारबार करती है, अगस्त के पहले सोमवार तक या उससे पहले अपने प्रधान कार्यालय मे और [5][भारत में] प्रत्येक शाखा कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में संप्रदर्शित कर देगी, तथा उस प्रति को तब तक संप्रदर्शित रखेगी जब तक ऐसे तैयार किए गए पश्चात्वर्ती तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा की प्रति उसके बदले में न रख दी जाए तथा प्रत्येक ऐसी बैंककारी कंपनी अपने अपने बैंककारी कारबार से संबंधित अपने पूरे लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा की प्रतियों को, ज्यों ही वे उपलब्ध हो जाएं उसी रीति से वैसे ही संप्रदर्शित करेगी तथा उन प्रतियों को तब तक ऐसे संप्रदर्शित रखेगी जब तक ऐसे पश्चात्वर्ती लेखाओं की प्रतियां उपलब्ध न हो जाएं ।

34. इस अधिनियम के लेखा संबंधी उपबन्धों का भूतलक्षी न होना—इस अधिनियम की कोई बात ऐसे लेखा वर्ष की बाबत, जिसका अवसान इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हो गया है, बैंककारी कंपनी द्वारा लेखाओं की तैयारी को तथा उनकी लेखा परीक्षा किए जाने तथा उनके प्रस्तुत किए जाने को लागू नहीं होंगी तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी ऐसे लेखा इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार तैयार किए जाएंगे, लेखापरीक्षित किए जाएंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे ।

[6]**[34क. गोपनीय स्वरूप के दस्तावेजों का पेश किया जाना**—(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 11 में, अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई बैंककारी कंपनी उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में या उससे पैदा होने वाली या उससे संबंधित किसी अपील या अन्य कार्यवाही में ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है, अपनी लेखाबहियों में से किसी को या अन्य दस्तावेज को पेश करने के लिए या उसका निरीक्षण करने के लिए अथवा कोई विवरण या जानकारी देने या प्रकट करने के लिए उस दशा में विवश नहीं की जाएगी जब वह बैंककारी कंपनी दावा करती है कि ऐसी दस्तावेज, विवरण या जानकारी गोपनीय प्रकार की है और ऐसी दस्तावेज की पेशी या निरीक्षण अथवा ऐसे विवरण या जानकारी के दिए जाने या प्रकटन के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित जानकारी का प्रकटन आ जाएगा—

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 15 द्वारा (1-2-1964 से) "लाभ और हानि का" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची, भाग 2 द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 19 द्वारा (1-10-1959 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यों के बाहर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यों में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1960 के अधिनियम सं० 23 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

(क) ऐसी कोई आरक्षितियां, जो उसके प्रकाशित तुलनपत्र में उस रूप में नहीं दिखाई गई हैं, अथवा

(ख) डूबे और शंकास्पद ऋणों के लिए किए गए उपबंधों तथा अन्य सामान्य या आवश्यक उपबंधों से संबद्ध कोई विशिष्टियां जो उसमें नहीं दिखाई गई हैं।

(2) यदि भारतीय रिजर्व बैंक से भिन्न किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही में इस बारे में कोई प्रश्न पैदा होता है कि कोई रकम जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट आरक्षितियों या उपबंधों के अन्तर्गत है उस प्राधिकारी द्वारा हिसाब में ली जाए या नहीं जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है, तो यदि वह प्राधिकारी ठीक समझे तो वह उस प्रश्न को रिजर्व बैंक को निर्देशित कर सकेगा तथा रिजर्व बैंक उपर्युक्त बैंककारिता सिद्धांतों तथा उस बैंककारी कंपनी से संबंधित सब सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उस प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि वह प्राधिकारी किसी रकम को जो उस बैंककारी कंपनी की ऐसी आरक्षितियों और उपबंधों के अन्तर्गत है, हिसाब में न लें अथवा वह उतनी ही रकम तक उनको हिसाब में ले जितनी प्रमाणपत्र में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट है तथा रिजर्व बैंक का उस प्रश्न पर वह प्रमाणपत्र अंतिम होगा और उस पर ऐसी किसी कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जाएगी।

[1][(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी कंपनी" के अंतर्गत रिजर्व बैंक, [2]***, निआ बैंक, [3][पुनर्निर्माण बैंक], [4][राष्ट्रीय आवास बैंक], राष्ट्रीय बैंक, [5][लघु उद्योग बैंक], भारतीय स्टेट बैंक, तत्स्थानी नया बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और समनुषंगी बैंक हैं।]

35. निरीक्षण—(1) [6][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 235] में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी का तथा उसकी बहियों और लेखाओं का निरीक्षण किसी भी समय अपने एक या अधिक अधिकारियों से करा सकेगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किए जाने पर कराएगा ; और रिजर्व बैंक ऐसे निरीक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति बैंककारी कंपनी को देगा।

[7][(1क) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी के कार्यों तथा उसकी बहियों और लेखाओं की संवीक्षा किसी भी समय, अपने एक या अधिक अधिकारियों से करा सकेगा ; और

(ख) यदि बैंककारी कंपनी संवीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुरोध करती है या यदि संवीक्षा के आधार पर बैंककारी कंपनी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई अनुध्यात है तो उस रिपोर्ट की प्रति बैंककारी कंपनी को दी जाएगी।]

(2) बैंककारी कंपनी के प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी [8][या कर्मचारी] का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन सब ऐसी बहियों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण [7][या उपधारा (1क) के अधीन संवीक्षा] कर रहे किसी अधिकारी के समक्ष उतने समय के अंदर पेश करे तथा उस बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों संबंधी ऐसा कोई विवरण और जानकारी, जैसा उक्त अधिकारी उससे अपेक्षित करे, उतने समय के अंदर दे, जितना उक्त अधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण [7][या उपधारा (1क) के अधीन संवीक्षा] कर रहा है, बैंककारी कंपनी के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी [8][या कर्मचारी] की उसके कारबार के संबंध में शपथ पर परीक्षा कर सकेगा तथा तद्नुसार शपथ दिला सकेगा।

(4) रिजर्व बैंक इस धारा के अधीन किए गए किसी निरीक्षण [7][या संवीक्षा] के बारे में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट उस दशा में देगा जब निरीक्षण कराने का निदेश उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया हो तथा अन्य किसी दशा में दे सकेगा और यदि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों को उसके निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रूप में चलाया जा रहा है, तो वह उस बैंककारी कंपनी को उस रिपोर्ट के संबंध में अभ्यावेदन करने का ऐसा अवसर देने के पश्चात् जैसा केन्द्रीय सरकार की राय में उचित प्रतीत हो, लिखित आदेश द्वारा—

(क) उस बैंककारी कंपनी को कोई नए निक्षेप प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;

(ख) रिजर्व बैंक को निदेश दे सकेगी कि वह उस बैंककारी कम्पनी के परिसमापन के लिए धारा 38 के अधीन आवेदन करे :

---

[1] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 28 द्वारा (15-2-1984 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 53 की धारा 12 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 62 की धारा 17 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-3-1985 से) अन्त:स्थापित।
[4] 1987 के अधिनियम सं० 53 की धारा 56 और दूसरी अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अन्त:स्थापित।
[5] 1989 के अधिनियम सं० 39 की धारा 53 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-3-1990 से) अन्त:स्थापित।
[6] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 138" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 29 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित।
[8] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 17 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित।

परन्तु केन्द्रीय सरकार इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, किसी आदेश का इस उपधारा के अधीन पारित किया जाना आस्थगित कर सकेगी अथवा ऐसे किसी आदेश को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर रद्द या परिवर्तित कर सकेगी जिन्हें लगाना वह ठीक समझे ।

(5) केन्द्रीय सरकार बैंककारी कम्पनी को समुचित सूचना देने के पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट या उसका इतना भाग, जितना आवश्यक प्रतीत हो, प्रकाशित कर सकेगी ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बैंककारी कम्पनी" पद के अंतर्गत—

(i) ऐसी बैंककारी कम्पनी की दशा में, जो भारत के बाहर निगमित है, भारत में उसकी सब शाखाएं हैं; तथा

(ii) ऐसी बैंककारी कंपनी की दशा में, जो भारत में निगमित है—

(क) उसकी ऐसी सब समनुषंगी कंपनियां हैं जो अनन्य रूप से भारत के बाहर बैंककारी कारबार करने के प्रयोजन के लिए कायम की गई हैं ; तथा

(ख) उसकी सब शाखाएं हैं चाहे वह भारत में हों या भारत के बाहर ।]

[2][(6) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के संबंध में इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां (किसी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा, ऐसी शक्तियों के प्रयोग पर जब भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संबंध में राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रयोग की जा सकेगी और तद्नुसार उपधारा (1) से (5) तक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संबंध में वैसे ही लागू होंगी मानो रिजर्व बैंक के लिए उनमें किए गए प्रत्येक निर्देश के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक के प्रति निर्देश भी है ।]

[3][**35क. रिजर्व बैंक की निदेश देने की शक्ति**—(1) यदि रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि—

(क) [4][लोकहित] में; अथवा

[5][(कक) बैंककारी नीति के हित में ; अथवा]

(ख) किसी बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों का उसके निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रीति से अथवा बैंककारी कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से चलाया जाना रोकने के लिए; अथवा

(ग) साधारणत: किसी बैंककारी कंपनी को समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए,

यह आवश्यक है कि साधारणत: बैंककारी कम्पनियों को या विशिष्टत: किसी बैंककारी कंपनी को निदेश दिए जाएं, तो वह समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझता है और, यथास्थति, बैंककारी कंपनियां या बैंककारी कंपनी ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी ।

(2) रिजर्व बैंक, उसे अभ्यावेदन किए जाने पर अथवा स्वप्रेरणा से, ऐसे किसी निदेश को परिविर्तित या रद्द कर सकेगा जो उपधारा (1) के अधीन दिया गया है तथा किसी निदेश को ऐसे परिवर्तित करने या रद्द करने में ऐसी शर्तें, जैसी वह ठीक समझता है, लगा सकेगा जिनके अधीन रहते हुए वह परिवर्तन या रद्दकरण प्रभावी होगा ।

35ख. प्रबंध निदेशकों आदि की नियुक्तियों से संबंधित उपबंधों के संशोधनों का रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के अधीन होना—(1) किसी बैंककारी कंपनी की दशा में—

(क) [6][निदेशकों की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या अथवा], [7][अध्यक्ष, [8][प्रबंध निदेशक या किसी अन्य निदेशक की, चाहे वह पूर्णकालिक हों या न हों], अथवा प्रबन्धक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की,] चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति के पर्यवसान अथवा पारिश्रमिक से संबंधित किसी उपबंध का कोई भी संशोधन, चाहे वह उपबंध कंपनी के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों में हो अथवा उसके द्वारा किए गए किसी करार में हो अथवा उस कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में पारित अथवा उसके निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किसी संकल्प में हो, तब तक प्रभावी न होगा जब तक वह रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता ;

---

[1] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 17 द्वारा (1-10-1959 से) जोड़ा गया ।
[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 द्वारा और दूसरी अनुसूची, भाग 2 द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 7 द्वारा (14-1-1957 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1961 के अधिनियम सं०7 की धारा 2 द्वारा "राष्ट्रीय हित" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1986 के अधिनियम सं० 58 की धारा 10 द्वारा (1-2-1957 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 30 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 11 द्वारा (1-2-1969 से) "नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या पारिश्रमिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 21 द्वारा (1-10-1959 से) "प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या ऐसे निदेशक की, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त नहीं होगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति का पर्यवसान तक तक प्रभावी न होगा जब तक ऐसी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति का पर्यवसान रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से नहीं किया जाता ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, [3][अध्यक्ष या प्रबंधक] या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या प्रबंध निदेशक या किसी अन्य निदेशक की, चाहे वह पूर्णकालिक हो या न हो, पदावधि के दौरान या उसके पर्यवसान के पश्चात् किसी भी रूप में कोई फायदा प्रदान करने वाला या कोई सुख-सुविधा अथवा परिलब्धि उपलब्ध करने वाला कोई उपबंध उसके पारिश्रमिक से संबंधित उपबंध समझा जाएगा ।]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा [4][268 और 269 में, धारा 309 की उपधारा (3) के परन्तुक में, धारा 310 और 311 में, धारा 387 के परन्तुक में तथा धारा 388 में] (वहां तक, जहां तक कि [5][धारा 269, 310 और 311 के उपबंधों को] धारा 388, किसी कंपनी के प्रबंधक के संबंध में लागू करती है) अंतर्विष्ट कोई बात [6][किसी ऐसे मामले को लागू नहीं होगी जिसके बारे में रिजर्व बैंक का अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त करना होता है]।

[7][(2क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 198 की कोई बात किसी बैंककारी कंपनी को लागू नहीं होगी और उस अधिनियम की धारा 309 की उपधारा (1) के तथा धारा 387 के उपबंध वहां तक जहां तक वे किसी बैंककारी कंपनी को लागू होते हैं, वैसे ही प्रभावी होंगे, मानो उस अधिनियम की धारा 198 का उक्त उपबंधों में कोई निदेश नहीं किया गया था ।]

(3) [8][अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में] या ऐसे निदेशक के रूप में जो चक्रानुक्रम से निवर्तन का भागी नहीं है, या प्रबन्धक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य इस आधार पर अविधिमान्य न समझा जाएगा कि तत्पश्चात् यह पता चलता है कि उसकी [9][नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति] इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के कारण प्रभावी नहीं हुई थी, किन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य को विधिमान्य बनाती है जो बैंककारी कम्पनी को यह दर्शित करने के पश्चात् किया जाता है कि उसकी [9][नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति] प्रभावी नहीं हुई थी ।]

36. रिजर्व बैंक की अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य—(1) रिजर्व बैंक—

(क) साधारणत: बैंककारी कम्पनियों को या विशिष्टत: किसी बैंककारी कंपनी को कोई विशिष्ट संव्यवहार या विशिष्ट वर्ग के संव्यवहार करने के विरुद्ध सावधान या प्रतिषिद्ध कर सकेगा तथा साधारणत: किसी बैंककारी कंपनी को सलाह दे सकेगा ;

(ख) संबंधित कंपनियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर तथा धारा [10][44क] के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी बैंककारी कंपनियों के समामेलन की प्रस्थापनाओं के संबंध में मध्यवर्ती के रूप में या अन्यथा सहायता कर सकेगा ;

(ग) किसी बैंककारी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अधीन उधार या अग्रिम धन देकर उसकी सहायता कर सकेगा ;

[11][(घ) [12][लिखित आदेश द्वारा और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उसमें विनिर्दिष्ट हों—

(i) बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों से संबद्ध या उससे पैदा हुए किसी मामले पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए बैंककारी कंपनी से उसके निदेशकों का अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा अथवा रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी से ऐसे किसी मामले के बारे मे बैंककारी कम्पनी के किसी अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करने की अपेक्षा ;

(ii) बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के या उस द्वारा गठित किसी समिति के या किसी अन्य निकाय के किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों को देखने के लिए अपने अधिकारियों में से एक या अधिक की प्रतिनियुक्ति, और ऐसे प्रतिनियुक्त अधिकारियों को ऐसे अधिवेशनों में सुने जाने का अवसर देने के लिए बैंककारी कंपनी से अपेक्षा तथा ऐसी कार्यवाहियों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देने के लिए ऐसे अधिकारियों से भी अपेक्षा ;

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 11 द्वारा (1-2-1969 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 21 द्वारा (1-10-1959 से) जोड़ा गया ।
[3] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 11 द्वारा (1-2-1969 से) "प्रबंधक की" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1962 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा "268, 269, 310, 311 और 388" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 30 द्वारा (15-2-1984 से) "धारा 310 के उपबन्ध" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 21 द्वारा (1-10-1959 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 30 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 12 द्वारा (1-2-1969 से) "प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 11 द्वारा (1-2-1969 से) "नियुक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 22 द्वारा (1-10-1959 से) "45" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 8 द्वारा (14-1-1959 से) खण्ड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 12 द्वारा (1-2-1969 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iii) ऐसे अधिकारी को जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो बोर्ड, उसके द्वारा गठित समिति या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन की सूचनाएं और उनसे संबंधित अन्य संसूचनाएं लिखित रूप में उसके सामान्य पते पर देने के लिए बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड से या उसके द्वारा गठित किसी समिति से या किसी अन्य निकाय से अपेक्षा ;

(iv) यह देखने के लिए कि बैंककारी कंपनी के या उसके कार्यालयों के या शाखाओं के कार्यकलाप किस रीति से चलाए जा रहे हैं तथा उनके बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए अपने अधिकारियों में से एक या अधिक की नियुक्ति ;

(v) बैंककारी कंपनी से अपने प्रबंध व्यवस्था में ऐसी तब्दीलियां, जैसी रिजर्व बैंक आवश्यक समझे, [1]*** इतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, करने के लिए अपेक्षा,]

किसी भी समय उस दशा में कर सकेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि लोकहित में या बैंककारी नीति के हित में अथवा बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों का उस बैंककारी कंपनी के या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाया जाना रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ।

(2) रिजर्व बैंक देश में बैंककारी की प्रवृत्ति और प्रगति के विषय में एक वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 के खण्ड (2) के अधीन उसके क्रियाकलापों का विशिष्टत: निर्देश करते हुए और देश भर में बैंककारी कारबार को सुदृढ़ बनाने के अपने सुझाव, यदि कोई हों, ऐसी रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए, केंद्रीय सरकार को देगा ।

(3) रिजर्व बैंक बैंककारी कंपनियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई विवरणियों, विवरणों और जानकारी की संवीक्षा करने के लिए तथा साधारणत: इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कर्मचारिवृंद ऐसे स्थानों पर नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

[2][**36क. अधिनियम के कुछ उपबंधों का कतिपय बैंककारी कंपनियों को लागू न होना**—(1) धारा 11 के, धारा 12 की उपधारा (1) के तथा धारा 17, 18, 24 और 25 के उपबंध ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू न होंगे :—

(क) जिसे बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 33) के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर दिया गया है अथवा ऐसे किसी समझौते, ठहराव या स्कीम के द्वारा, जो किसी न्यायालय ने मंजूर की है, या ऐसे किसी आदेश के द्वारा, जो ऐसे समझौते, ठहराव या स्कीम से संबंधित किसी कार्यवाही में दिया गया है, नए निक्षेप स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, या उसके ज्ञापन में किए गए किसी परिवर्तन के आधार पर निक्षेप स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ; अथवा

(ख) जिसकी अनुज्ञप्ति बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 33) के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् धारा 22 के अधीन रद्द कर दी गई है ।

(2) यदि रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि ऐसी किसी बैंककारी कंपनी ने, जैसी उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, उस बैंककारी कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए थे सब निक्षेपों को या तो पूर्णत: या अधिकतम संभव मात्रा तक वापस कर दिया है या वापस करने के लिए यथेष्ट उपबंध कर दिया है, तो रिजर्व बैंक, राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा, अधिसूचित कर सकेगा कि वह बैंककारी कंपनी इस अधिनियम के अर्थ में बैंककारी कंपनी नहीं रह गई है, तथा तब इस अधिनियम के वे सब उपबंध, जो ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू होते है, ऐसी सूचना के पूर्व की गई या न की गई बातों के ही संबंध में लागू होंगे अन्यथा नहीं ।]

[3][**भाग 2क**

प्रबन्ध व्यवस्था पर नियंत्रण

36कक. रिजर्व बैंक की प्रबंधकार और अन्य व्यक्तियों को पद से हटाने की शक्ति—(1) यदि रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि लोकहित में या बैंककारी कंपनी का कार्यकलापों को उसके निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाया जाना रोकने के लिए अथवा किसी बैककारी कंपनी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उस बैंककारी कंपनी के [4][अध्यक्ष, निदेशक], मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) या अन्य अधिकारी या कर्मचारी को पद से हटा दिया जाए तो रिजर्व बैंक, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा उस तारीख से ऐसा कर सकेगा जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 12 द्वारा (1-2-1969 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 23 द्वारा (1-10-1959 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 18 द्वारा (1-2-1964 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "किसी निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा [1][जब तक अध्यक्ष, निदेशक] या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को या अन्य संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध रिजर्व बैंक से अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता :

परंतु यदि रिजर्व बैंक की यह राय है किसी प्रकार का विलंब बैंककारी कंपनी या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर होगा तो रिजर्व बैंक पूर्वोक्त अवसर देने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि जब तक पूर्वोक्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार लंबित रहे तब तक, [2][यथास्थिति, अध्यक्ष, निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी] या अन्य अधिकारी या कर्मचारी ऐसे आदेश की तारीख से—

(क) उस बैंककारी कंपनी के [3][ऐसे अध्यक्ष या निदेशक या] मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य न करेगा ;

(ख) प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उस बैंककारी कंपनी से संपर्क नहीं रखेगा या उसके प्रबंध में भाग नहीं लेगा ।

(3) (क) जिस व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन हटाए जाने का आदेश दिया गया है, वह उस आदेश के उसे संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के अंदर केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(ख) ऐसी अपील पर केंद्रीय सरकार का तथा उसके अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी ।

(4) जब किसी बैंककारी कंपनी के [4][अध्यक्ष, निदेशक या] मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के बारे में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तब वह उस बैंककारी कंपनी का [5][यथास्थिति, अध्यक्ष या निदेशक या] मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी न रह जाएगा और पांच वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी बैंककारी कंपनी से सम्पर्क नहीं रखेगा या उसके प्रबंध में भाग नहीं लेगा ।

(5) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके बारे में रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के परंतुक के अधीन कोई आदेश दिया जाता है, इस उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो हर ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दौ सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाता है वहां रिजर्व बैंक [6][उस अध्यक्ष या निदेशक या] मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी के स्थान पर, जो उस उपधारा के अधीन अपने पद से हटाया गया है, किसी उपयुक्त व्यक्ति को लिखित आदेश द्वारा ऐसी तारीख से नियुक्त कर सकेगा जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन [7][अध्यक्ष, निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या] अन्य अधिकारी या कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति—

(क) रिजर्व बैंक के प्रसादपर्यन्त और उसके अधीन रहते हुए तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या एक समय पर तीन वर्ष से अनधिक इतनी अतिरिक्त अवधियों के लिए, जितनी रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा ;

(ख) ऐसा [2][अध्यक्ष, निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी] होने के या ऐसा अन्य अधिकारी या कर्मचारी होने के ही कारण अथवा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या न की गई किसी बात के लिए किसी बाध्यता या दायित्व के अधीन न होगा ।

(8) किसी विधि या संविदा में या संगम-ज्ञापन में या संगम-अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के पद से हटाए जाने पर वह व्यक्ति पद की हानि या समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

36कख. रिजर्व बैंक की अपर निदेशक नियुक्त करने की शक्ति—(1) रिजर्व बैंक लिखित आदेश द्वारा, समय-समय पर ऐसी तारीख से, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, एक या अधिक व्यक्तियों को बैंककारी कंपनी के अपर निदेशकों के रूप में पद धारण करने के लिए उस दशा में नियुक्त कर सकेगा [8][जब उसकी राय है कि बैंककारी नीति के हित में या लोकहित में या बैंककारी कंपनी या] उसके निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है ।

[9]* * * * *

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "जब तक निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "यथास्थिति, निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "ऐसे निदेशक के रूप में कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "यथास्थिति, निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 13 द्वारा (1-2-1969 से) "निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 14 द्वारा (1-2-1969 से) "राय है कि" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 31 द्वारा (15-2-1984 से) लोप किया गया ।

(2) इस धारा के अनुसरण में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति—

(क) रिजर्व बैंक के प्रसादपर्यन्त और उसके अधीन रहते हुए तीन वर्ष से अनधिक अवधियों के लिए या एक समय पर तीन वर्ष से अनधिक इतनी अतिरिक्त अवधियों के लिए, जितनी रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा ;

(ख) ऐसा निदेशक होने के ही कारण अथवा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई या न की गई किसी बात के लिए किसी बाध्यता या दायित्व के अधीन न होगा ; और

(ग) बैंककारी कंपनी में अर्हतादायी शेयर धारण करने के लिए अपेक्षित न होगा ।

(3) बैंककारी कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के किसी अनुपात की गणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी अपर निदेशक को, जो इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

36कग. भाग 2क का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना—धारा 36कक या धारा 36कख के अनुसरण में किसी निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति या उसका हटाया जाना, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावशील होगा ।

[1][भाग 2कख

बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण

36कगक. कतिपय मामलों में निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण— (1) जहां रिजर्व बैंक का, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या किसी बैंककारी कंपनी के कामकाज को निक्षेपकर्ताओं या किसी बैंककारी कंपनी के हितों के लिए हानिकर किसी रीति से करने से निवारित करने के लिए या किसी बैंककारी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां रिजर्व बैंक, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगा :

परंतु निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि को समय-समय पर इस प्रकार विस्तारित किया जा सकेगा, तथापि कुल अवधि बारह मास से अधिक की नहीं होगी ।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के अधीन बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, ऐसे किसी प्रशासक को (जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) नियुक्त कर सकेगा जिसके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखा-कर्म में अनुभव हो ।

(3) रिजर्व बैंक, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह उचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(4) किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश किए जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या ऐसी बैंककारी कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाता है, ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड को पुर्नगठित किए जाने तक उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा :

परंतु प्रशासक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति ऐसी बैंककारी कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य है ।

(5) रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रशासक की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे तीन या अधिक व्यक्तियों की एक समिति का गठन कर सकेगा जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखा-कर्म में अनुभव है ।

(6) समिति, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) प्रशासक और रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और संबंधित बैंककारी कंपनी द्वारा संदेय होंगे ।

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि के अवसान से पूर्व दो मास की समाप्ति पर या उसके पूर्व, बैंककारी कंपनी का प्रशासक, नए निदेशकों को निर्वाचित करने और निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाएगा।

(9) किसी अन्य विधि, या किसी संविदा या ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन के ठीक पश्चात् अपना पद रिक्त कर देगा।]

[1][भाग 2ख

बैंककारी कंपनियों के संबंध में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध

36कघ. बैंककारी कंपनियों के संबंध में कतिपय क्रियाकलापों के लिए दंड—(1) कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी बैंककारी कंपनी के किसी कार्यालय में या कारबार के स्थान में किसी व्यक्ति को विधिपूर्वक प्रवेश करने या वहां से निकलने अथवा वहां कोई कारबार करने से बाधित नहीं करेगा ; या

(ख) किसी बैंककारी कंपनी के कार्यालय या कारबार के स्थान में कोई ऐसा प्रदर्शन न करेगा जो हिंसात्मक है या जो बैंककारी कम्पनी द्वारा साधारण कारबार करने में रुकावट डालता है या रुकावट डालने के लिए प्रकल्पित है ; या

(ग) इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा जो बैंककारी कंपनी में निक्षेपकर्ताओं के विश्वास को समाप्त करने के लिए प्रतिकल्पित हो।

(2) जो कोई किसी उचित कारण के बिना उपधारा (1) के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

[2][(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी कम्पनी" के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, [3]***, निआ बैंक, [4][पुनर्निर्माण बैंक,] [5][राष्ट्रीय आवास बैंक], राष्ट्रीय बैंक, [6][लघु उद्योग बैंक], भारतीय स्टेट बैंक, तत्स्थानी नया बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और समनुषंगी बैंक है।]

भाग 2ग

कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनियों के उपक्रमों का अर्जन

36कङ. केंद्रीय सरकार की कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनियों के उपक्रमों को अर्जित करने की शक्ति—(1) यदि रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मिलने पर केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि—

(क) कोई बैंककारी कंपनी धारा 21 या धारा 35क के अधीन लिखित रूप में उसको दिए गए निदेशों का, जहां तक ऐसे निदेश बैंककारी नीति से संबंधित हैं, अनुपालन करने में एक से अधिक बार असफल रही है ; या

(ख) किसी बैंककारी कंपनी का प्रबंध उसके निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रूप से किया जा रहा है ;

और कि—

(i) ऐसी बैंककारी कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हित में ; अथवा

(ii) बैंककारी नीति के हित में ; अथवा

(iii) साधारणत: उधार का अथवा समुदाय के किसी विशिष्ट वर्ग को या किसी विशिष्ट क्षेत्र में उधार का बेहतर उपबंध करने के लिए,

यह आवश्यक है कि ऐसी बैंककारी कंपनी के उपक्रम को अर्जित कर लिया जाए जो केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक से ऐसा परामर्श करने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी कंपनी के (जिसे इसमें इसके पश्चात् अर्जित बैंक कहा गया है) उपक्रम को, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी तारीख से (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है) अर्जित कर सकेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए :

---

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 15 द्वारा (1-2-1969 से) अन्त:स्थापित।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 32 द्वारा (15-2-1984 से) उपधारा (3) प्रतिस्थापित।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 53 की धारा 12 अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
[4] 1984 के अधिनियम सं० 62 की धारा 71 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-3-1985 से) अंत:स्थापित।
[5] 1987 के अधिनियम सं० 53 की धारा 56 और दूसरी अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अंत:स्थापित।
[6] 1989 के अधिनियम सं० 39 की धारा 53 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-3-1990 से) अन्त:स्थापित।

परंतु किसी बैंककारी कंपनी के उपक्रम को इस प्रकार तब तक अर्जित न किया जाएगा जब तक ऐसी बैंककारी कंपनी को प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस भाग में,—

(क) "अधिसूचित आदेश" में राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है ;

(ख) "उपक्रम" से भारत के बाहर निगमित बैंककारी कंपनी की दशा में भारत में उस कंपनी का उपक्रम अभिप्रेत है ।

(2) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन को, अर्जित बैंक का उपक्रम और अर्जित बैंक को सब अस्तियां और दायित्व केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(3) अर्जित बैंक के उपक्रम तथा उसकी आस्तियों और दायित्वों की बाबत यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा विशिष्टतया रोकड़-बाकी, आरक्षित निधियों, विनिधानों, निक्षेपों सहित सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति तथा ऐसी संपत्ति में या उससे पैदा होने वाले अन्य सब हित और अधिकार जो अर्जित बैंक के कब्जे में नियत दिन से ठीक पूर्व थे या उसके द्वारा धारित थे तथा उससे संबंधित सब बहियां, लेखे और दस्तावेज हैं, और यह भी समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत अर्जित बैंक के उस समय विद्यमान सभी प्रकार के ऋण, दायित्व और बाध्यताएं भी हैं ।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि कंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि अर्जित बैंक का उपक्रम तथा उसकी आस्तियां और दायित्व केंद्रीय सरकार में निहित होने अथवा ऐसे निहित बने रहने के बदले, इस भाग के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन स्थापित किसी कंपनी में अथवा किसी निगम में (जिसे इसके पश्चात् इस भाग में तथा पांचवीं अनुसूची में "अंतरिती बैंक" कहा गया है) निहित हों, तो वह सरकार आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उक्त उपक्रम अपनी आस्त्यिों और दायित्वों सहित, या तो अधिसूचित आदेश के प्रकाशन पर अथवा ऐसी अन्य तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरिती बैंक में निहित हो जाएंगे ।

(5) जहां अर्जित बैंक का उपक्रम और उसकी आस्तियां और दायित्व उपधारा (4) के अधीन अंतरिती बैंक में निहित होते हैं वहां अंतरिती बैंक की बाबत यह समझा जाएगा कि ऐसे निहित होने की तारीख से वह अर्जित बैंक का अंतरिती हो गया है तथा अर्जित बैंक के संबंध में सब अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से अंतरिती बैंक के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

(6) उस दशा के सिवाय जब कि इस भाग द्वारा या इसके अधीन स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित है ऐसी सब संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार-पत्र और सभी प्रकार की अन्य लिखतें जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान हैं या प्रभावी हैं और जिनका अर्जित बैंक एक पक्षकार है, या जो अर्जित बैंक के पक्ष में हैं, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में वैसे ही पूर्णत: प्रवृत्त और प्रभावी होंगी और वैसे ही पूर्णरूप से और प्रभावी तौर पर प्रवर्तित की जा सकेंगी या क्रियान्वित की जा सकेंगी मानो अर्जित बैंक के स्थान पर उनको पक्षकार केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक रहा हो या मानो वे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी हुई हों ।

(7) यदि नियत दिन को कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही, अर्जित बैंक के द्वारा या उसके खिलाफ लंबित है, तो उसका अर्जित बैंक के उपक्रमों के अंतरण के अथवा इस भाग में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या किसी भी प्रकार उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक के द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

36कच. केंद्रीय सरकार की स्कीम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार किसी अर्जित बैंक के संबंध में इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् कोई स्कीम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त स्कीम में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) संबद्ध प्रयोजन के लिए निगमित निगम या कंपनी जिसे अर्जित बैंक की संपत्ति, आस्तियों और दायित्वों के सहित उसका उपक्रम अंतरित किया जा सकेगा तथा उसकी पूंजी और उसका गठन, नाम और कार्यालय ;

(ख) अंतरिती बैंक के प्रथम प्रबंध बोर्ड का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) गठन तथा उससे संबंधित या उसकी आनुषंगिक ऐसी सब बातें जैसी केंद्रीय सरकार आवश्यक या समीचीन समझे ;

(ग) अर्जित बैंक के [जो कर्मचारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार न होते हुए, स्कीम में विनिर्दिष्टत: उल्लिखित है उनको छोड़कर] सब कर्मचारियों की सेवाओं का, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार में या अंतरिती बैंक में यावत्शक्य उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बना रहना जो धारा 45 की उपधारा (5) के खंड (झ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट है ;

(घ) नियत दिन को जो कोई व्यक्ति अर्जित बैंक से या किसी भविष्य निधि, पेंशन या अन्य निधि अथवा ऐसी निधि का प्रशासन करने वाले किसी प्राधिकारी से किसी पेंशन या अन्य अधिवार्षिकी या अनुकंपा भत्ते या फायदे का हकदार है या उसे प्राप्त कर रहा है, उसके उसी पेंशन, भत्ते या फायदे को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक अथवा किसी भविष्य

निधि, पेंशन या अन्य निधि अथवा ऐसी निधि का प्रशासन करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक दिए जाते रहने के या उससे तब तक प्राप्त करने के हक का बना रहना जब तक वह उन शर्तों का अनुपालन करता है जिन पर वह पेंशन, भत्ता या फायदा मंजूर किया गया था और यदि इस बाबत कोई प्रश्न पैदा होता है कि उसने ऐसी शर्तों का इस प्रकार अनुपालन किया है या नहीं तो वह प्रश्न केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा और उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ;

(ङ) अर्जित बैंक के शेयरधारकों को, अथवा जहां अर्जित बैंक भारत के बाहर निगमित बैंककारी कंपनी है वहां अर्जित बैंक को, यथास्थिति, उनके या उसके दावों के पूर्ण तुष्टि के तौर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार देय प्रतिकर का संदाय करने की रीति ;

(च) जो कोई आस्ति या दायित्व अर्जित बैंक के भारत के बाहर के किसी देश में उपक्रम का भाग है उसका केन्द्रीय सरकार या अन्तरित बैंक को प्रभावी अंतरण पूरा करने के लिए उपबन्ध, यदि कोई हो ;

(छ) ऐसी आनुषंगिक, पारिणामिक या अनुपूरक बातें जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि अर्जित बैंक के कारबार उसकी संपत्ति, आस्तियों और दायित्वों का, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक को प्रभावी और पूर्ण अंतरण हो जाता है ।

(3) केंद्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में कोई परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(5) इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम की प्रतियां उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी ।

(6) इस भाग के तथा इसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंध इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में या किसी अन्य विधि या किसी करार, अधिनिर्णय या अन्य लिखत में, जो उस समय प्रवृत्त हो, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

(7) इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक पर तथा अर्जित बैंक के और अंतरिती बैंक के सब सदस्यों, लेनदारों, निक्षेपकर्ताओं और कर्मचारियों पर और, यथास्थिति, अर्जित बैंक या अन्तरिती बैंक के संबंध में या उससे संसक्त किसी अधिकार, दायित्व, शक्ति या कृत्य वाले किसी अन्य व्यक्ति पर भी आबद्धकर होगी ।

36कछ. अर्जित बैंक के शेयरधारकों को प्रतिकर का दिया जाना—(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो नियत दिन से ठीक पूर्व अर्जित बैंक के शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अथवा जब अर्जित बैंक भारत के बाहर निगमित बैंककारी कंपनी है, तब अर्जित बैंक को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या अंतरिती बैंक द्वारा अर्जित बैंक के उपक्रम के अंतरण की बाबत इतना प्रतिकर दिया जाएगा, जितना पांचवीं अनुसूची में दिए हुए सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात अर्जित बैंक के किसी शेयर के धारक तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जिसका ऐसे शेयरों में कोई हित है, पारस्परिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी तथा ऐसा अन्य व्यक्ति अपना हित ऐसे शेयर के धारक को अधिनिर्णीत प्रतिकर के विरुद्ध प्रवर्तित कराने का न कि केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक के विरुद्ध प्रवर्तित कराने का हकदार होगा ।

(3) पांचवीं अनुसूची में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम प्रथमत:, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अंतरिती बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करके अवधारित की जाएगी तथा उसके द्वारा वह उन सब को, जिन्हें उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर संदेय है उसकी पूर्ण तुष्टि के तौर पर संदाय के रूप में प्रस्तावित की जाएगी ।

(4) यदि उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार प्रस्तावित प्रतिकर की रकम ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है जिसे वह प्रतिकर संदेय है तो ऐसा व्यक्ति उस तारीख से पूर्व जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, केंद्रीय सरकार से लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा कि वह मामला धारा 36कज के अधीन गठित अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए ।

(5) यदि उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व केंद्रीय सरकार को इस उपधारा के निबंधनों के अनुसार अनुरोध, कम से कम ऐसे एक-चौथाई शेयरधारकों से, जो अर्जित बैंक की समादत्त शेयर पूंजी के मूल्य की दृष्टि से कम से कम एक-चौथाई शेयर धारण करते हैं, अथवा उस दशा में, जब अर्जित बैंक भारत के बाहर निगमित बैंककारी कंपनी है, अर्जित बैंक से प्राप्त होते हैं तो केंद्रीय सरकार उस मामले को विनिश्चय के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कराएगी ।

(6) यदि उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व केंद्रीय सरकार को उस उपधारा में उपबंधित रूप में अनुरोध प्राप्त नहीं होते तो उपधारा (3) के अधीन प्रस्तावित प्रतिकर की रकम और जहां अधिकरण को मामला निर्दिष्ट किया गया है, वहां उसके द्वारा अवधारित रकम वह प्रतिकर होगा जो उपधारा (1) के अधीन संदेय है तथा वह अंतिम होगा और सब संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

36कज. अधिकरण का गठन—(1) केंद्रीय सरकार इस भाग के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण गठित कर सकेगी जो अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है तथा दो अन्य सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे केंद्रीय सरकार की राय में वाणिज्यिक बैंककारी का अनुभव प्राप्त है तथा दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट है ।

(3) यदि किसी कारण अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, तो केंद्रीय सरकार उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके उस रिक्ति को भर सकेगी तथा ऐसे गठित अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से आगे चलाई जा सकेगी जिस पर वह रिक्त हुई थी ।

(4) अधिकरण, इस भाग के अधीन संदेय कोई प्रतिकर अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिन्हें किसी सुसंगत बात की विशेष जानकारी या अनुभव प्राप्त है, ऐसे प्रतिकर का अवधारण करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकेगा ।

36कझ. अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्राप्त होना—(1) अधिकरण को निम्नलिखित बातों के बारे में वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन प्राप्त हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी हाजिरी कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनकी पेशी अपेक्षित करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(2) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अधिकरण केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक को इस बात के लिए विवश न करेगा कि वह—

(क) ऐसी किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को पेश करे जिनकी बाबत केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक का दावा है कि वे गोपनीय स्वरूप की हैं ;

(ख) किन्हीं ऐसी बहियों या दस्तावेजों को अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग बनाए ; अथवा

(ग) अधिकरण के समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को किन्हीं ऐसी बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दे ।

36कञ. अधिकरण की प्रक्रिया—(1) अधिकरण को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) अधिकरण, पूरी जांच या उसका कोई भाग बंद कमरे में कर सकेगा ।

(3) अधिकरण के किसी आदेश में कोई लिपिकीय या गणित संबंधी गलती या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें पैदा हुई कोई गलती, अधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, किसी भी समय ठीक की जा सकेगी ।]

भाग 3

बैंककारी कंपनियों के कारबार का निलंबन और उनका परिसमापन

[1][[2][36ख.] **उच्च न्यायालय की परिभाषा**—इस भाग में और भाग 3क में बैंककारी कंपनी के संबंध में "उच्च न्यायालय" से उस स्थान में, जहां बैंककारी कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है या भारत के बाहर निगमित बैंककारी कंपनी की दशा में उस स्थान में, जहां भारत में उसका प्रधान कारबार का स्थान स्थित है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ।]

37. कारबार का निलंबन—(1) उच्च न्यायालय ऐसी बैंककारी कंपनी के आवेदन पर, जो अस्थायी रूप से अपनी बाध्यताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, उस कंपनी के विरुद्ध सब कार्यों और कार्यवाहियों का प्रारम्भ किया जाना या चालू रखा जाना किसी नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक और उचित समझे, रोकने का आदेश दे सकेगा (जिसकी एक प्रति वह रिजर्व बैंक को भिजवाएगा) तथा उस अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा किंतु इस प्रकार की अधिस्थगन की कुल अवधि छह मास से अधिक न हो ।

(2) ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं चल सकेगा जब तक उसके साथ रिजर्व बैंक की यह संकेत करने वाली रिपोर्ट न हो कि रिजर्व बैंक की राय में यदि आवेदन मंजूर कर लिया गया तो बैंककारी कंपनी अपने ऋणों को चुकाने के लिए समर्थ हो जाएगी :

[1] 1953 के अधिनियम सं० 50 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 24 द्वारा (1-10-1959 से) धारा 36क को 36ख के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

परंतु [1][उच्च न्यायालय] पर्याप्त कारणों से, इस धारा के अधीन अनुतोष, ऐसे आवेदन के साथ ऐसी रिपोर्ट न होने पर भी, मंजूर कर सकेगा, और जहां ऐसा अनुतोष मंजूर किया जाता है वहां [1][उच्च न्यायालय] उस बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों के बारे में रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मांगेगा, जिसकी प्राप्ति पर वह या तो पहले से ही पारित किसी आदेश को विखंडित कर सकेगा अथवा उस पर ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा जैसे परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित हों ।

[2][(3) जब उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाता है तब उच्च न्यायालय एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो उन सब आस्तियों, बहियों, दस्तावेजों, चीजबस्त औ अनुयोज्य दावों को, जिनकी वह बैंककारी कंपनी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है, तुरन्त अपनी अभिरक्षा या अपने नियंत्रण में ले लेगा, तथा ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जैसी उच्च न्यायालय बैंककारी कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रदत्त करना ठीक समझे ।]

[3][(4) जहां रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि जिसे बैंककारी कंपनी की बाबत उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है उसके कार्यकलाप निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाए जा रहे हैं, वहां वह उच्च न्यायालय में उस कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन कर सकेगा, तथा जब कोई ऐसा आवेदन किया गया हो तब उच्च न्यायालय उस अवधि को बढ़ाने के लिए कोई आदेश न देगा जिसके लिए उस कंपनी के विरुद्ध सब कार्यों और कार्यवाहियों का प्रारंभ किया जाना या चालू रखा जाना उस उपधारा के अधीन रोका गया था ।]

[4][38. उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन—(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391, धारा 392, धारा 433, और धारा 583 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायलय किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन का आदेश उस दशा में देगा—

(क) जब वह बैंककारी कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है ; अथवा

(ख) जब रिजर्व बैंक द्वारा धारा 37 या इस धारा के अधीन उसके परिसमापन के लिए आवेदन किया गया है ।

(2) रिजर्व बैंक इस धारा के अधीन किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन उस दशा में करेगा जब धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन आदेश द्वारा उसे ऐसा करने का निदेश दिया गया हो ।

(3) रिजर्व बैंक, इस धारा के अधीन किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन निम्नलिखित दशाओं में कर सकेगा—

(क) यदि वह बैंककारी कंपनी—

(i) धारा 11 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रही है, अथवा

(ii) धारा 22 के उपबंधों के कारण भारत में बैंककारी कारबार चलाने के हक से वंचित हो गई है, अथवा

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन या धारा 42 की उपधारा (3क) के खंड (ख) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा नए निक्षेप प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध कर दी गई है, अथवा

(iv) धारा 11 में उल्लिखित अपेक्षाओं से भिन्न इस अधिनियम की किसी अपेक्षा की पूर्ति करने में असफल रहते हुए ऐसी असफलता को, या इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए ऐसे उल्लंघन को, इतनी अवधि या अवधियों के पश्चात् भी जारी रखती रही है जितनी बैंककारी कंपनी को ऐसी असफलता या उल्लंघन की लिखित सूचना दे दिए जाने के पश्चात् रिजर्व बैंक समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ; अथवा

(ख) यदि रिजर्व बैंक की राय में—

(i) बैंककारी कम्पनी की बाबत न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया समझौता या ठहराव, चाहे उसमें परिवर्तन किए जाएं या न किए जाएं, संतोषप्रद रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता; अथवा

(ii) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में उसे दी गई विवरणियों, विवरणों या जानकारी से यह प्रकट होता है कि बैंककारी कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है ; अथवा

(iii) बैंककारी कंपनी का जारी रहना उसके निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर है ।

[1] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 4 द्वारा "न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 25 द्वारा (1-10-1959 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 26 द्वारा (1-10-1959 से) पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 434 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि किसी बैंककारी कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने में उस दशा में असमर्थ समझा जाएगा जिसमें उसने किसी विधिसम्मत मांग को, जब ऐसी मांग किसी ऐसे स्थान पर की गई है जहां रिजर्व बैंक का कोई कार्यालय, शाखा या अभिकरण है, दो कार्य दिवसों के अंदर या यदि ऐसी मांग अन्यत्र की गई है तो पांच कार्य दिवसों के अंदर पूरा करने से इंकार कर दिया है और यदि रिजर्व बैंक ने यह लिखित रूप में प्रमाणित कर दिया है कि वह बैंककारी कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है ।

(5) उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।]

[1][**38क. न्यायालय-समापक**—(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के साथ एक न्यायालय-समापक होगा जो बैंककारी कंपनियों के परिसमापन की सब कार्रवाइयां संचालित करने तथा उनके बारे में ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो उच्च न्यायालय अधिरोपित करे, पालन करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

[2]* * * *

(4) जहां परिसमापन की गई बैंककारी कंपनियों की संख्या तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार की राय है कि उस समय किसी उच्च न्यायालय के साथ किसी न्यायालय-समापक का होना आवश्यक या समीचीन नहीं है वहां वह समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि यह धारा उस उच्च न्यायालय के संबंध में प्रभावी न होगी ।]

[3][39. रिजर्व बैंक का शासकीय समापक होना— [4][(1)] इस अधिनियम की धारा 38क में या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 या धारा 449 में किसी बात के होते हुए भी यह है कि किसी बैंककारी कंपनी के उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन की किसी कार्यवाही में रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन किए जाने पर, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य बैंक अथवा कोई व्यष्टि, जो ऐसे आवेदन में कथित किया गया है, ऐसी कार्यवाही में उस बैंककारी कंपनी के शासकीय समापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तथा ऐसी कार्यवाही में कृत्यशील समापक, यदि कोई हो, ऐसी नियुक्ति पर पद रिक्त कर देगा ।]

[5][(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाएं, इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए शासकीय समापक का पारिश्रमिक, उसके स्थापन की लागत और खर्चे तथा परिसमापन की लागत और खर्चे उस बैंककारी कंपनी की आस्तियों में से चुकाए जाएंगे जिसका परिसमापन किया जा रहा है तथा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बैंककारी कंपनी की आस्तियों में से कोई भी फीस केंद्रीय सरकार को संदेय न होगी ।]

[6][39क. समापकों को कंपनी अधिनियम का लागू होना—(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के समापक से संबंधित समस्त उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, धारा 38क या धारा 39 के अधीन नियुक्त समापक को या उसके संबंध में लागू होंगे ।

(2) इस भाग और भाग 3क में "शासकीय समापक" के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत बैंककारी कंपनी के किसी समापक के प्रति निर्देश भी है ।]

40. कार्यवाहियों का रोका जाना—[7][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 466] में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी [8][उच्च न्यायालय], किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियों को रोकने वाला कोई आदेश तब तक न देगा जब तक [8][उसका] समाधान नहीं हो जाता कि कोई ऐसा ठहराव कर लिया गया है जिससे कम्पनी अपने निक्षेपकर्ताओं को पूरा संदाय वैसे-वैसे कर सकती है जैसे-जैसे उनके दावे प्रोद्भूत होते हैं ।

[9][**41. शासकीय समापक द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट**—जहां किसी बैंककारी कंपनी के बारे में परिसमापन आदेश बैंककारी कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 37) के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् दिया गया है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 455 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी शासकीय समापक, परिसमापन आदेश की तारीख से दो मास के अंदर या जहां परिसमापन आदेश ऐसे प्रारंभ के पूर्व दिया गया है वहां ऐसे प्रारंभ से दो मास के अंदर उच्च न्यायालय को एक प्रारंभिक रिपोर्ट देगा जिसमें उस धारा द्वारा अपेक्षित जानकारी वहां तक दी जाएगी जहां तक वह उसे उपलब्ध है, तथा जिसमें बैंककारी कंपनी

---

[1] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) उपधारा (2) और (3) का लोप किया गया ।

[3] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 4 और 7; 1955 के अधिनियम सं० 23 की धारा 53 और अनुसूची 4; 1956 के अधिनियम सं० 79 की धारा 43 और अनुसूची 2; 1956 के अधिनियम सं०56 की धारा 14 और अनुसूची; 1959 के अधिनियम सं० 95 की धारा 27 और 1960 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 द्वारा उपर्युक्त रूप में पढ़े जाने के लिए धारा 39 में अनुक्रमश: संशोधन किया गया है ।

[4] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 16 द्वारा (1-2-1969 से) धारा 39 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[5] 1969 के अधिनियम सं० 58 की धारा 16 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंत:स्थापित ।

[6] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 28 द्वारा (1-10-1959 से) अंत:स्थापित ।

[7] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 173" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1953 के अधिनियम सं० 42 की धारा 4 में "न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1960 के अधिनियम सं० 37 की धारा 3 द्वारा धारा 41 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

की उन आस्तियों की नकद रकम भी, जो रिपोर्ट की तारीख को उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण है, तथा उन आस्तियों की रकम भी, जिनके कि उक्त दो मास की अवधि के अवसान के पूर्व नकद संगृहीत कर लिए जाने की संभावना हो, दी जाएगी जिससे कि ऐसी आस्तियों का शीघ्रता के साथ, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 के अधीन अधिमानी संदाय करने तथा अपने निक्षेपकर्ताओं और अन्य लेनदारों के प्रति बैंककारी कंपनी के दायित्वों और बाध्यताओं का इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार यथासंभव उन्मोचन करने के लिए उपयोग किया जा सके; और शासकीय समापक, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, बैंककारी कंपनी की आस्तियों में से जितनी को नकद संगृहीत करना साध्य हो उतनी को नकद संगृहीत करने का पूरा प्रयास करेगा ।]

41क. अधिमानी दावेदारों और प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत लेनदारों को सूचना का दिया जाना—(1) बैंककारी कंपनी के परिसमापन आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर या जहां परिसमापन आदेश बैंककारी कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 37) के प्रारंभ के पूर्व दिया गया है वहां ऐसे प्रारंभ से एक मास के अंदर शासकीय समापक बैंककारी कंपनी के ऋणों और दायित्वों का (जो बैंककारी कंपनी के अपने निक्षेपकर्ताओं के प्रति ऋणों और दायित्वों से भिन्न है) प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति से, जो रिजर्व बैंक निदिष्ट करे, तामील की गई सूचना द्वारा—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 के अधीन अधिमानी संदाय के हकदार प्रत्येक दावेदार से ; तथा

(ख) हर प्रतिभूत और हर अप्रतिभूत लेनदार से,

मांग करेगा कि वह उस रकम का, जिसका उसके द्वारा दावा किया जाता है, एक विवरण सूचना की तामील की तारीख से एक मास के अंदर शासकीय समापक को भेजे ।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 के अधीन दावा करने वाले दावेदार को उपधारा (1) के अधीन भेजी गई प्रत्येक सूचना में यह बात कथित होगी कि यदि तामील की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान के पूर्व शासकीय समापक को दावे का विवरण न भेजा गया तो उस दावे को ऐसा दावा न समझा जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के अधीन अन्य सब ऋणों से अग्रता देकर संदाय किए जाने का हकदार है बल्कि उस बैंककारी कंपनी द्वारा देय मामूली ऋण समझा जाएगा ।

(3) प्रतिभूत लेनदार की उपधारा (1) के अधीन भेजी गई सूचना में उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की तामील की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान के पूर्व अपनी प्रतिभूति का मूल्यांकन कर ले और उस सूचना में यह भी कथित होगा कि यदि उक्त अवधि के अवसान के पूर्व शासकीय समापक को प्रतिभूति के मूल्यांकन सहित दावे का विवरण नहीं भेजा गया तो शासकीय समापक उस प्रतिभूति का मूल्य स्वयं लगाएगा तथा ऐसा मूल्यांकन लेनदार पर आबद्धकर होगा ।

(4) यदि कोई दावेदार उपधारा (1) के अधीन उसे भेजी गई सूचना का अनुपालन करने में असफल होता है तो उसका दावा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 के अधीन अन्य सब ऋणों से अग्रता देकर संदाय किए जाने का हकदार नहीं होगा बल्कि उस बैंककारी कंपनी द्वारा देय मामूली ऋण समझा जाएगा और यदि कोई प्रतिभूत लेनदार उपधारा (1) के अधीन उसे भेजी गई सूचना का अनुपालन करने में असफल होता है तो शासकीय समापक उस प्रतिभूति का मूल्य स्वयं लगाएगा तथा ऐसा मूल्यांकन लेनदार पर आबद्धकर होगा ।]

42. लेनदारों आदि के अधिवेशनों के बारे में अभिमुक्ति देने की शक्ति—[1][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की [2][धारा 460] में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी [3][उच्च न्यायालय] किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन की कार्यवाहियों में लेनदारों या अभिदायियों के किन्हीं अधिवेशनों [4]*** से उस दशा में अभिमुक्ति दे सकेगा जब वह यह समझता हो कि उससे किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जो उसमें होने वाले विलंब और व्यय को न्यायसंगत ठहराने के लिए पर्याप्त हो ।]

[5]**[43. बहियों में निक्षेपकर्ताओं के नाम जमा रकमों का साबित हुआ समझा जाना**—किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन की किसी कार्यवाही से उस बैंककारी कंपनी के प्रत्येक निक्षेपकर्ता की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस रकम के लिए अपना दावा फाइल कर दिया है जो उस बैंककारी कंपनी की बहियों में उसके नाम जमा दिखाई हुई है तथा [6][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 474] में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय ऐसे दावों की बाबत यह उपधारणा करेगा कि वे साबित कर दिए गए हैं जब तक कि शासकीय समापक यह दर्शित नहीं करता कि उनके सही होने की बाबत शंका करने का कोई कारण है ।]

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 178क और 183" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 33 द्वारा (15-2-1984 से) "धारा 460, 464 और 465" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 4 द्वारा "न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 33 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 8 द्वारा धारा 43 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 191" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**43क. निक्षेपकर्ताओं को अधिमानी संदाय**—(1) किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन की प्रत्येक कार्यवाही में जहां पर परिसमापन आदेश बैंककारी कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 37) के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् दिया गया है वहां परिसमापन आदेश की तारीख से तीन मास के अंदर या जहां परिसमापन आदेश ऐसे प्रारंभ से पूर्व दिया गया है वहां उससे तीन मास के अंदर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 में निर्दिष्ट अधिमानी संदाय, जिनकी बाबत दावों के विवरण धारा 41क में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से एक मास के अंदर भेज दिए गए हैं, शासकीय समापक द्वारा किए जाएंगे अथवा ऐसे संदायों के लिए उसके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाएगी।

(2) यथापूर्वोक्त अधिमानी संदाय कर दिए जाने अथवा उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दिए जाने के पश्चात् पूर्वोक्त तीन मास की अवधि के अंदर, —

(क) प्रथमत:, बैंककारी कंपनी के बचत बैंक खाते में प्रत्येक निक्षेपकर्ता को दो सौ पचास रुपए की धनराशि या उसके नाम जमा अतिशेष इन दोनों में से जो भी कम हो, वह और तत्पश्चात् ;

(ख) द्वितीयत: बैंककारी कंपनी के प्रत्येक अन्य निक्षेपकर्ता को दो सौ पचास रुपए की धनराशि या उसके नाम जमा अतिशेष रकम, इन दोनों में से जो भी कम हो, वह,

बैंककारी कंपनी की शेष आस्तियों में से जो साधारण लेनदारों को संदाय करने के लिए उपलब्ध हैं, अन्य ऋणों की अग्रता देकर संदत्त की जाएगी :

परंतु ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जो बैंककारी कंपनी के बचत खाते में अपने ही नाम से (न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्तत:) निक्षेपकर्ता है और साथ ही किसी अन्य खाते में निक्षेपकर्ता है, खंड (क) और खंड (ख) के अधीन संदाय की गई रकमों का योग दो सौ पचास रुपए की राशि से अधिक न होगा।

(3) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित रकमों का पूर्ण संदाय नकद आस्तियों में से पूर्वोक्त तीन मास की अवधि के अन्दर नहीं किया जा सकता वहां शासकीय समापक, यथास्थिति, उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रत्येक निक्षेपकर्ता को उस रकम में से, जो उस खंड के अधीन निक्षेपकर्ता को देय है, आनुपातिक आधार पर इतना संदाय, जितना शासकीय समापक उन आस्तियों में से करने में समर्थ है, उस अवधि के अन्दर करेगा तथा ज्यों-ज्यों शासकीय समापक द्वारा पर्याप्त आस्तियां नकद संगृहीत की जाती हैं त्यों-त्यों प्रत्येक ऐसे निक्षेपकर्ता को उस रकम के शेष भाग का संदाय करेगा।

(4) प्रथमत: बचत बैंक खाते में निक्षेपकर्ताओं को और तब अन्य निक्षेपकर्ताओं को पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार संदाय कर दिए जाने के पश्चात् बैंककारी कंपनी की शेष आस्तियां, जो साधारण लेनदारों को संदाय करने के लिए उपलब्ध हैं, साधारण लेनदारों के ऋणों का आनुपातिक आधार पर संदाय करने के लिए तथा निक्षेपकर्ताओं को देय अतिरिक्त राशियों के, यदि कुछ हों, संदाय के लिए प्रयुक्त की जाएंगी तथा साधारण लेनदारों के ऋणों के यथापूर्वोक्त आनुपातिक आधार पर संदाय के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के पश्चात् शासकीय समापक, ज्यों-ज्यों कंपनी की आस्तियां नकद संगृहीत की जाती हैं त्यों-त्यों उन अतिरिक्त राशियों का, यदि कोई हों, जो उपधारा (2) के खंड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निक्षेपकर्ताओं को देय बची हों, यथापूर्वोक्त आनुपातिक आधार पर संदाय करेगा।

(5) शासकीय समापक को इस बात के लिए समर्थ करने की दृष्टि से कि बैंककारी कंपनी की आस्तियों में से इतनी, जितनी संभव हों, नकदी में उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहें, प्रत्येक प्रतिभूत लेनदार को दी गई प्रतिभूतियों का शासकीय समापक द्वारा मोचन—

(क) उस दशा में, जिसमें लेनदार को देय रकम, यथास्थिति, उसके द्वारा यथानिर्धारित अथवा शासकीय समापक द्वारा यथानिर्धारित प्रतिभूतियों के मूल्य से अधिक है, ऐसे मूल्य के संदाय पर किया जा सकेगा ; तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें लेनदार को देय रकम ऐसे यथानिर्धारित प्रतिभूतियों के मूल्य के बराबर है या उससे कम है, देय रकम के संदाय पर किया जा सकेगा :

परंतु जहां शासकीय समापक उस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है जो लेनदार द्वारा किया गया है, वहां वह मूल्यांकन करने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।

(6) जब ऐसा कोई दावेदार, लेनदार या निक्षेपकर्ता, जिसे [2][इस धारा के उपबंधों] के अनुसार कोई संदाय किया जाना है, पाया नहीं जा सकता या आसानी से उसका पता नहीं चलाया जा सकता वहां ऐसे संदाय के लिए शासकीय समापक द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित खंडों में से प्रत्येक में विनिर्दिष्ट संदायों को भिन्न वर्ग के संदाय समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) अधिमानी दावेदारों को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 के अधीन संदाय ;

---

[1] 1960 के अधिनियम सं० 37 की धारा 4 द्वारा धारा 43क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1961 के अधिनियम सं० 47 की धारा 51 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1962 से) "पूर्ववर्ती उपबंधों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) बचत बैंक खाते में निक्षेपकर्ताओं को उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन संदाय ;

(ग) अन्य निक्षेपकर्ताओं को उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन संदाय ;

(घ) साधारण लेनदारों को संदाय तथा निक्षेपकर्ताओं को वे संदाय जो उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट संदायों के अतिरिक्त है ।

(8) उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भिन्न वर्ग के संदायों का दर्जा आपस में बराबर का होगा और उनका पूर्ण संदाय किया जाएगा जब तक कि उनकी पूर्ति के लिए आस्तियां अपर्याप्त न हों, जिस दशा में वे समान अनुपात में कम हो जाएंगे ।]

[1][(9) उपधारा (2), (3), (4), (7) और (8) की कोई बात किसी ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू न होगी जिसके निक्षेपकर्ताओं के संबंध में निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (1960 का 47) की धारा 16 के अधीन निक्षेप बीमा निगम दायी है ।

(10) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिमानी संदाय कर दिए जाने अथवा उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दिए जाने के पश्चात्, बैंककारी कंपनी की उपधारा (9) में निर्दिष्ट शेष आस्तियां, जो साधारण लेनदारों को संदाय के लिए उपलब्ध हैं, साधारण लेनदारों के ऋणों का तथा निक्षेपकर्ताओं को देय राशियों का आनुपातिक आधार पर संदाय करने के लिए प्रयुक्त की जाएंगी :

परंतु जहां किसी निक्षेप की बाबत कोई रकम, समापक द्वारा निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 21 के अधीन निक्षेप बीमा निगम को संदत्त की जानी है, वहां उक्त संदाय के पश्चात् बचा अतिशेष ही, यदि कोई हो, निक्षेपकर्ता को संदेय होगा ।]

[2]**[44. स्वेच्छया परिसमापन में उच्च न्यायालय की शक्तियां**—(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 484 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी भी बैंककारी कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन उस दशा के सिवाय न किया जा सकेगा जबकि रिजर्व बैंक लिखित रूप में यह प्रमाणित कर देता है कि वह कम्पनी अपने लेनदारों के अपने सब ऋणों का, जैसे-जैसे वे प्रोद्भूत होते हैं वैसे-वैसे पूर्ण संदाय करने के लिए समर्थ है ।

(2) उच्च न्यायालय ऐसी किसी भी दशा में, जिसमें किसी बैंककारी कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन किया जा रहा है, यह आदेश दे सकेगा कि स्वेच्छया परिसमापन जारी रहे किन्तु न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन ।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 441 और 521 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि निम्नलिखित दशाओं में से किसी में किसी बैंककारी कंपनी का उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन किए जाने के लिए आदेश उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से दे सकेगा तथा रिजर्व बैंक के आवेदन पर देगा, अर्थात्—

(क) जहां बैंककारी कंपनी का परिसमापन स्वेच्छया किया जा रहा है तथा स्वेच्छया परिसमापन की कार्यवाहियों के दौरान किसी प्रक्रम में कंपनी अपने ऋणों को, जैसे-जैसे वे प्रोद्भूत होते हैं वैसे-वैसे देने में असमर्थ हैं ; अथवा

(ख) जहां बैंककारी कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन किया जा रहा है अथवा न्यायालय के पर्यवेक्षणाधीन परिसमापन किया जा रहा है तथा उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि स्वेच्छया परिसमापन या न्यायालय के पर्यवेक्षणाधीन परिसमापन निक्षेपकर्ताओं के हितों को हानि पहुंचाए बिना जारी नहीं रखा जा सकता ।]

[3]**[44क. बैंककारी कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी किसी दूसरी बैंककारी कंपनी से तब तक समामेलित नहीं की जाएगी, जब तक ऐसे समामेलन के निबंधनों को अंतर्विष्ट करने वाली स्कीम संबंधित बैंककारी कंपनी में से प्रत्येक के शेयरधारकों के समक्ष प्रारूप तौर पर पृथक् रूप से न रख दी गई हो तथा इतनी बहुसंख्या द्वारा, जितनी उक्त कंपनियों में से प्रत्येक के शेयरधारकों के धनमूल्य के दो-तिहाई धनमूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए अधिवेशन में या तो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित होकर, पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो ।

(2) प्रत्येक ऐसे अधिवेशन की सूचना, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, संबंधित बैंककारी कंपनियों में से हर एक के प्रत्येक शेयरधारक को अधिवेशन का समय, स्थान और उद्देश्य बताते हुए सुसंगत संगम-अनुच्छेदों के अनुसार दी जाएगी तथा लगातार तीन सप्ताहों तक कम से कम हर सप्ताह में एक बार ऐसे कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशित भी की जाती रहेगी जो उस परिक्षेत्र या उन परिक्षेत्रों में चलता है जहां संबंधित बैंककारी कंपनियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हैं और इन समाचारपत्रों में से एक उस भाषा में होना चाहिए जो उस परिक्षेत्र या उन परिक्षेत्रों में सामान्य रूप से समझी जाती है ।

(3) ऐसा कोई शेयरधारक जिसने अधिवेशन में समामेलन की स्कीम के विरुद्ध अपना मत दिया है या जिसने संबंधित कंपनी को या उसके अधिवेशन में पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में यह सूचना उस अधिवेशन में या उसके पूर्व दे दी है कि वह समामेलन की स्कीम से असहमत है, उस दशा में जिसमें स्कीम रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर कर दी जाती है इस बात का हकदार होगा कि संबंधित बैंककारी कंपनी में उसके जो शेयर हैं, बैंककारी कंपनी से उनका वह मूल्य मांग ले जो उस स्कीम को मंजूर करते समय रिजर्व बैंक द्वारा

[1] 1961 के अधिनियम सं० 47 की धारा 51 और अनुसूची 2 द्वारा (1-1-1962 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1959 के अधिनियम सं० 33 की धारा 30 द्वारा (1-10-1959 से) पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

अवधारित किया गया है तथा असहमत शेयरधारक को दिए जाने वाले शेयरों के मूल्य के बारे में, रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अवधारण सब प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा ।

(4) यदि समामेलन की स्कीम इस धारा के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों की अपेक्षित बहुसंख्या द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो वह मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी तथा यदि वह इस निमित्त पारित लिखित आदेश से रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर कर दी जाती है तो वह संबंधित बैंककारी कंपनियों पर तथा उनके सब शेयरधारकों पर भी आबद्धकर होगी ।

[1]* * * *

(6) समामेलन की स्कीम के रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर कर दिए जाने पर, सभी दशाओं में [2][मंजूर की गई स्कीम के उपबंधों] के अधीन रहते हुए यह है कि जो बैंककारी कंपनी समामेलन की स्कीम के अधीन समामेलित बैंककारी कंपनी का कारबार अर्जित करने वाली है उसको समामेलित बैंककारी कंपनी की सम्पत्ति, मंजूरी के आदेश के आधार से अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी तथा उक्त समामेलित बैंककारी कंपनी के दायित्व, उक्त आदेश के आधार पर से, उसको अन्तरित हो जाएंगे और उसके दायित्व हो जाएंगे ।

[3][(6क) जहां रिजर्व बैंक द्वारा इस धारा के उपबंधों के अधीन समामेलन की कोई स्कीम मंजूर की जाती है वहां रिजर्व बैंक लिखित रूप में अतिरिक्त आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस तारीख को, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, वह बैंककारी कंपनी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् समामेलित बैंककारी कंपनी कहा गया है) जो समामेलन के कारण कृत्यशील नहीं रहेगी विघटित हो जाएगी तथा ऐसा कोई निदेश किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावशील होगा ।

(6ख) जहां रिजर्व बैंक समामेलित बैंककारी कम्पनी के विघटन का निदेश देता है, वहां वह ऐसे विघटन को निर्दिष्ट करने वाले आदेश की एक प्रति उस रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके यहां वह बैंककारी कंपनी रजिस्ट्रीकृत की गई थी और वह रजिस्ट्रार ऐसे आदेश की प्राप्ति पर उस कंपनी का नाम काट देगा ।

(6ग) उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश चाहे वह बैंककारी विधि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1963 (1963 का 55) की धारा 19 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की समामेलन संबंधी सब अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है तथा उक्त आदेश की एक ऐसी प्रति, जिसका ऐसे आदेश की सही प्रति होना रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किया गया है तथा उस स्कीम की ऐसी प्रति, जिसका उसकी सही प्रति होना उसी रीति से प्रमाणित किया गया है सब विधिक कार्यवाहियों में (चाहे वे अपील में या अन्यथा और चाहे उक्त धारा 19 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् संस्थित की गई हों) साक्ष्य में उसी सीमा तक ग्रहण की जाएगी जिस तक मूल आदेश और मूल स्कीम ।]

[4][(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 के अधीन दो या अधिक बैंककारी कंपनियों का [5]*** समामेलन करने का उपबंध करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् ही किया जाएगा न कि अन्यथा ।]

[6][[7][44ख.] **बैंककारी कंपनी और लेनदारों के बीच समझौते या ठहराव पर निर्बंधन**—[8][(1)] तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई [9][उच्च न्यायालय,] किसी बैंककारी कंपनी और उसके लेनदारों या उसके किसी वर्ग के बीच अथवा ऐसी कंपनी और उसके सदस्यों या उन सदस्यों के किसी वर्ग के बीच [10][किसी समझौते या ठहराव की मंजूरी या किसी ऐसे समझौते या ठहराव में किसी परिवर्तन की मंजूरी उस दशा के सिवाय नहीं देगा जब, यथास्थिति, उस समझौते या ठहराव या परिवर्तन की बाबत] रिजर्व बैंक द्वारा [11][लिखित रूप में] यह प्रमाणित किया जाता है कि वह क्रियान्वित किए जाने के अयोग्य नहीं है और ऐसी बैंककारी कंपनी के [8][निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर नहीं है] ।]

[12][(2) जहां किसी बैंककारी कंपनी की बाबत [13][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391] के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां उच्च न्यायालय रिजर्व बैंक को उस बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों तथा उसके निदेशकों के आचरण के

---

[1] 1963 के अधिनियम सं०55 की धारा 19 द्वारा (1-2-1964) उपधारा (5) का लोप किया गया ।
[2] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 19 द्वारा (1-2-1964 से) "स्कीम मंजूर करने वाले आदेश के निबन्धन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1963 के अधिनियम सं०55 की धारा 19 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1960 के अधिनियम सं० 37 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1961 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 द्वारा "राष्ट्रीय हित में" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1960 के अधिनियम सं० 37 की धारा 6 द्वारा धारा 45 को धारा 44ख के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।
[8] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 9 द्वारा धारा 45 को उस की उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।
[9] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 4 द्वारा "न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1963 के अधिनियम सं० 52 की धारा 20 द्वारा (1-2-1964 से) "समझौते या ठहराव की मंजूरी उस दशा के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 9 द्वारा "ऐसी कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक नहीं है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 153" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

संबंध में जांच करने का निदेश दे सकेगा और जब ऐसा निदेश दिया गया हो तब रिजर्व बैंक ऐसी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को देगा ।]

[1][**45. किसी बैंककारी कंपनी द्वारा कारबार के निलंब के लिए तथा पुनर्गठन या समामेलन की स्कीम तैयार करने के लिए केंद्रीय सरकार से आवेदन करने की रिजर्व बैंक की शक्ति**—(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या [2][किसी करार या अन्य लिखत] में किसी बात के होते हुए भी रिजर्व बैंक [3][किसी बैंककारी कंपनी] की बाबत अधिस्थगन आदेश देने के लिए केंद्रीय सरकार को उस दशा में आवेदन कर सकेगा जब रिजर्व बैंक को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने के लिए अच्छा कारण है ।

(2) रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार, कंपनी के विरुद्ध सब कार्यों और कार्यवाहियों का प्रारंभ किया जाना या चालू रखा जाना, किसी नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर रोकने का आदेश दे सकेगी जो वह ठीक और समुचित समझे तथा उस अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगी किन्तु इस प्रकार कि अधिस्थगन की कुल अवधि छह मास से अधिक न हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन या तत्पश्चात् किसी समय केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश में उसके द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों द्वारा जैसा अन्यथा उपबन्धित हो उसके सिवाय बैंककारी कंपनी अधिस्थगन की अवधि के दौरान न तो किन्हीं निक्षेपकर्ताओं को कोई संदाय करेगी और न उन दायित्वों या बाध्यताओं का उन्मोचन करेगी जो उसकी किन्हीं अन्य लेनदारों के प्रति हैं ।

[4][(4) यदि अधिस्थगन की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि—

(क) लोक हित में ; अथवा

(ख) निक्षेपकर्ताओं के हितों में ; अथवा

(ग) बैंककारी कंपनी का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ; अथवा

(घ) संपूर्ण देश की बैंककारी प्रणाली के हित में,

यह आवश्यक है कि—

(i) बैंककारी कंपनी का पुनर्गठन किया जाए ; अथवा

(ii) बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्थान के साथ (जिसे इस धारा में "अंतरिती बैंक" कहा गया है)

समामेलन किया जाए,

तो रिजर्व बैंक उसके लिए एक स्कीम तैयार कर सकेगा ।

(5) पूर्वोक्त स्कीम में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसका अथवा, यथास्थिति, अन्तरिती बैंक का गठन, नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, पूंजी, आस्तियां, शक्तियां, अधिकार, हित, प्राधिकार और विशेषाधिकार, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं ;

(ख) बैंककारी कंपनी के समामेलन की दशा में उस बैंककारी कंपनी के कारबार, उसकी सम्पत्तियों, आस्तियों और उसके दायित्वों का अंतरिती बैंक को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अन्तरण जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट हों ;

(ग) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसके या, यथास्थिति, अंतरिती बैंक के निदेशक बोर्ड में कोई तब्दीली या नए निदेशक बोर्ड की नियुक्ति तथा वह प्राधिकारी जिस द्वारा, वह रीति, जिससे, तथा वे अन्य निबंधन और शर्तें, जिन पर ऐसी तब्दीली या नियुक्ति की जाएगी तथा नए बोर्ड या किसी निदेशक की नियुक्ति की दशा में वह अवधि जिसके लिए ऐसी नियुक्ति की जाएगी ;

(घ) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसके या, यथास्थिति, अंतरिती बैंक के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में इस प्रयोजन से कि उसकी पूंजी परिवर्तित की जाए या ऐसे अन्य प्रयोजनों से, जिसे पुनर्गठन या समामेलन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों, परिवर्तन ;

(ङ) स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसके अथवा, यथास्थिति, अंतरिती बैंक के द्वारा या विरुद्ध ऐसे किन्हीं कार्यों या कार्यवाहियों का चालू रखा जाना जो अधिस्थगन के आदेश की तारीख से ठीक पहले बैंककारी कंपनी के विरुद्ध लंबित हैं ;

---

[1] 1960 के अधिनियम सं०37 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1961 के अधिनियम सं०7 की धारा 4 द्वारा "किसी करार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1961 के अधिनियम सं०7 की धारा 4 द्वारा "बैंककारी कंपनी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1961 के अधिनियम सं०7 की धारा 4 द्वारा उपधारा (4) से (9) तक के स्थान पर प्रतिस्थापित

(च) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन के पूर्व उसमें या उसके विरुद्ध सदस्यों, निक्षेपकर्ताओं तथा अन्य लेनदारों के जो हित या अधिकार हैं उनका उस सीमा तक कम किया जाना जिस तक कम करना रिजर्व बैंक लोकहित में, या सदस्यों, निक्षेपकर्ताओं और अन्य लेनदारों के हित में, अथवा बैंककारी कंपनी के कारबार को बनाए रखने के लिए, आवश्यक समझे ;

(छ) निक्षेपकर्ताओं और अन्य लेनदारों को—

(i) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन के पूर्व उसमें या उसके विरुद्ध उनके हित या अधिकारों के बारे में, अथवा

(ii) उस दशा में, जिसमें बैंककारी कंपनी में या उसके विरुद्ध उनके पूर्वोक्त हित या अधिकार खंड (च) के अधीन कम कर दिए गए हैं, ऐसे कम किए गए हित या अधिकारों के बारे में,

उनके दावों की पूर्ण तुष्टि में नकद या अन्यथा संदाय ;

(ज) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन के पूर्व उसमें जो शेयर सदस्यों द्वारा धारित किए हुए थे [1][चाहे उन शेयरों में उनका हित खंड (च) के अधीन कम कर दिया गया है या नहीं] उनके लिए उनको बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसमें अथवा, यथास्थिति, अंतरिती बैंक में शेयरों का आबंटन तथा जहां कोई सदस्य संदाय का न कि शेयरों के आबंटन का दावा करते हैं या जहां किन्हीं सदस्यों को शेयर आबंटित करना संभव नहीं है वहां उन सदस्यों को—

(i) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन के पूर्व उसके शेयरों में उनके हित के बारे में; अथवा

(ii) उस दशा में, जिसमें ऐसा हित खंड (च) के अधीन कम कर दिया गया है, शेयरों में ऐसे कम किए गए उनके हित के बारे में,

उनके दावों की पूर्ण तुष्टि में नकद संदाय;

(झ) बैंककारी कंपनी के [जो कर्मचारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार न होते हुए, स्कीम में विनिर्दिष्टत: उल्लिखित हैं उनको छोड़कर] सब कर्मचारियों की सेवाओं या, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर स्वयं उसमें अथवा अंतरिती बैंक में, उसी पारिश्रमिक पर, तथा सेवा संबंधी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बना रहना जो अधिस्थगन आदेश की तारीख से ठीक पहले, यथास्थिति, उनको मिलता था या जो उन पर लागू थीं :

परन्तु स्कीम में एक उपबंध यह होगा कि—

(i) बैंककारी कंपनी उक्त कर्मचारियों को उस तारीख से, जिसको वह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पहले-पहले वही पारिश्रमिक दे देगी और सेवा के वैसे ही निबंधन और शर्तें मंजूर कर देगी, जो किसी सदृश बैंककारी कंपनी की तत्समान पंक्ति या दर्जे के [2][कर्मचारियों के संबंध में ऐसे संदाय या मंजूरी के समय लागू होते हैं] जिस सदृश बैंककारी कंपनी का उस प्रयोजन के लिए अवधारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा (जिसका इस बारे में अवधारण अन्तिम होगा) :

(ii) अंतरिती बैंक उक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पहले-पहले वही पारिश्रमिक दे देगी और सेवा के वे ही निबंधन और शर्तें मंजूर कर देगी जो अंतरिती बैंक के तत्समान पंक्ति या दर्जे के अन्य [1][कर्मचारियों के संबंध में ऐसे संदाय या मंजूरी के समय लागू होते हैं] किंतु इस बात के अधीन रहते हुए कि उक्त कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव अंतरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के जैसा हो या उसके समतुल्य हो :

परन्तु यह और कि यदि प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन किसी मामले में इस बाबत कोई शंका या मतभेद पैदा होता है कि उक्त कर्मचारियों में से किन्हीं की अर्हताएं और अनुभव अंतरिती बैंक के तत्समान पंक्ति या दर्जे के अन्य कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव के जैसे ही या उसके समतुल्य हैं या नहीं [3][तो वह शंका या मतभेद, उस खंड में उल्लिखित संदाय या मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा] जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ञ) खंड (झ) में किसी बात के होते हुए भी जहां बैंककारी कंपनी के कर्मचारियों में से कोई औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार न होते हुए खंड (झ) के अधीन स्कीम में विनिर्दिष्टत: उल्लिखित है अथवा जहां बैंककारी कंपनी के किन्हीं कर्मचारियों ने उस तारीख से, जिसको वह स्कीम केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई है, ठीक आगामी एक मास के अवसान के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या अंतरिती बैंक को लिखित सूचना द्वारा अपने इस आशय से अवगत करा दिया है कि वे बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन पर उसके या, यथास्थिति, अंतरिती बैंक के

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 34 द्वारा (15-2-1984 से) "संबंध में लागू होते है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 34 द्वारा (15-2-1984 से) "संबंध में लागू होते हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 34 द्वारा (15-2-1984 से) "तो वह शंका या मतभेद रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

कर्मचारी नहीं बनना चाहते हैं वहां यदि ऐसे कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी प्रतिकर के हकदार हैं तो उन्हें उस प्रतिकर का, यदि कुछ हो, तथा ऐसी पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य निवृत्ति फायदे का संदाय जो मामूली तौर पर उन्हें अधिस्थगन की तारीख से ठीक पहले बैंककारी कंपनी के नियमों या प्राधिकरणों के अधीन अनुज्ञेय थे;

(ट) बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन के लिए कोई अन्य निबंधन और शर्तें;

(ठ) ऐसी आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक बातें जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि पुनर्गठन पर समामेलन पूर्ण और प्रभाव रूप से कर दिया जाएगा ।

(6) (क) रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई स्कीम की एक प्रति प्रारूप के तौर पर उस बैंककारी कंपनी को, तथा अंतरिती बैंक और किसी अन्य बैंककारी कंपनी को भी, जो समामेलन से संबंधित हो, भेजी जाएगी जिससे वे इतनी अवधि के अंदर, जितनी रिजर्व बैंक इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे अपने सुझाव और आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सके;

(ख) रिजर्व बैंक स्कीम के प्रारूप में ऐसे परिवर्तन, यदि कोई हो, कर सकेगा जो वह उसके बैंककारी कंपनी से तथा अंतरिती बैंक और किसी अन्य बैंककारी कंपनी से भी जो समामेलन से संबंधित हो और उन कंपनियों में से प्रत्येक के तथा अंतरिती बैंक के किन्हीं सदस्यों, निक्षेपकर्ताओं या अन्य लेनदारों से प्राप्त सुझावों तथा आक्षेपों को देखते हुए आवश्यक समझे ।

(7) तत्पश्चात् वह स्कीम केंद्रीय सरकार की मंजूरी के लिए उसके समक्ष रखी जाएगी तथा केंद्रीय सरकार कोई परिवर्तन किए बिना या ऐसे परिवर्तन करके, जैसे वह आवश्यक समझे, उस स्कीम को मंजूर कर सकेगी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर रूप में वह स्कीम उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु स्कीम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

[1][(7क) केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (7) के अधीन चाहे बैंककारी विधि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1963 (1963 का 55) की धारा 21 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् दी गई मंजूरी उस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि इस धारा की, यथास्थिति, पुनर्गठन या समामेलन संबंधी सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है, तथा मंजूर की गई स्कीम की ऐसी प्रति, जिसका ऐसी स्कीम की सही प्रति होना केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किया गया है सब विधिक कार्यवाहियों में (चाहे वे अपील में या अन्यथा और चाहे उक्त धारा 21 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् संस्थित की गई हों) साक्ष्य में उसी सीमा तक ग्रहण की जाएगी जिस तक मूल स्कीम ।]

(8) स्कीम या उसके किसी उपबंध के प्रवृत्त होने की तारीख से उक्त स्कीम या ऐसा उपबंध, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी का अंतरिती बैंक और समामेलन से संबंधित किसी अन्य बैंककारी कंपनी पर, और उन कंपनियों में से प्रत्येक के तथा अंतरिती बैंक के सब सदस्यों, निक्षेपकर्ताओं और अन्य लेनदार तथा कर्मचारियों पर तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर भी आबद्धकर होगा जिसके उन कंपनियों में से किसी के तथा अंतरिती बैंक के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व हैं [2][और जिसके अंतर्गत ऐसा न्यासी या अन्य व्यक्ति है, जो उन कंपनियों में से किसी के द्वारा या अंतरिती बैंक द्वारा रखी गई भविष्य निधि या किसी अन्य निधि का प्रबंध कर रहे हैं या उससे संबद्ध हैं ।]

(9) [3][यथास्थिति, स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख या उसमें इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख से ही] अंतरिती बैंक को बैंककारी कंपनी की संपत्ति और आस्तियां उस स्कीम के आधार से और उसमें उपबंधित सीमा तक अंतरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी तथा बैंककारी कंपनी के दायित्व उस स्कीम के आधार से और उसमें उपबंधित सीमा तक अंतरिती बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उसके दायित्व हो जाएंगे ।

(10) यदि स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो केंद्रीय सरकार ऐसे उपबंधों से असंगत न होने वाली ऐसी कोई बात आदेश द्वारा कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है ।

(11) स्कीम की अथवा उपधारा (10) के अधीन किए गए किसी आदेश की प्रतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, उस स्कीम के मंजूर किए जाने के या, उस आदेश के दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएंगी ।

(12) जहां स्कीम बैंककारी कंपनी के समामेलन के लिए स्कीम है, वहां अंतरिती बैंक ने उस स्कीम या उसके किसी उपबंध के अधीन जो कोई कारबार अर्जित किया है वह, उस स्कीम या ऐसे उपबंध के प्रवर्तन में आने के पश्चात् अंतरिती बैंक द्वारा उस विधि के अनुसार, जो अंतरिती बैंक पर लागू होती है उस विधि में ऐसे परिवर्तनों के अथवा अंतरिती बैंक को उसके किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से ऐसी छूटों के अधीन रह कर चलाया जाएगा जैसी रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार उस स्कीम को पूर्णत: प्रभावी करने के प्रयोजन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करे या दे :

परन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन इस प्रकार न किया जाएगा या ऐसी कोई भी छूट इस प्रकार न दी जाएगी कि वह ऐसे कारबार के अर्जन की तारीख से सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी हो ।

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 21 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 34 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 34 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(13) इस धारा की कोई बात ऐसी अनेक कंपनियों का, जिनमें से प्रत्येक के संबंध में इस धारा के अधीन आस्थगन आदेश दिया गया है, किसी एक स्कीम द्वारा किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन रोकने वाली नहीं समझी जाएगी ।

(14) इस धारा के और इसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंध, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी करार, अधिनिर्णय या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

(15) इस धारा में "बैंककारी संस्था" से कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा [3][कोई समनुषंगी बैंक या तत्स्थानी नया बैंक है] ।

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा में किसी कर्मचारी को लागू होने वाले सेवा के निबंधनों ओर शर्तों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उनका विस्तार ऐसे कर्मचारी की पंक्ति और प्रास्थिति पर भी है ।]

[1]**[भाग 3क**

परिसमापन कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष उपबंध

45क. भाग 3क का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना—इस भाग के उपबंध तथा इसके अधीन बनाए गए नियम, [2][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)] या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या [3][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार से प्रभावी किसी लिखत में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे किन्तु ऐसी किसी विधि या लिखत के उपबंध जहां तक उनमें इस भाग के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया है अथवा वे इस भाग के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, इस भाग के अधीन सब कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

45ख. उच्च न्यायालय की बैंककारी कंपनियों के संबंध में सब दावों का विनिश्चय करने की शक्ति—धारा 45ग में जैसा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित है उसको छोड़कर उच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता होगी कि जिसे बैंककारी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है उसके द्वारा या विरुद्ध किए गए किसी दावे को (जिसके अंतर्गत भारत में उसकी शाखाओं में से किसी के द्वारा या विरुद्ध दावे भी हैं) अथवा बैंककारी कंपनी के द्वारा या उसके बारे में [4][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391] के अधीन किए गए किसी आवेदन अथवा अग्रताओं विषयक प्रश्न या कैसे भी अन्य प्रश्न को, भले ही वह विधि का हो या तथ्य का हो, जो बैंककारी कंपनी के परिसमापन से संबंधित हो या उसके अनुक्रम में उठे, वह ग्रहण करे और विनिश्चित करे, चाहे ऐसा दावा या प्रश्न अथवा ऐसा आवेदन, बैंककारी कंपनी के परिसमापन के आदेश की तारीख के पूर्व या पश्चात् अथवा बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52) के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् उठा है या उठता है अथवा किया गया है या किया जाए ।

45ग. लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) जहां किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में परिसमापन का आदेश दिया जाता है या दिया गया है, वहां चाहे सिविल या दाण्डिक कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, जिसके बारे में उच्च न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता प्राप्त है तथा जो बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52) के प्रारंभ के या बैंककारी कंपनी के परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्व, इनमें से जो भी बाद की हो, उस समय किसी अन्य न्यायालय में लम्बित है, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से ही आगे चलाई जाएगी न कि अन्यथा ।

(2) शासकीय समापक, परिसमापन के आदेश की तारीख से अथवा बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52) के प्रारंभ की तारीख से, इनमें से जो भी बाद की हो, उससे तीन मास के अन्दर अथवा इतने अतिरिक्त समय के अन्दर, जितना उच्च न्यायालय अनुज्ञात करे, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें इस प्रकार लम्बित सब कार्यवाहियों की विशिष्टियों सहित उनकी एक सूची अंतर्विष्ट होगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर यदि उच्च न्यायालय ठीक समझता है तो वह संबंधित पक्षकारों को इस बात का कारण दिखाने का अवसर दे सकेगा कि वे कार्यवाहियां क्यों न उसके यहां अंतरित कर ली जाएं तथा धारा 45प के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित रीति से जांच करने के पश्चात् सब लम्बित कार्यवाहियों को या उनमें से ऐसी कार्यवाहियों को, जैसी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने यहां अंतरित करने के लिए ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझता है तथा ऐसी कार्यवाहियां उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा निपटाई जाएंगी ।

(4) यदि किसी न्यायालय में लम्बित कोई कार्यवाही उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार उच्च न्यायालय को अंतरित नहीं की जाती तो ऐसी कार्यवाही उस न्यायालय में चलती रहेगी जिसमें वह कार्यवाही लम्बित थी ।

(5) इस धारा की कोई बात उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में अपील में लम्बित किसी कार्यवाही को लागू न होगी ।

---

[1] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 10 द्वारा पूर्ववर्ती भाग 3क के, जिसे 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था, स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 35 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 अनुसूची और द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 153" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

45घ. ऋणियों की सूची का स्थिरीकरण—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय उस बैंककारी कंपनी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, ऋणियों की सूची इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से स्थिर कर सकेगा ।

(2) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 52 के अधीन बनाए जाएं, शासकीय समापक, परिसमापन आदेश की तारीख से अथवा बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52) के प्रारंभ से, इनमें से जो भी बाद में हो, उससे छह मास के अन्दर, ऋणियों की सूचियां, जिनमें चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी समय-समय पर उच्च न्यायालय में फाइल करेगा :

परन्तु ऐसी सूचियां उच्च न्यायालय की इजाजत से उक्त छह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् भी फाइल की जा सकेंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी सूची की प्राप्ति पर उच्च न्यायालय, जहां कहीं आवश्यक हो, उससे प्रभावित सब व्यक्तियों को सूचनाएं जारी करवाएगा तथा धारा 45ग के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित रीति से जांच करने के पश्चात् ऋणियों की सूची स्थिर करते हुए आदेश देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को किसी ऐसी सूची को भागत: ऐसे व्यक्तियों के मुकाबले स्थिर करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी जिनके ऋण की सूची में रखे गए सब व्यक्तियों के ऋणों को स्थिर किए गए बिना स्थिर किए हैं ।

(4) ऐसी किसी सूची के स्थिरीकरण के समय उच्च न्यायालय प्रत्येक ऋणी द्वारा देय रकम के संदाय के लिए आदेश देगा तथा दावा किए गए अनुतोष के बारे में, जिसके अंतर्गत किसी प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध अथवा किसी प्रत्याभूति की वसूली के बारे में अनुतोष भी है ऐसे अतिरिक्त आदेश देगा जैसे आवश्यक हों ।

(5) प्रत्येक ऐसा आदेश, अपील के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा एक ओर बैंककारी कंपनी के और दूसरी ओर उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध वह आदेश पारित किया गया है, तथा उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के बीच सभी प्रयोजनों के लिए आबद्धकर होगा तथा वाद की डिक्री समझा जाएगा ।

(6) प्रत्येक ऐसे आदेश के बारे में उच्च न्यायालय एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें मंजूर किए गए अनुतोष, तथा उन पक्षकारों के नाम और वर्णन, जिनके विरुद्ध ऐसे अनुतोष मंजूर किए गए हैं, दिलाए गए खर्चे की रकम तथा यह बात कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा तथा किन निधियों में से और किन अनुपातों में दिए जाएंगे, स्पष्टत: विनिर्दिष्ट होगी तथा प्रत्येक ऐसा प्रमाणपत्र निष्पादन सहित सब प्रयोजनो के लिए डिक्री की प्रमाणित प्रति समझा जाएगा ।

(7) ऋणियों की सूची स्थिर करते समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी भी अन्य समय उच्च न्यायालय को शक्ति होगी कि वह शासकीय समापक के आवेदन पर किसी ऋणी की बाबत ऐसी किसी सम्पत्ति की, जो बैंककारी कंपनी को प्रतिभूति के रूप में दी गई है, वसूली, प्रबंध, संरक्षा, परिरक्षा या विक्रय के लिए कोई आदेश पारित करे तथा पूर्वोक्त निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए शासकीय समापक को ऐसी शक्तियां दे जैसी उच्च न्यायालय ठीक समझता है ।

(8) उच्च न्यायालय को किसी ऋण की बाबत समझौता मंजूर करने की तथा किसी ऋण का किश्तों में संदाय किए जाने का आदेश देने की शक्ति होगी ।

(9) ऐसे किसी मामले में, जिसमें ऐसी कोई सूची किसी व्यक्ति के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से स्थिर की गई है ऐसा व्यक्ति सूची को स्थिर करने वाले आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर ऐसी सूची में वहां तक, जहां तक कि वह उससे संबंधित है, परिवर्तन करने के आदेश के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन कर सकेगा तथा यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसी सूची के स्थिरीकरण के लिए नियत तारीख को उपस्थित होने से वह व्यक्ति किसी पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तथा बैंककारी कंपनी के दावे के विरुद्ध गुणागुण पर प्रतिरक्षा करने का उसके पास अच्छा आधार है तो उच्च न्यायालय उस सूची में परिवर्तन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझता है :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय ठीक समझे तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा ।

(10) इस धारा की कोई बात—

(क) ऐसे ऋण को, जो स्थावर सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत है, उस दशा में लागू न होगी जिसमें ऐसी स्थावर संपत्ति में किसी पर व्यक्ति का कोई हित है, और

(ख) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बैंककारी कंपनी को देय कोई ऋण वसूल करने के शासकीय समापक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगी ।

45ङ. अभिदायियों से आह्वान करने के विषय में विशेष उपबंध—इस बात के होते हुए भी कि अभिदायियों की सूची [1][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 467] के अधीन स्थिर नहीं की गई है यदि उच्च न्यायालय को प्रतीत होता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह परिसमापन का आदेश देने के पश्चात् किसी समय [2][कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 470] की उपधारा (1) के अधीन किसी अभिदायी से आह्वान और उसके संदाय का आदेश उस दशा में कर सकेगा जिसमें कि ऐसे अभिदायी को अभिदायियों की सूची में शासकीय समापक द्वारा रख दिया गया है और वह अपने दायित्व पर आपत्ति करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है ।

45च. बैंककारी कंपनी के दस्तावेजों का साक्ष्य होना—(1) जिस बैंककारी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है, उसकी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में प्रविष्टियां, सब [3][विधिक कार्यवाहियों] में साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी तथा ऐसी सब प्रविष्टियों को या तो बैंककारी कंपनी की लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज, जिनमें ऐसी प्रविष्टियां अंतर्विष्ट हैं, पेश करके साबित किया जा सकेगा या उन प्रविष्टियों की ऐसी प्रति को पेश करके साबित किया जा सकेगा जिसे शासकीय समापक ने अपने हस्ताक्षर करके और यह कथन करते हुए प्रमाणित किया है कि वह मूल प्रविष्टियों की सही प्रति है तथा ऐसी मूल प्रविष्टियां बैंककारी कंपनी की उन लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में विद्यमान हैं जो उसके कब्जे में है ।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बैंककारी कंपनी की लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों की सब ऐसी प्रविष्टियां, जहां तक उस बैंककारी कंपनी के, जिसकी बाबत परिसमापन का आदेश दिया गया है, निदेशकों, [4][अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों] का संबंध है उन सब बातों के सही होने का [5]*** प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होंगी जिनकी बाबत यह तात्पर्यित है कि वे उनमें अभिलिखित हैं ।

45छ. निदेशकों और लेखापरीक्षकों की खुले न्यायालय में परीक्षा—(1) जहां किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया गया है, वहां शासकीय समापक इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या उसकी राय में, उस बैंककारी कम्पनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने में किसी व्यक्ति के या बैंककारी कंपनी के किसी निदेशक या लेखापरीक्षक के किसी कार्य या लोप से (चाहे ऐसे कार्य या लोप से कपट किया गया है या नहीं) उस बैंककारी कंपनी को उसके बनाए जाने के समय से कोई हानि हुई है या नहीं ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने पर उच्च न्यायालय की यह राय है कि किसी व्यक्ति की, जिसने बैंककारी कम्पनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने में भाग लिया है या जो बैंककारी कम्पनी का निदेशक या लेखापरीक्षक रहा है, खुले न्यायालय में परीक्षा की जानी चाहिए तो वह उस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली तारीख को एक खुली बैठक करेगा और यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति, निदेशक या लेखापरीक्षक उसमें उपस्थित होगा तथा बैंककारी कंपनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने की बाबत या उसके कारबार के संचालन की बाबत, अथवा जहां तक बैंककारी कंपनी के कार्यकलाप का संबंध है वहां तक उसके आचरण और व्यवहार की बाबत, उसकी खुले न्यायालय में परीक्षा की जाएगी :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की खुले न्यायालय में परीक्षा तब तक न की जाएगी, जब तक उसे इस बात का कारण दिखाने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसकी ऐसे परीक्षा क्यों न की जाए ।

(3) शासकीय समापक उस परीक्षा में भाग लेगा और यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशिष्टत: प्राधिकृत किया गया हो तो उस प्रयोजन के लिए ऐसी विधिक सहायता ले सकेगा जैसी उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर की जाए ।

(4) कोई लेनदार या अभिदायी भी उस परीक्षा में या तो स्वयं या उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी करने के हकदार किसी व्यक्ति के माध्यम से भाग ले सकेगा ।

(5) उच्च न्यायालय उस व्यक्ति से, जिसकी परीक्षा की जा रही हो, ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जैसे वह ठीक समझता है ।

(6) परीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति की परीक्षा शपथ पर की जाएगी और वह ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर देगा जो उच्च न्यायालय द्वारा उससे पूछे जाएं या जिनकी उससे पूछे जाने की अनुज्ञा उच्च न्यायालय द्वारा दी जाए ।

(7) इस धारा के अधीन जिस व्यक्ति की परीक्षा करने का आदेश दिया गया है वह उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी करने के हकदार किसी व्यक्ति को, अपने खर्चे पर नियोजित कर सकेगा और उस व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी कि वह उससे ऐसे प्रश्न पूछे जिन्हें उच्च न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी उत्तर को स्पष्ट या विशेषित करने के लिए उसे समर्थ करने के प्रयोजन से न्यायसंगत समझे;

परन्तु यदि उच्च न्यायालय की यह राय हो कि वह अपने खिलाफ लगाए गए या सुझाए गए किन्हीं आरोपों से बरी हो गया है, तो उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार उसे ऐसे खर्चे दिला सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1956 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 184" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1956 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 187" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 22 द्वारा (1-2-1964 से) "बैंककारी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 22 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 22 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

(8) परीक्षा का ज्ञापन लेखबद्ध किया जाएगा तथा जिस व्यक्ति की परीक्षा की गई है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा या उसके द्वारा पढ़ा जाएगा तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके पश्चात् किसी भी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध साक्ष्य में काम में लाया जा सकेगा तथा किसी लेनदार या अभिदायी के निरीक्षण के लिए किसी भी उचित समय पर उपलभ्य होगा ।

(9) जहां ऐसी परीक्षा पर उच्च न्यायालय की यह राय है कि (चाहे कोई कपट किया गया है या नहीं)—

(क) जो व्यक्ति बैंककारी कंपनी का निदेशक रहा है वह कंपनी का निदेशक होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, अथवा

(ख) जो व्यक्ति बैंककारी कंपनी का लेखापरीक्षक या ऐसे लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने वाली किसी फर्म का भागीदार रहा है वह कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए या ऐसे लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने वाली फर्म का भागीदार होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है,

वहां उच्च न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति, उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना, पांच वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि तक जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए किसी कंपनी का निदेशक न होगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके प्रबंध से सम्बन्धित न होगा या उसके प्रबंध में भाग नहीं लेगा अथवा, यथास्थिति, किसी कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा या किसी कम्पनी के लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने वाली फर्म का भागीदार नहीं होगा ।

45ज. अपचारी निदेशकों आदि के विरुद्ध नुकसानी निर्धारित करने के लिए विशेष उपबन्ध—(1) जहां किसी धन या संपत्ति की वापसी या प्रत्यावर्तन के लिए किसी बैंककारी कंपनी के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, समापक या अधिकारी के विरुद्ध [1][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 543] के अधीन उच्च न्यायालय में कोई आवेदन किया गया है और आवेदक ने ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बना दिया है, वहां उच्च न्यायालय उस धन या सम्पत्ति को प्रतिसंदत्त करने या प्रत्यावर्तित करने का उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश उस दशा के सिवाय देगा जब वह यह साबित कर देता है कि वह पूर्णत: या भागत: प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करने के दायित्वाधीन नहीं है :

परन्तु जहां ऐसा आदेश दो या अधिक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्तत: दिया जाता है वहां वे धन या संपत्ति को प्रतिसंदत्त या प्रत्यावर्तित करने के संयुक्तत: और पृथक्त: दायित्वाधीन होंगे ।

(2) जहां [1][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 543] के अधीन उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति बैंककारी कंपनी के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, समापक या अधिकारी की है, भले ही वह संपत्ति ऐसे व्यक्ति के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में उसके दृश्यमान स्वामी के रूप में दर्ज हो, वहां उच्च न्यायालय उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय ऐसी संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की जिसे वह ठीक समझे, कुर्की के लिए निदेश दे सकेगा तथा इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति कुर्की के अधीन रहेगी जब तक कि दृश्यमान स्वामी उच्च न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता कि वह उसका वास्तविक स्वामी है तथा संपत्ति की कुर्की से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध ऐसी कुर्की को यावत्‌शक्य लागू होंगे ।

45झ. बैंककारी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों का संपत्ति के वसूल किए जाने में सहायता करने का कर्तव्य—जिस बैंककारी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है उसका प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी उस बैंककारी कंपनी की संपत्ति के वसूल किए जाने और वितरित किए जाने के संबंध में शासकीय समापक की ऐसी सहायता करेगा जैसी वह उचित रूप से अपेक्षित करे ।

45ञ. जिन बैंककारी कंपनियों का परिसमापन किया जा रहा है उनसे संबंधित अपराधों के लिए दंड देने के बारे में विशेष उपबंध—(1) यदि उच्च न्यायालय ठीक समझे तो वह किसी ऐसे अपराध का संज्ञान और संक्षिप्त विचारण कर सकेगा जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह उस बैंककारी कंपनी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, संप्रवर्तन या बनाए जाने में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति या उसके किसी निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी द्वारा किया गया है :

परन्तु यह तब जब कि वह ऐसा अपराध है जो इस अधिनियम के अधीन या [2][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)] के अधीन दंडनीय है ।

(2) यथापूर्वोक्त किसी अपराध का विचारण करते समय उच्च न्यायालय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न किए गए ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जो ऐसा अपराध है जिसके लिए उसी विचारण में अभियुक्त पर [3][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन आरोप लगाया जा सकता है ।

(3) किसी ऐसे मामले में जिसका उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त विचारण किया गया है, उच्च न्यायालय—

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1956 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 235" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1956 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 35 द्वारा (15-2-1984 से) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) किसी साक्षी को उस दशा में समन नहीं करेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य तात्त्विक नहीं होगा;

(ख) विचारण का किसी प्रयोजन के लिए स्थगन करने के लिए तब तक आबद्ध न होगा जब तक ऐसा स्थगन उच्च न्यायालय की राय में न्याय के हित में आवश्यक न हो;

(ग) कोई दंडादेश पारित करने के पूर्व अपना निर्णय अभिलिखित करेगा जिसमें साक्ष्य का सार सन्निविष्ट होगा तथा [1][दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 263] में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां भी वहां तक सन्निविष्ट होंगी जहां तक वह धारा लागू हो,

और [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] की धारा 262 की उपधारा (2) की कोई बात ऐसे किसी विचारण को लागू न होगी ।

(4) परिसमापन से संबंधित वे सब अपराध जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित हैं, और जो इस अधिनियम के अधीन या [2][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)], के अधीन दंडनीय हैं, और जिनका विचारण उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्ततः नहीं किया जाता है उनका संज्ञान और विचारण उस अधिनियम में या [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] में अथवा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से, जो उस बैंककारी कंपनी के परिसमापन की कार्यवाहियों को निपटा रहा है, भिन्न न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा ।

(5) [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, विचारण के लिए अभियुक्त के उसको सुपुर्द किए जाने के बिना भी कर सकेगा [3]*** ।

45ट. [उच्च न्यायालय को ठहराव स्कीमों, आदि को प्रवृत्त करने की शक्ति ।] का बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का 33) की धारा 31 द्वारा (1-10-1959 से) निरसन ।

45ठ. ठहराव की स्कीमों के अधीन किसी बैंककारी कंपनी के बारे में निदेशकों और लेखापरीक्षकों आदि की खुले न्यायालय में परीक्षा—(1) जहां [4][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391] के अधीन किसी बैंककारी कंपनी की बाबत कोई समझौता या ठहराव मंजूर किए जाने के लिए आवेदन किया गया है या जहां ऐसी मंजूरी दे दी गई है और उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर या अन्यथा रिजर्व बैंक की यह राय है कि किसी व्यक्ति की, जिसने बैंककारी कम्पनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने में भाग लिया है या जो बैंककारी कंपनी का निदेशक या लेखापरीक्षक रहा है, खुले न्यायालय में परीक्षा की जानी चाहिए, वहां वह ऐसे व्यक्ति की ऐसी परीक्षा किए जाने का निदेश दे सकेगा तथा धारा 45छ के उपबंध यथाशक्य, ऐसी बैंककारी कंपनी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उस बैंककारी कम्पनी को लागू होते हैं जिसका परिसमापन किया जा रहा है ।

(2) जहां [4][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391] के अधीन किसी बैंककारी कंपनी की बाबत कोई समझौता या ठहराव मंजूर कर दिया गया है वहां [5][उक्त अधिनियम की धारा 543] के तथा इस अधिनियम की धारा 45ज के उपबंध उस बैंककारी कम्पनी को यथाशक्य वैसे ही, जैसे वे ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू होते हैं जिसका परिसमापन किया जा रहा है, इस प्रकार लागू होंगे मानो समझौते या ठहराव को मंजूर करने वाला आदेश उस बैंककारी कंपनी का परिसमापन करने का आदेश हो ।

[6][(3) जहां धारा 45 के अधीन [7][किसी बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन की कोई स्कीम] केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई है और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यक्ति की, जिसने बैंककारी कंपनी के संप्रवर्तन या बनाए जाने में भाग लिया है या जो बैंककारी कंपनी का निदेशक या लेखापरीक्षक रहा है, खुले न्यायालय में परीक्षा की जानी चाहिए, वहां वह सरकार उस व्यक्ति की परीक्षा के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगी और यदि ऐसी परीक्षा करने पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि (चाहे कपट किया गया है या नहीं) वह व्यक्ति कंपनी का निदेशक होने के लिए अथवा कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए या ऐसे लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने वाली फर्म का भागीदार होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो केंद्रीय सरकार यह आदेश देगी कि वह व्यक्ति केंद्रीय सरकार की इजाजत के बिना, पांच वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि तक, जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी कंपनी का निदेशक न होगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके प्रबंध से संबंधित न होगा या उसके प्रबंध में भाग नहीं लेगा अथवा, यथास्थिति, किसी कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा या किसी कंपनी के लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने वाली फर्म का भागीदार नहीं होगा ।

(4) जहां धारा 45 के अधीन [4][किसी बैंककारी कंपनी के पुनर्गठन या समामेलन की कोई स्कीम] केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 543 के तथा इस अधिनियम की धारा 45ज के उपबंध उस बैंककारी कंपनी को यथाशक्य वैसे ही जैसे वे ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू होते हैं जिसका परिसमापन किया जा रहा है, इस प्रकार लागू होंगे

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 35 द्वारा (15-2-1984 से) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1956 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 35 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 153" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "उक्त अधिनियम की धारा 235" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1960 के अधिनियम सं० 37 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7] 1961 के अधिनियम सं० 7 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मानो ऐसी बैंककारी कंपनी का, यथास्थिति, पुनर्गठन या समामेलन मंजूर करने वाला आदेश उस बैंककारी कंपनी का परिसमापन करने का आदेश हो, तथा उक्त धारा 543 में शासकीय समापक के आवेदन के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे लगाया जाएगा मानो वह केंद्रीय सरकार के आवेदन के प्रति निर्देश हो ।]

45ड. संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर ठहराव की स्कीमों के अधीन काम करने वाली बैंककारी कंपनियों के लिए विशेष उपबंध—जहां किसी बैंककारी कंपनी की बाबत [1][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391] के अधीन मंजूर किया गया कोई समझौता या ठहराव बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 2) के प्रारंभ पर क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां यदि ऐसी बैंककारी कंपनी के आवेदन पर उच्च न्यायालय ठीक समझता है तो वह—

(क) समझौते या ठहराव के उपबंधों में से किसी के क्रियान्वयन में हुए किसी विलंब के लिए माफी दे सकेगा, अथवा

(ख) बैंककारी कंपनी को अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने ऋणियों की सूची धारा 45घ के उपबंधों के अनुसार स्थिर कर ले तथा ऐसी दशा में उक्त धारा के उपबंध उस बैंककारी कंपनी को यथाशक्य वैसे ही जैसे वे ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू होते हैं जिसका परिसमापन किया जा रहा है इस प्रकार लागू होंगे मानो समझौते या ठहराव को मंजूर करने वाला आदेश उस बैंककारी कंपनी का परिसमापन करने का आदेश हो ।

45ढ. अपीलें—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सिविल कार्यवाही में उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय की अपील उस दशा में होगी जब दावे की विषय वस्तु की रकम या मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक है ।

(2) उच्च न्यायालय, धारा 45ज के अधीन दिए गए, किसी आदेश की अपील तथा उन शर्तों के लिए जिनके अधीन ऐसी कोई अपील होगी, नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय अंतिम होगा तथा एक ओर बैंककारी कंपनी के और दूसरी ओर उन सब व्यक्तियों के, जो उसके पक्षकार हैं तथा उनके या उनमें से किसी के माध्यम से या अधीन दावा करने वाले सब व्यक्तियों के बीच सब प्रयोजनों के लिए आबद्धकर होगा ।

45ण. विशेष परिसीमा-काल—(1) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस बैंककारी कंपनी द्वारा, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, वाद या आवेदन के लिए विहित परिसीमा-काल की संगणना करने में बैंककारी कंपनी के परिसमापन के लिए अर्जी पेश करने की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(2) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) या [1][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 543] में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस बैंककारी कंपनी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, किसी निदेशक से आह्वानों को बकाया की वसूली के लिए या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा पर आधारित किसी दावे को अपने निदेशकों में से किसी के विरुद्ध बैंककारी कंपनी द्वारा प्रवर्तित कराए जाने के लिए कोई परिसीमा-काल नहीं होगा; तथा अपने निदेशकों के विरुद्ध बैंककारी कंपनी के अन्य सब दावों की बाबत परिसीमा-काल ऐसे दावों के प्रोद्भूत होने की तारीख से बारह वर्ष [2][या समापक की प्रथम नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष, इनमें से जो भी अधिक हों वह] होगा ।

(3) इस धारा के उपबंध जहां तक परिसमापन की जा रही बैंककारी कंपनियों के संबंध में लागू हैं ऐसी बैंककारी कंपनी को भी लागू होंगे जिसके बारे में परिसमापन की अर्जी बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 2) के प्रारंभ के पूर्व पेश कर दी गई है ।

45त. परिसमापन कार्यवाहियों में रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दिया जाना—जहां किसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन के लिए किसी कार्यवाही में, जिसमें रिजर्व बैंक से भिन्न कोई व्यक्ति शासकीय समापक नियुक्त किया गया है तथा उच्च न्यायालय ने शासकीय समापक को निदेश दिया है, कि वह ऐसे किसी मामले में रिजर्व बैंक से (जिसे ऐसा करने के लिए इसके द्वारा सशक्त किया जाता है) सलाह अभिप्राप्त करे, वहां रिजर्व बैंक के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी किसी कार्यवाही के अभिलेख की परीक्षा करे तथा उस मामले में ऐसी सलाह दे जैसी वह ठीक समझे ।

45थ. निरीक्षण करने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिए जाने पर रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों में से किसी एक या अधिक के द्वारा उस बैंककारी कंपनी का, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, और उसकी बहियों और लेखाओं का, निरीक्षण कराएगा ।

(2) ऐसे निरीक्षण पर रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को और उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करेगा ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 14 और अनुसूची द्वारा (14-1-1957 से) "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 235" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1956 के अधिनियम सं० 9 की धारा 32 द्वारा (1-10-1959 से) अंत:स्थापित ।

(3) यदि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर विचार करने पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि परिसमापन कार्यवाहियों में तात्त्विक अनियमितता हुई है, तो वह ऐसी अनियमितता की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकेगी जिससे उच्च न्यायालय ऐसी कार्रवाई कर सके जैसी वह ठीक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर अथवा उपधारा (3) के अधीन किसी अनियमितता की ओर केंद्रीय सरकार द्वारा ध्यान आकर्षित किए जाने पर यदि उच्च न्यायालय ठीक समझता है तो केंद्रीय सरकार को सूचना देने के पश्चात् तथा उस रिपोर्ट की बाबत केंद्रीय सरकार की सुनवाई करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

45द. विवरणियां और जानकारी मांगने की शक्ति—रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी के समापक से लिखित सूचना द्वारा किसी समय अपेक्षा कर सकेगा कि वह बैंककारी कंपनी के परिसमापन से संबंधित या संबद्ध कोई विवरण या जानकारी इतने समय के अंदर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, या इतने अतिरिक्त समय के अंदर, जितना रिजर्व बैंक अनुज्ञात करे, उसे दे तथा ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करना प्रत्येक समापक का कर्तव्य होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा और धारा 45ग के प्रयोजनों के लिए ऐसी बैंककारी कंपनी, जो समझौते या ठहराव के अधीन काम कर रही है, किंतु नए निक्षेप प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध की गई है यथाशक्य ऐसी बैंककारी कंपनी समझी जाएगी जिसका परिसमापन किया जा रहा है।

45ध. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट का परिसमापनाधीन बैंककारी कंपनी की संपत्ति का भारग्रहण करने में शासकीय समापक की सहायता करना—(1) शासकीय समापक या धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी को इस बात के लिए समर्थ करने के प्रयोजन से कि वह ऐसी सब संपत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावे, जिनकी बैंककारी कंपनी [1]*** हकदार है या हकदार प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा या अपने नियंत्रण में ले, यथास्थिति, शासकीय समापक या विशेष अधिकारी ऐसे [2][मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से], जिसकी अधिकारिता के अंदर ऐसी बैंककारी कंपनी की कोई संपत्ति, लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजें हों या पाई जाएं, लिखकर यह अनुरोध कर सकेगा कि वह उन्हें अपने कब्जे में ले ले, तथा, यथास्थिति, वह [4][मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से] उससे ऐसा अनुरोध किए जाने पर—

[3][(क) ऐसी संपत्ति, लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों को कब्जे मे ले लेगा, तथा

(ख) उन्हें शासकीय समापक या विशेष अधिकारी को भेज देगा।]

[4][(2) जहां कोई ऐसी संपत्ति और चीजबस्त, यथास्थिति, [5][मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] के कब्जे में है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासकीय समापक या विशेष अधिकारी द्वारा उससे लिखकर अनुरोध किए जाने पर ऐसी संपत्ति और चीजबस्त का विक्रय करेगा और विक्रय के शुद्ध आगमों को शासकीय समापक या विशेष अधिकारी को भेज देगा :

परन्तु ऐसा विक्रय, जहां तक हो सकेगा, लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा।]

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन कराने के प्रयोजन से [2][मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] ऐसी कार्रवाई कर सकेगा या करा सकेगा तथा इतने बल का प्रयोग कर सकेगा या करा सकेगा जितना उसकी राय में आवश्यक हो :

(4) [2][मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट] के इस धारा के अनुसरण में किए गए किसी कार्य पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं की जाएगी।

45न. उच्च न्यायालय के आदेशों और विनिश्चयों को प्रवर्तित कराना—(1) किसी सिविल कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सब आदेशों को उसी रीति से प्रवर्तित कराया जा सकेगा जिससे ऐसे न्यायालय की उन डिक्रियों को कराया जा सकता है जो उस न्यायालय में लंबित किसी वाद में दी गई हों।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समापक उस न्यायालय से, जिसने डिक्री दी थी, भिन्न अन्य न्यायालय द्वारा डिक्री का निष्पादन कराने के लिए धारा 45ध की उपधारा (6) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र पेश करके तथा ऐसे अन्य न्यायालय को लिखित रूप में वह रकम जो उस डिक्री के अधीन दिए जाने के लिए शेष है अथवा वह अनुतोष जो उस डिक्री के अधीन अप्रवर्तित रह गया है प्रमाणित करते हुए आवेदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह कोई रकम जो उच्च न्यायालय के आदेश या विनिश्चय द्वारा बैंककारी कंपनी को देय पाई गई है उच्च न्यायालय की इजाजत से [6][उसी रीति से समापक द्वारा वसूल की जा सकेगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूली की जाती है तथा ऐसी वसूली करने के प्रयोजन से] समापक उस कलक्टर को जिसकी

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 23 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 36 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 23 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 23 द्वारा (1-2-1964 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 36 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[6] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 23 द्वारा (1-2-1964 से) "उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति की संपत्ति स्थित है जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय का कोई आदेश या विनिश्चय किया गया है अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रमाणपत्र भेज सकेगा जिसमें ऐसी देय रकम तथा उस व्यक्ति का नाम, जिसके द्वारा यह संदेय है, विनिर्दिष्ट होंगे ।

[1][(4) उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर कलक्टर उस व्यक्ति से वह रकम जो उसमें विनिर्दिष्ट है, वसूल करने के लिए ऐसी कार्यवाही कर सकेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो :

परंतु कलक्टर की किन्हीं अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे उक्त रकम वसूल करने के प्रयोजनों के लिए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो डिक्री के अधीन देय रकम की वसूली के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं ।]

45प. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति—उच्च न्यायालय ऐसे नियम, जो इस अधिनियम और धारा 52 के अधीन बनाए गए नियमों के संगत हों, निम्नलिखित विहित करने के लिए बना सकेगा,—

(क) वह रीति जिससे भाग 3 या भाग 3क के अधीन जांच और कार्यवाहियां की जा सकेंगी;

(ख) वे अपराध जिनका विचारण संक्षिप्तत: किया जा सकेगा;

(ग) वह प्राधिकारी जिसको और वे शर्तें जिन पर अपीलें की जा सकेंगी और वह रीति जिससे ऐसी अपीलें फाइल की जा सकेंगी और सुनी जा सकेंगी;

(घ) कोई अन्य बात, जिसके लिए उपबंध, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रभावपूर्ण प्रयोग करने के वास्ते उच्च न्यायालय को समर्थ करने के लिए किया जाता है ।

45फ. निदेशकों आदि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत पिछले निदेशकों आदि के प्रति निर्देश हैं—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि इस भाग में बैंककारी कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, समापक, अधिकारी या लेखापरीक्षक के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस बैंककारी कंपनी के किसी पिछले या वर्तमान निदेशक, प्रबंधक, समापक, अधिकारी या लेखापरीक्षक के प्रति निर्देश है ।

45ब. भाग 2 का उन बैंककारी कंपनियों को लागू न होना जिनका परिसमापन किया जा रहा है—भाग 2 की कोई बात किसी ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू न होगी जिसका परिसमापन किया जा रहा है ।

45भ. कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण—धारा 45ख में या इस भाग के किसी अन्य उपबंध में अथवा बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का 20) की धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी यह है कि बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 52) के प्रारंभ के पूर्व उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किसी बात के बारे में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता है, की गई कोई भी कार्यवाही, दिया गया कोई भी निर्णय या डिक्री या आदेश केवल इस बात के कारण अविधिमान्य न होगा और कभी भी अविधिमान्य हुआ न समझा जाएगा कि ऐसी कार्यवाही, निर्णय, डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा दिया गया था ।

[2][**भाग 3ख**

बैंककारी कंपनियों की कुछ संक्रियाओं से संबंधित उपबंध

45म. अभिलेखों के परिरक्षण के लिए नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति—केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम ऐसी अवधियां विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी, जिनके लिए—

(क) कोई बैंककारी कंपनी अपनी बहियों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों को परिरक्षित करेगी; और

(ख) कोई बैंककारी कंपनी अपने द्वारा संदत्त विभिन्न लिखतों को परिरक्षित करेगी और अपने पास रखेगी ।

45य. संदत्त लिखतों का ग्राहकों को वापस किया जाना—(1) जहां किसी बैंककारी कंपनी से उसके ग्राहक द्वारा धारा 45म के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई संदत्त लिखत उसको वापस किए जाने की अपेक्षा की जाती है वहां बैंककारी कंपनी उस लिखत को, ऐसी लिखत के सभी सुसंगत भागों की सही प्रति बनाए जाने के पश्चात् और उसे अपने कब्जे में रखने के पश्चात् ही वापस करेगी, अन्यथा नहीं और ऐसी प्रति ऐसी किसी यांत्रिक या अन्य प्रक्रिया द्वारा बनाई जाएगी जिससे स्वयं प्रति की शुद्धता सुनिश्चित होती है ।

(2) बैंककारी कंपनी उस लिखत की ऐसी प्रतियां बनाने की लागत ग्राहक से वसूल करने की हकदार होगी ।

स्पष्टीकरण— इस धारा में "ग्राहक" के अंतर्गत कोई सरकारी विभाग और किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगम है ।

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 24 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 37 द्वारा (29-3-1985 से) अंत:स्थापित ।

45यक. निक्षेपकर्ताओं के धन के संदाय के लिए नामनिर्देशन—(1) जहां कोई निक्षेप किसी बैंककारी कंपनी द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के नाम में धारित है, वहां, यथास्थिति, निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ता मिलकर, ऐसे एक व्यक्ति को विहित रीति से नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिसको एकमात्र निक्षेपकर्ता या निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में निक्षेप की रकम ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा वापस की जाएगी ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसे निक्षेप की बाबत वसीयती या अन्यथा किसी व्यवस्थापन में किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित रीति से किया गया कोई नामनिर्देशन बैंककारी कंपनी से निक्षेप की रकम प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है वहां नामनिर्देशिती, यथास्थिति, एकमात्र निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु पर, जब तक नामनिर्देशन में विहित रीति से फेरफार नहीं की जाती है या उसे रद्द नहीं किया जाता है तब तक अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए ऐसे निक्षेप के संबंध में, यथास्थिति, एकमात्र निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ताओं के सभी अधिकारों का हकदार हो जाएगा ।

(3) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है वहां नामनिर्देशन करने वाले निक्षेपकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में, किसी व्यक्ति की निक्षेप की रकम प्राप्त करने के लिए विहित रीति से नियुक्त करे ।

(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी बैंककारी कंपनी द्वारा संदाय से ऐसी बैंककारी कंपनी, निक्षेपों की बाबत अपने दायित्वों से पूर्णत: उन्मोचित हो जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात का किसी ऐसे अधिकार या दावे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो किसी व्यक्ति को ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध है जिसको इस धारा के अधीन संदाय किया जाता है ।

45यख. निक्षेपों की बाबत अन्य व्यक्तियों के दावों की सूचना का प्राप्य न होना— ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिनके नाम में निक्षेप किसी बैंककारी कंपनी द्वारा धारित हैं, भिन्न किसी व्यक्ति के दावे की कोई सूचना बैंककारी कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं होगी और बैंककारी कंपनी ऐसी किसी सूचना द्वारा, चाहे वह उसे अभिव्यक्तत: दी गई हो, आबद्ध नहीं होगी :

परन्तु जहां ऐसे निक्षेप से संबंधित सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय की कोई डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार किसी बैंककारी कंपनी के समक्ष पेश किया जाता है वहां बैंककारी कंपनी ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार का सम्यक् ध्यान रखेगी ।

45यग. बैंककारी कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के वापस किए जाने के लिए नामनिर्देशन—(1) जहां कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी बैंककारी कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति को विहित रीति से नामनिर्देशित कर सकेगा जिसको सुरक्षित अभिरक्षा में उस वस्तु को रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में ऐसी वस्तु बैंककारी कंपनी द्वारा वापस की जा सकेगी ।

(2) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां नामनिर्देशन करने वाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में किसी व्यक्ति को निक्षिप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए विहित रीति से नियुक्त करे ।

(3) बैंककारी कंपनी, नामनिर्देशिती या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन कोई वस्तुएं वापस करने के पूर्व ऐसी रीति से, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाए, उक्त वस्तुओं की एक तालिका तैयार करेगी जिस पर ऐसे नामनिर्देशिती या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह इस प्रकार तैयार की गई तालिका की प्रति ऐसे नामनिर्देशिती या व्यक्ति को देगी ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी वस्तु की बाबत वसीयती या अन्यथा किसी व्यवस्थापन में किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित रीति से किया गया कोई नामनिर्देशन बैंककारी कंपनी से वस्तु प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है, वहां नामनिर्देशिती, वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर, जब तक नामनिर्देशन में विहित रीति से फेरफार नहीं की जाती है या उसे रद्द नहीं किया जाता है तब तक अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए वस्तु को वापस लेने का हकदार हो जाएगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात का किसी ऐसे अधिकार या दावे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो किसी व्यक्ति को ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध है जिसको इस उपधारा के अनुसरण में वस्तु को वापस किया जाता है ।

45यघ. वस्तुओं की बाबत अन्य व्यक्तियों के दावों की सूचना का प्राप्य न होना— ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिनके नाम में कोई वस्तु किसी बैंककारी कंपनी द्वारा धारित है, भिन्न किसी व्यक्ति के दावे की कोई सूचना बैंककारी कंपनी द्वारा प्राप्य नहीं होगी और बैंककारी कंपनी ऐसी किसी सूचना द्वारा, चाहे वह उसे अभिव्यक्तत: दी गई हो, आबद्ध नहीं होगी :

परन्तु जहां ऐसी वस्तु से संबंधित सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय की कोई डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार किसी बैंककारी कंपनी के समक्ष पेश किया जाता है वहां बैंककारी कंपनी ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार का सम्यक् ध्यान रखेगी ।

45 यङ. सुरक्षा लाकरों की अंतर्वस्तुओं का निर्मुक्त किया जाना—(1) जहां कोई व्यक्ति किसी बैंककारी कंपनी से किसी लाकर को भाड़े पर लेने वाला एकमात्र व्यक्ति है, चाहे ऐसा लाकर ऐसी बैंककारी कंपनी के सुरक्षित निक्षेप कक्ष में या अन्यत्र रखा गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा जिसको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में बैंककारी कंपनी लाकर तक पहुंच होने देगी और ऐसे लाकर की अंतर्वस्तुओं को हटाने की स्वतंत्रता देगी ।

(2) जहां ऐसा कोई लाकर किसी बैंककारी कंपनी से संयुक्तत: दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा भाड़े पर लिया जाता है और भाड़े की संविदा के अधीन भाड़े पर लेने वाले संयुक्तत: दो या अधिक ऐसे व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रचालित किया जाना है, वहां भाड़े पर लेने वाले ऐसे व्यक्ति ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिनको भाड़े पर लेने वाले ऐसे संयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में, बैंककारी कंपनी, यथास्थिति, उत्तरजीवी भाड़े पर लेने वाले संयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को संयुक्तत: लाकर उपलब्ध कराएगी और ऐसे लाकर की अंतर्वस्तुओं को हटाने की स्वतंत्रता देगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक नामनिर्देशन विहित रीति से किया जाएगा ।

(4) बैंककारी कंपनी पूर्वोक्त किसी नामनिर्देशिती द्वारा या किसी नामनिर्देशिती और उत्तरजीवियों द्वारा संयुक्तत: किसी लाकर की अंतर्वस्तुओं को हटाया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व, ऐसी रीति से, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निदिष्ट की जाए, लाकर की अंतर्वस्तुओं की एक तालिका तैयार करेगी जिस पर ऐसे नामनिर्देशिती द्वारा या संयुक्तत: ऐसे नामनिर्देशिती और उत्तरजीवियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह इस प्रकार तैयार की गई तालिका की प्रति ऐसे नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती और उत्तरजीवियों को देगी ।

(5) पूर्वोक्त किसी नामनिर्देशिती द्वारा या संयुक्तत: किसी नामनिर्देशिती और उत्तरजीवियों द्वारा किसी लाकर की अंतर्वस्तुओं को हटाए जाने पर लाकर की अंतर्वस्तुओं के संबंध में बैंककारी कंपनी का दायित्व उन्मोचित हो जाएगा ।

(6) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में किसी लाकर तक पहुंच अनुज्ञात करने के लिए और ऐसे लाकर की अंतर्वस्तुओं को हटाने की स्वतंत्रता देने से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही किसी बैंककारी कंपनी के विरुद्ध नहीं होगी ।

45यच. सुरक्षा लाकरों की बाबत अन्य व्यक्तियों के दावों की सूचना का प्राप्य न होना—किसी लाकर के भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के दावे की कोई सूचना किसी बैंककारी कंपनी द्वारा प्राप्य नहीं होगी और बैंककारी कंपनी ऐसी किसी सूचना द्वारा, चाहे वह उसे अभिव्यक्तत: दी गई हो, आबद्ध नहीं होगी :

परन्तु जहां लाकर या उसकी अंतर्वस्तुओं से संबंधित सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय की कोई डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार किसी बैंककारी कंपनी के समक्ष पेश किया जाता है वहां बैंककारी कंपनी ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार का सम्यक् ध्यान रखेगी ।]

भाग 4

प्रकीर्ण

46. शास्तियां—(1) जो कोई किसी विवरणी, तुलनपत्र या अन्य दस्तावेज में [1][अथवा ऐसी किसी जानकारी] में, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के द्वारा या अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए [1][अपेक्षित है या दी गई है] जानबूझकर ऐसा कोई कथन, जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है, उसका मिथ्या होना जानते हुए, करेगा अथवा कोई तात्त्विक कथन करने का जानबूझकर लोप करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, [2][या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश नहीं करेगा या ऐसा कोई कथन या जानकारी नहीं देगा, जिसकी बाबत धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन उसका यह कर्तव्य है कि वह उसे पेश करे या दे या किसी बैंककारी कंपनी के कारबार से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा जो [3][उस धारा के अधीन निरीक्षण या संवीक्षा करने वाले अधिकारी] द्वारा उससे पूछा जाता है, तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के लिए [2][बीस लाख] तक का हो सकेगा, और उस दशा में जिसमें वह ऐसे इन्कार करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे हर दिन के लिए जिसके दौरान वह अपराध जारी रहता है, [2][पचास हजार] तक का हो सकेगा, दण्नीय होगा ।

(3) यदि धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन आदेश का उल्लंघन करके बैंककारी कंपनी द्वारा कोई निक्षेप प्राप्त किए जाएंगे, तो बैंककारी कंपनी का प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि वह उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उसका निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और इतने जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे प्राप्त निक्षेपों की रकम की दुगुनी रकम तक का हो सकेगा ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 9 द्वारा (14-1-1957 से) "अपेक्षित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 38 द्वारा (15-2-1984 से) "उस धारा के अधीन निरीक्षण करने वाले अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाएगा, या यदि किसी व्यक्ति द्वारा—

(i) इस अधिनियम की या इसके अधीन दिए गए किसी आदेश, बनाए गए नियम या दिए गए निदेश या लगाई गई शर्त की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में, या

(ii) धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई किसी स्कीम के निबंधनों का या उसके अधीन बाध्यताओं का पालन करने में,

कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, [2][जो [2][एक करोड़ रुपए] अथवा ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम की जहां ऐसी रकम की परिगणना की जा सकती है, दुगुनी रकम, इसमें से जो भी अधिक हो, तक का हो सकेगा, और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, [2][एक लाख रुपए] तक का हो सकेगा,] दंडनीय होगा ।]

(5) जहां कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम किसीकंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन या व्यतिक्रम के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह उसे यह साबित कर दे कि वह उल्लंघन या व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस उल्लंघन या व्यतिक्रम का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसका किया जाना उसकी किसी घोर उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन या व्यतिक्रम का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

[3][**46क. अध्यक्ष, निदेशक, आदि का भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवक होना**—बैंककारी कंपनी का [4][प्रत्येक अध्यक्ष जो पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, प्रबंध निदेशक, निदेशक, लेखापरीक्षक,] समापक, प्रबंधक और कोई अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 9 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवक समझा जाएगा ।]

47. अपराधों का संज्ञान— कोई भी न्यायालय [5][धारा 36कक की उपधारा (5) या] धारा 46 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, [6][यथास्थिति, रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक] के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जिसे [6][यथास्थिति, रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक] ने साधारणत: या विशेषत: इस निमित्त लिखकर प्राधिकृत किया है, लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं तथा [7][महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय या उससे वरिष्ठ कोई न्यायालय] ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

[8][**47क. शास्ति अधिरोपित करने की रिजर्व बैंक की शक्ति**—(1) धारा 46 में किसी बात के होते हुए भी यदि धारा 46 की [9][उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4)] में निर्दिष्ट प्रकार का, यथास्थिति, उल्लंघन या व्यतिक्रम किसी बैंककारी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऐसी बैंककारी कंपनी पर—

[7][(क) उस दशा में जिसमें उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 46 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकार का है, प्रत्येक अपराध के संबंध में बीस लाख रुपए से अनधिक शास्ति और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है वहां अतिरिक्त शास्ति से

---

[1] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 25 द्वारा (1-2-1964 से) और तत्पश्चात् 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 38 द्वारा (15-2-1984 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 8 द्वारा (31-1-1994 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 10 द्वारा (14-1-1957 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा (31-1-1994 से) "प्रत्येक अध्यक्ष, निदेशक, लेखापरीक्षक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 26 द्वारा (1-2-1964 से) अंत:स्थापित ।

[6] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 द्वारा (1-5-1982 से) "रिजर्व बैंक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 39 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 17 द्वारा (1-2-1969 से) अंत:स्थापित ।

[9] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास हजार रुपए से अनधिक तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा ;

(ख) उस दशा में, जिसमें उल्लंघन धारा 46 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकार का है, उन निक्षेपों की जिनकी बाबत ऐसा उल्लंघन किया गया था, दुगुने से अनधिक रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ;

(ग) उस दशा में, जिसमें उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 46 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रकार का है, एक करोड़ रुपए से या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम की दुगुनी रकम से जहां ऐसी रकम की परिगणना की जा सकती है, इनमें से जो भी अधिक हो, अनधिक शास्ति और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है वहां अतिरिक्त शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है एक लाख रुपए तक हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा ।]

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक, बैंककारी कंपनी पर यह अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करेगा कि वह यह कारण दर्शित करे कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम क्यों न अधिरोपित की जाए और ऐसी बैंककारी कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा ।]

(4) ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम की बाबत, जिसके संबंध में कोई शास्ति रिजर्व बैंक ने इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की है, किसी न्यायालय में किसी बैंककारी कंपनी के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल न किया जाएगा ।

(5) इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित की गई कोई शास्ति उस तारीख से, जिसको उस राशि के संदाय की मांग करने वाली रिजर्व बैंक द्वारा निकाली गई सूचना की बैंककारी कंपनी पर तामील हुई है, चौदह दिन की अवधि के अंदर संदेय होगी, तथा बैंककारी कंपनी द्वारा उस राशि का संदाय उस अवधि के अंदर न किए जाने की दशा में उस क्षेत्र में जिसमें उस बैंककारी कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है अथवा बैंककारी कंपनी के भारत के बाहर निगमित होने की दशा में उस क्षेत्र में जिसमें उसका भारत में कारबार का प्रधान स्थान है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर उद्‌गृहीत की जा सकेगी :

परंतु ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक द्वारा या इस निमित्त उस बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) वह न्यायालय, जिसने उपधारा (5) के अधीन निदेश दिया है, एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें उस बैंककारी कंपनी द्वारा देय राशि विनिर्दिष्ट होगी तथा ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा, मानो वह सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो ।

(7) जहां किसी न्यायालय में किसी बैंककारी कंपनी के विरुद्ध धारा 46 की, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रकार के उल्लंघन या व्यतिक्रम की बाबत कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस बैंककारी कंपनी पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नहीं की जाएंगी ।

48. जुर्मानों का उपयोजन—इस अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला न्यायालय निदेश दे सकेगा कि पूरा जुर्माना अथवा उसका कोई भाग कार्यवाहियों के खर्चों का संदाय करने में या संदाय मद्दे अथवा उस व्यक्ति को जिसकी इत्तिला से वह जुर्माना वसूल किया गया है पुरस्कृत करने में या पुरस्कृत करने मद्दे उपयोजित किया जाए ।

49. प्राइवेट बैंककारी कंपनियों के संबंध में विशेष उपबंध—[2][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 90, 165, 182, 204 और 255, धारा 293 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) तथा धारा 300, 388क और 416] में किसी प्राइवेट कंपनी के पक्ष में छूटें, चाहे वे अभिव्यक्त हों या विवक्षित, ऐसी प्राइवेट कंपनी के संबंध में प्रवृत्त न होंगी जो बैंककारी कंपनी है ।

[3][49क. चेक द्वारा निकाले जा सकने वाले निक्षेपों को स्वीकार करने पर निर्बंधन—बैंककारी कंपनी, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा [4][रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य बैंककारी संस्था, फर्म या अन्य व्यक्ति से भिन्न] कोई व्यक्ति जनता से धन के ऐसे निक्षेप स्वीकार नहीं करेगा जो चेक द्वारा निकाले जा सकते हैं :

परंतु इस धारा की कोई बात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी बचत बैंक स्कीम को लागू न होगी ।

49ख. बैंककारी कंपनी द्वारा नाम का बदला जाना—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 21 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार किसी बैंककारी कंपनी का नाम बदलने के बारे में अपना अनुमोदन तब तक नहीं देगी जब तक रिजर्व बैंक लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे बदलने के बारे में उसे कोई आक्षेप नहीं करना है ।

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 20 की धारा 10 द्वारा (31-1-1994 से) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 17, 77, 83ख, 86ज, 91ख और 91घ तथा धारा 144 की उपधारा (5)" शब्दों को पूर्वोक्त रूप में पढ़े जाने के लिए 1956 के अधिनियम सं० 95 की धारा 11; 1956 के अधिनियम सं० 33 की धारा 34 और 1963 के अधिनियम सं० 55 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1959 के अधिनियम सं०33 की धारा 35 द्वारा (1-10-1959 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1993 के अधिनियम सं०55 की धारा 28 द्वारा (1-2-1964 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

49ग. बैंककारी कंपनी के ज्ञापन का परिवर्तन—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंककारी कंपनी के ज्ञापन के परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकेगा जब तक रिजर्व बैंक प्रमाणित नहीं कर देता कि ऐसे परिवर्तन पर कोई आक्षेप नहीं करना है ।]

50. प्रतिकर के लिए कतिपय दावों का वर्जित होना—किसी भी व्यक्ति को चाहे, वह संविदा में या अन्यथा, किसी ऐसी हानि के लिए, किसी प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा जो [1][धारा 10,12क, 16, 35क, 35ख, [2][36, 43क, और 45] के] उपबंधों में से किसी के प्रवर्तन के कारण अथवा इस अधिनियम के अधीन बैंककारी कंपनी को दिए गए किसी आदेश या निदेश का उस बैंककारी कंपनी द्वारा अनुपालन करने के कारण हुई हों ।

[3]**[51. कतिपय उपबंधों का भारतीय स्टेट बैंक और अन्य अधिसूचित बैंकों को लागू होना**—[4][(1)] भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के उपबंधों पर अथवा किसी अन्य अधिनियमिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 10, 13 से लेकर 15, 17 [5][19 से लेकर 21क, 23 से लेकर 28, उपधारा (3) को अपवर्जित करके] [धारा 29, [6][29क] [7][धारा 30 की उपधारा (1ख), (ग) और (2), धारा 31], 34, 35, 35क [उपधारा (1) के खंड (घ) को अपवर्जित करके] धारा 36, धारा 45म से लेकर 45यच, धारा 46 से लेकर 48], धारा 50, 52 और 53 भारतीय स्टेट बैंक [8][अथवा किसी तत्स्थानी नए बैंक अथवा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अथवा समनुषंगी बैंक को] और उसके संबंध में, जहां तक संभव हो ऐसे ही लागू होंगी जैसे वे बैंककारी कंपनियों को और उनके संबंध में लागू होती हैं ;

[9][परंतु—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) की कोई बात भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को अथवा किसी समनुषंगी बैंक के [10][प्रबंध निदेशक] को वहां तक लागू न होगी जहां तक कि उक्त खंड उसे रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी संस्था का निदेशक होने का या उसमें कोई पद धारण करने से प्रवारित करता है ;

[11][(ख) धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iii) की कोई बात उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बैंक को वहां तक लागू नहीं होगी जहां तक खंड (ख) का उक्त उपखंड (vi) किसी ऐसी कंपनी को या उसकी ओर से (जो सरकारी कंपनी नहीं है) कोई उधार या अग्रिम देने के लिए कोई अभिबंधन करने से उस बैंक को निवारित करती है जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून समादत्त पूंजी केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्व के किसी निगम द्वारा चाहे अकेले या साथ मिलकर धारित है, और

(ग) धारा 46 या धारा 47क की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(i) केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक के ऐसे किसी अधिकारी को लागू नहीं होगी जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्स्थानी नए बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है ; या

(ii) भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्स्थानी नए बैंक या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या समनुषंगी बैंक के ऐसे किसी अधिकारी को लागू नहीं होगी जो उक्त किसी बैंक का (जो ऐसा बैंक नहीं है जिसमें वह अधिकारी है) या किसी बैंककारी कंपनी में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है]

[12]* * * *

[13][(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के किसी उपबध से संबंधित किसी नियम या निदेश में किसी बैंककारी कंपनी के प्रति निर्देशों का वहां के सिवाय जहां ऐसे नियम या निदेश अन्यथा उपबंधित हैं यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे भारतीय स्टेट बैंक, किसी तत्स्थानी नए बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या समनुषंगी बैंक के प्रति निर्देश हैं ।]

52. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् उन सब बातों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी जिनके लिए उपबंध करना इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने के प्रयोजन से आवश्यक या समीचीन है तथा ऐसे सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं०95 की धारा 12 द्वारा (1-4-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1960 के अधिनियम सं०37 की धारा 8 द्वारा "और 36" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1956 के अधिनियम सं०79 की धारा 43 और अनुसूची 2 द्वारा (22-10-1956 से) धारा 51 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 40 द्वारा (15-2-1984 से) धारा 51 उसकी उपधारा (1) के रूप से पुन:संख्यांकित ।
[5] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 40 द्वारा (15-2-1984 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 10 द्वारा (30-12-1988 से) "31" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 40 द्वारा (15-2-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1959 के अधिनियम सं० 38 की धारा 64 और अनुसूची 3 के भाग 3 द्वारा (10-9-1959 से) परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 40 द्वारा (15-2-1984 से) "प्रधान प्रबंधक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 40 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[12] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 18 द्वारा (1-2-1969 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
[13] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 40 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम उन ब्यौरों के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित विवरणियों में सम्मिलित किए जाने हैं, तथा उस रीति के लिए, जिससे ऐसी विवरणियां पेश की जानी हैं, [1][तथा उस प्ररूप के लिए जिसमें शासकीय समापक ऋणियों की सूचियों की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में भाग 3 या भाग 3क के अधीन फाइल कर सकेगा तथा उन विशिष्टियों के लिए, जो ऐसी सूचियों में अंतर्विष्ट हो सकेंगी तथा किसी अन्य बात के लिए, जो विहित की जानी है या विहित की जाए, उपबंध कर सकेंगे]।

[2]* * * *

[3][(4) केंद्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा चौथी अनुसूची के सब या किन्हीं उपबंधों को रद्द, परिवर्तित या परिवर्धि कर सकेगी ।]

[4][(5) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

53. कतिपय मामलों में छूट देने की शक्ति—[5][(1)]केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध, किसी [6][बैंककारी कंपनी या संस्था को या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों को] या तो साधारणत: अथवा इतनी अवधि के लिए, जो विनिर्दिष्ट भी जाए लागू न होंगे । [7][[6][(2) यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में से जिस पर दोनों सदन सहमत हो गए हों, जारी की जाएगी ।] [4]["विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 28) के अधीन स्थापित किसी विशेष आर्थिक जोन में कार्य कर रही या अवस्थित, यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी या संस्था या किसी वर्ग की बैंककारी कंपनियों या किसी बैंककारी कंपनी अथवा किसी संस्था की किसी शाखा के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप के रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी] ।

54. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक या किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन जैसा अन्यथा स्पष्टत: उपबंधित किया गया है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक या किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

55. 1934 के अधिनियम 2 का संशोधन—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को पहली अनुसूची के चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा तथा उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उसकी धारा 18 के संशोधन 1947 के सितम्बर के 20वें दिन को और उससे प्रभावशील हुए समझे जाएंगे ।

[8][55क. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई पैदा होती है, तो केंद्रीय सरकार, जैसा अवसर अपेक्षित करे, आदेश द्वारा ऐसी कोई बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 की धारा 20 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।]

---

[1] 1953 के अधिनियम सं०52 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया ।
[2] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 4 द्वारा (15-2-1984 से) उपधारा (3) का लोप किया गया ।
[3] 1953 के अधिनियम सं०52 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया ।
[4] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 41 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।
[5] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 57 और तीसरी अनुसूची द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित।
[6] 2007 के अधिनियम सं० 17 की धारा 3 द्वारा (23-1-2007 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 57 और तीसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 20 द्वारा (1-2-1969 से) अंत:स्थापित ।

[1][भाग 5

अधिनियम का सहकारी बैंकों को लागू होना

56. अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटियों को लागू होना—तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित परिवर्तनों सहित, सहकारी सोसाइटियों को या उनके संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे बैंककारी कंपनियों को या उनके संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में सर्वत्र—

(i) "बैंककारी कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सहकारी बैंक के प्रति निर्देश हैं ;

(ii) "इस अधिनियम के प्रारंभ" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं ;

(ख) धारा 2 में "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) तथा" शब्दों और अंको का लोप किया जाएगा ;

(ग) धारा 5 में,—

[2][(i) खंड (गग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गगi) "सहकारी बैंक" से राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक अभिप्रेत है ;

(गगii) "सहकारी प्रत्यय सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध करना है और इसके अंतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक है ;

[3][(गगiiक) "सहकारी सोसाइटी" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय या राज्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी या रजिस्ट्रीकृत गई कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(गगiii) सहकारी सोसाइटी के संबंध में "निदेशक" के अंतर्गत किसी समिति का या निकाय का ऐसा कोई सदस्य है, जिसमें तत्समय उस सोसाइटी के क्रियाकलाप का प्रबंध निहित है ;

[2][(गगiiiक) "बहुराज्य सहकारी बैंक" से कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जो एक प्राथमिक सहकारी बैंक है, अभिप्रेत है ;

(गगiiiख) "बहुराज्य सहकारी सोसाइटी" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी और कोई परिसंघीय सहकारी सम्मिलित नहीं है ; ;

(गगiv) "प्राथमिक कृषिक प्रत्यय सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है—

(1) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या जिसके प्रधान कारबार कृषि प्रयोजनों के लिए या कृषि क्रियाकलापों से संबंधित प्रयोजनों के लिए (जिसके अंतर्गत फसलों का विपणन भी है) अपने सदस्यों को वित्तीय सौकर्य का उपबंध करना है ; और

(2) जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा नहीं देती है :

परंतु यह उपखंड किसी सहकारी बैंक को सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने के लिए इस कारण लागू नहीं होगा कि ऐसा सहकारी बैंक ऐसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी में अभिदाय इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपबंधित निधियों में से करते हैं ;

(गगv) "प्राथमिक सहकारी बैंक" से प्राथमिक कृषिक प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है :—

(1) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रधान कारबार बैंककारी कारबार का संव्यवहार करना है ; और

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 23 की धारा 14 द्वारा (1-8-1966 से) अंत:स्थापित।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) उपखंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 2004 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (1-3-1966 से) अंत:स्थापित।

(2) जिसकी समादत्त शेयर-पूंजी और आरक्षिति एक लाख रुपए से कम नहीं है ; और

(3) जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के रूप में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा नहीं देती है :

परंतु यह उपखंड किसी सहकारी बैंक को सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने के लिए इस कारण लागू नहीं होगा कि ऐसा सहकारी बैंक ऐसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी में अभिदाय इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपबंधित निधियों में से करता है ;

(गगvi) "प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी" से प्राथमिक कृषिक प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है :—

(1) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रधान कारबार बैंककारी कारबार का संव्यवहार करना है ; और

(2) जिसकी समादत्त शेयर-पूंजी और आरक्षिति एक लाख रुपए से कम है ; और

(3) जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा नहीं देती है :

परंतु यह उपखंड किसी सहकारी बैंक को सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने के लिए इस कारण लागू नहीं होगा कि ऐसा सहकारी बैंक ऐसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी में अभिदाय इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपबंधित निधियों में से करता है ।

स्पष्टीकरण—यदि खंड (गगiv), (गगv) और (गगvi) में निर्दिष्ट किसी सहकारी सोसाइटी के प्राथमिक उद्देश्य या प्रधान कारबार के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो रिजर्व बैंक द्वारा उसका अवधारण अंतिम होगा ;

(गगvii) "केंद्रीय सहकारी बैंक" [1]*** "प्राथमिक ग्रामीण प्रत्यय सोसाइटी" और "राज्य सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) में है ;';]

[2][(ii) खंड (चच), खंड (ज) और खंड (टख) का लोप किया जाएगा ;]

(घ) धारा 5क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5क. अधिनियम का उपवधियों आदि पर अध्यारोही होना—(1) [3][इस अधिनियम] के उपबंध किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में, अथवा उसके द्वारा निष्पादित किसी करार में अथवा उसके द्वारा साधारण अधिवेशन में या उसके निदेशक बोर्ड द्वारा किसी अन्य निकाय द्वारा जिसे उसके कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है, पारित संकल्प में चाहे उसका, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण, निष्पादन या पारण बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के पूर्व हुआ हो या पश्चात्, उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) पूर्वोक्त उपविधियों, करार या संकल्प का कोई भी उपबंध जहां तक वह [3][इस अधिनियम] के उपबंधों के विरुद्ध है, यथास्थिति, शून्य हो जाएगा या होगा । " ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में "किंतु किसी कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल का काम इससे अपवर्जित है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में "कंपनी", शब्द के पश्चात्, "सहकारी सोसाइटी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ड) में "कंपनी" शब्द के पश्चात्, "या सहकारी सोसाइटी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

[4][(च) धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

7. "बैंक", "बैंककार" या "बैंककारी" शब्द का प्रयोग—(1) सहकारी बैंक से भिन्न कोई सहकारी सोसाइटी अपने नाम के भाग के रूप में या अपने कारबार के संबंध में "बैंक", "बैंककार", या "बैंककारी" शब्दों में से किसी का प्रयोग नहीं करेगी और कोई सहकारी सोसाइटी इन शब्दों में से कम से कम किसी एक का प्रयोग अपने नाम के भाग के रूप में किए बिना भारत में बैंककारी का कारबार नहीं करेगी ।

(2) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (1-3-1966 से) लोप किया गया ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 21 द्वारा (15-2-1984 से) उपखंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 21 द्वारा (1-2-1969 से) "इस भाग" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) ऐसी प्राथमिक उधार सोसाइटी ; या

(ख) ऐसी सहकारी सोसाइटी जो सहकारी बैंकों अथवा सहकारी भूमि बंधक बैंकों के पारस्परिक हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई है ; या

(ग) कोई सहकारी सोसाइटी जो प्राथमिक उधार सोसाइटी नहीं है और जो—

(i) किसी बैंककारी कंपनी या भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्स्थानी नए बैंक के अथवा ऐसी बैंककारी कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक या तत्स्थानी नए बैंक के समनुषंगी बैंक के, या

(ii) किसी सहकारी बैंक या प्राथमिक उधार सोसाइटी या सहकारी भूमि बंधक बैंक के, कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है, जहां तक "बैंक", "बैंककार" या "बैंककारी" शब्द, यथास्थिति, नियोजक बैंक या उस बैंक के नाम के भागरूप में प्रतीत होते हैं जिसका नियोजक बैंक समनुषंगी है ।'] ;

[1][(चi) धारा 8 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह धारा—

(क) पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे कारबार को लागू नहीं होगी जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 42 के खंड (iii) के प्रारंभ पर संव्यवहार के अनुक्रम में था, किंतु उक्त कारबार ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाए, या]

(ख) ऐसे कारबार को लागू नहीं होगी जो धारा 6 की उपधारा (1) के खंउ (ड) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट किया गया है ।" ;

(चii) धारा 9 के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि ऐसी प्राथमिक उधार सोसाइटी की दशा में जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 42 के खंड (iii) के प्रारंभ के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है, सात वर्ष की अवधि उस दिन से प्रारंभ होगी जिसको वह इस प्रकार प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है :

परंतु यह और भी कि रिजर्व बैंक, किसी विशिष्ट मामले में सात वर्ष की पूर्वोक्त अवधि को, ऐसी अवधि तक जो वह आवश्यक समझे, उस दशा में बढ़ा सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी वृद्धि सहकारी बैंक के निक्षेपकर्ता के हित में होगी ।'] ;

(छ) [2][धारा 10, 10क, [3][10 ख, 10खख, 10ग] और 10घ] का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'11. न्यूनतम समादत्त पूंजी और आरक्षितियों के बारे में अपेक्षा—(1) तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबद्ध किसी विधि के होते हुए भी कोई सहकारी बैंक भारत में बैंककारी कारबार न तो प्रारंभ करेगा और न चलाएगा जब तक कि उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य एक लाख रुपए से कम नहीं है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात—

(क) ऐसे किसी बैंक को, जो बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर ऐसा कारबार चलाता रहा है, ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए लागू नहीं होगी ; अथवा

(ख) किसी प्राथमिक उधार सोसाइटी को, जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक बन गई है, उस तारीख से दो वर्ष की अवधि तक के लिए, जिसको वह इस प्रकार प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है या एक वर्ष से अनधिक की इतनी अतिरिक्त अवधि तक के लिए, जितनी प्राथमिक सहकारी बैंक के निक्षेपकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करना ठीक समझे, लागू नहीं होगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मूल्य" से वास्तविक या विनियम मूल्य अभिप्रेत है न कि वह खाता मूल्य, जो संबद्ध सहकारी बैंक की बहियों में दिखाया हुआ हो ।

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 21 द्वारा (1-2-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (29-3-1985 से) "10ख, 10ग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) यदि किसी सहकारी बैंक की समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य संगणित करने में कोई विवाद पैदा होता है तो रिजर्व बैंक द्वारा उसका अवधारण इस धारा के प्रयोजन के लिए अंतिम होगा। ;

(झ) धारा 12, 12क, 13 और 15 से लेकर 17 तक का लोप किया जाएगा ;

[1][(ञ) धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"18. नकद आरक्षिति—(1) प्रत्येक सहकारी बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में उस समय सम्मिलित [2][सहकारी बैंक] नहीं है [2][(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुसूचित सहकारी बैंक" कहा गया है)] भारत में अपने पास नकद आरक्षिति के रूप में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या संबद्ध राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास किसी चालू खाते में अतिशेष के रूप में अथवा चालू खातों में शुद्ध अतिशेष के रूप में या किसी प्राथमिक सहकारी बैंक की दशा में संबद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक के पास अथवा पूर्वोक्त किसी एक या अधिक रूप में, इतनी राशि रखेगा। [2][जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देश में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे,] जितनी पूर्ववर्ती द्वितीय पक्ष के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों के योग के बराबर हो, और प्रत्येक मास के पंद्रहवें दिन से पूर्व रिजर्व बैंक को विवरणी देगा जिसमें वह रकम, जो किसी मास के [3][ऐसे प्रतिशत] दौरान दूसरे शुक्रवारों को इस प्रकार धारित थी, दर्शित होगी और जिसके साथ ऐसे शुक्रवार या यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बंद होने के समय भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां होंगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 24 में—

(क) "भारत में दायित्वों" के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं, अर्थात् :—

(i) सहकारी बैंक की समादत्त पूंजी या आरक्षितियां अथवा उसके लाभ-हानि के खाते में कोई जमा अतिशेष ;

(ii) किसी राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, [4]*** निआ बैंक, [5][पुनर्निमाण बैंक] [6][राष्ट्रीय आवास बैंक,] राष्ट्रीय बैंक [7][,लघु उद्योग बैंक], या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहकारी बैंक द्वारा लिया गया कोई अग्रिम धन ;

(iii) किसी राज्य या केंद्रीय सहकारी बैंक की दशा में, उसके पास रखी गई आरक्षित निधि या उसके किसी भाग के रूप में धन का ऐसा कोई निक्षेप भी, जो उसके पास उसके कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा रखा गया है और केंद्रीय सहकारी बैंक की दशा में वह अग्रिम धन भी, जो उसने संबद्ध राज्य के [2][सहकारी बैंक] से लिया है ;

(iv) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक की दशा में, ऐसा कोई अग्रिम धन भी जो उसने संबद्ध राज्य के [2][सहकारी बैंक] या संबद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया है ;

(v) ऐसे किसी सहकारी बैंक की दशा में, जिसने उसके पास रखे गए किसी अतिशेष के विरुद्ध कोई अग्रिम धन दिया है, ऐसे अग्रिम धन के संबंध में बकाया रकम की सीमा तक ऐसा अतिशेष ; और

(vi) किसी सहकारी बैंक की दशा में, कोई अग्रिम धन या अन्य प्रत्यय ठहराव की रकम जो अनुमोदित प्रतिभूतियों पर निकाली गई और उपयोग की गई है ;

(ख) "पक्ष" से, शनिवार से आगामी द्वितीय शुक्रवार तक की अवधि, जिसके अंतर्गत ये दोनो दिन हैं, अभिप्रेत है ;

(ग) "चालू खातों में शुद्ध अतिशेष" से किसी सहकारी बैंक के संबंध में उस सहकारी बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या किसी समनुषंगी बैंक या [3]["तत्स्थानी नए बैंक या आई डी बी आई बैंक लि०] के

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (29-3-1985 से) खंड (ञ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया।
[5] 1984 के अधिनियम सं० 62 की धारा 71 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-3-1985 से) अंत:स्थापित।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 53 की धारा 56 और दूसरी अनुसूची द्वारा (9-7-1988 से) अंत:स्थापित।
[7] 1989 के अधिनियम सं० 39 की धारा 53 और दूसरी अनुसूची द्वारा (7-3-1990 से) अंत:स्थापित।

पास रखे गए चालू खाते में नकदी अतिशेषों के योग का वह आधिक्य, यदि कोई हो, अभिप्रेत है, जो उक्त बैंकों द्वारा ऐसे सहकारी बैंक के पास चालू खातों में धारित नकदी अतिशेषों के योग से अधिक हों ;

(घ) दायित्वों की संगणना के प्रयोजन के लिए, भारतीय स्टेट बैंक, किसी समनुषंगी बैंक, तत्स्थानी नए बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, किसी बैंककारी कंपनी का या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्था के प्रति किसी सहकारी बैंक के कुल दायित्वों में से सहकारी बैंक के प्रति ऐसे सभी बैंकों और संस्थाओं के कुल दायित्वों को घटा दिया जाएगा ।

(ङ) किसी सहकारी बैंक के पास किसी नकदी को या किसी सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंक में धारित किसी अतिशेष को, उस मात्रा तक जिस तक ऐसे नकदी या ऐसी अतिशेष ऐसे सहकारी बैंक की कृषिक, प्रत्यय स्थिरीकरण निधि में या उसके विनिधान के अतिशेष के रूप में है, भारत में रखी गई नकदी नहीं समझा जाएगा ।

[1][(1क) यदि किसी भी दिन कारबार बंद करने के समय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खंड (ग) के उपखंड (गगi) में निर्दिष्ट सहकारी बैंक द्वारा धारित अतिशेष, उपखंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम है तो ऐसा सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दिन के संबंध में उस रकम पर जिससे ऐसा अतिशेष विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम पड़ता है, बैंक दर से तीन प्रतिशत अधिक की दर पर शास्तिक ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि कमी आगे जारी रहती है तो इस प्रकार प्रभारित शास्तिक ब्याज में प्रत्येक ऐसे पश्चात्‌वर्ती दिन के सम्बन्ध में, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की दर से वृद्धि की जाएगी ।

(1ख) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यदि व्यतिक्रमी सहकारी बैंक द्वारा लिखित में किसी आवेदन पर रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यतिक्रमी सहकारी बैंक के पास उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए पर्याप्त कारण थे तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं कर सकेगा ।

(1ग) रिजर्व बैंक, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सहकारी बैंक को इस धारा के उपबंधों से ऐसी छूटें प्रदान कर सकेगा जो वह उसके सभी या किन्हीं अधिकारियों के प्रतिनिर्देश से या उसकी संपूर्ण आस्तियों और दायित्वों या उसके किसी भाग के प्रतिनिर्देश से ठीक समझे ।]

(2) रिजर्व बैंक, इस धारा और धारा 24 के प्रयोजनों के लिए किसी संव्यवहार या किसी वर्ग के संव्यवहारों के बारे में समय-समय पर यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों को भारत में किसी सहकारी बैंक का दायित्व माना जाएगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी संव्यवहार या किसी वर्ग के संव्यवहारों को इस धारा और धारा 24 के प्रयोजनों के लिए भारत में किसी सहकारी बैंक का दायित्व माना जाए, तो उस पर रिजर्व बैंक का विनिश्चय अंतिम होगा ।"

(ट) धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"19. अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर धारण करने पर निर्बंधन—कोई सहकारी बैंक किसी अन्य सहकारी सोसाइटी में शेयर उस परिमाण तक और उन शर्तों के अधीन ही धारण करेगा जो रिजर्व बैंक उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, न कि अन्यथा :

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी, अर्थात् :—

(i) वे शेयर जिनका अर्जन राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए उपबन्धित निधियों से किया जाए ;

(ii) किसी केंद्रीय सहकारी बैंक की दशा में, उस राज्य सहकारी बैंक के शेयरों को धारण करना जिससे वह संबद्ध है ;

(iii) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक की दशा में, उस केंद्रीय सहकारी बैंक के, जिससे वह संबद्ध है, अथवा उस राज्य के, जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है, राज्य सहकारी बैंक के शेयरों को धारण करना :

परंतु यह और कि जहां कोई सहकारी बैंक, बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारम्भ पर कोई शेयर धारण किए हुए है जिनसे इस धारा का उल्लंघन होता है वहां वह सहकारी बैंक उस बात की रिपोर्ट अविलम्ब रिजर्व बैंक को देगा तथा इस धारा में किसी बात के होते हुए भी उन शेयरों को इतनी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर धारण करने का हकदार होगा जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे । " ;

[1] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(ठ) मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"20. उधारों और अग्रिम धनों पर निर्बन्धन—(1) कोई सहकारी बैंक—

(क) कोई उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर न देगा ; और

(ख) अप्रतिभूत उधार या अग्रिम धन निम्नलिखित को नहीं देगा—

(i) अपने निदेशकों में से किसी को, या

(ii) ऐसी फर्मों या प्राइवेट कंपनियों को जिनमें उसके निदेशकों में से कोई भागीदार या प्रबंध अभिकर्ता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में हितबद्ध है या व्यष्टियों को उन दशाओं में जिनमें उसके निदेशकों में से कोई प्रत्याभूतिदाता है, या

(iii) ऐसी किसी कंपनी को जिसमें सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष (उस दशा में, जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति नियत अवधि के लिए है) उसके प्रबंध अभिकर्ता के रूप में अथवा जहां कोई प्रबंध अभिकर्ता नहीं है, उसके अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के रूप में हितबद्ध है :

परन्तु खण्ड (ख) की कोई बात ऐसे अप्रतिभूत उधारों या अग्रिम धनों के दिए जाने को लागू न होगी जो—

(क) किसी सहकारी बैंक द्वारा—

(i) सरकार को किए गए प्रदायों या की गई सेवाओं के लिए बिलों मद्दे अथवा सद्‌भावी वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्‌भूत विनिमयपत्रों मद्दे दिए गए हैं, अथवा

(ii) उनके संबंध में दिए गए हैं जिनकी बाबत सहकारी बैंक को न्यास रसीदें दी गई हैं ;

(ख) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने निदेशकों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सीमाओं के अन्दर तथा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर दिए गए हैं, जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की गई हों ।

(2) प्रत्येक सहकारी बैंक रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और रीति से प्रत्येक मास के लिए एक विवरणी, उस मास के जिससे वह सम्बन्धित है उत्तरवर्ती मास के अन्त से पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें [उन सब मामलों से भिन्न, जिनमें वह सहकारी बैंक अप्रतिभूत उधार और अग्रिम धन देने से उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध है] उन कम्पनियों को उसके द्वारा दिए गए सब अप्रतिभूत उधार और अग्रिम धन दिखाए हुए होंगे, जिनमें उसके निदेशकों में से कोई निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में हितबद्ध है ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गई किसी विवरणी की जांच करने पर रिजर्व बैंक को प्रतीत होता है कि उस उपधारा में जिन उधारों या अग्रिम धनों के प्रति निर्देश किया गया है उनमें से कोई ऐसे दिए जा रहे हैं कि वे सहकारी बैंक के निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर हैं तो रिजर्व बैंक लिखित आदेश द्वारा सहकारी बैंक को ऐसे कोई अतिरिक्त उधार या अग्रिम धन देने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा या उनके दिए जाने के संबंध में ऐसे निर्बंधन लगा सकेगा जैसे वह ठीक समझे और वैसे ही आदेश द्वारा सहकारी बैंक को यह निदेश दे सकेगा कि वह इतने समय के अन्दर, जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, ऐसे उधार या अग्रिम धन क प्रतिसंदाय सुनिश्चित करा ले ।" ;

[2][(ड) धारा 20क की उपधारा (1) में, —

(i) "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी" शब्द और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (क) में "उसके निदेशकों" शब्दों के स्थान पर "उसके भूतपूर्व या वर्तमान निदेशेकों" शब्द रखे जाएंगे ;]

(ढ) धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) में "किसी एक कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि" शब्दों के स्थान पर "किसी एक पक्षकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 22 में,—

[1] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 21 द्वारा (1-2-1969 से) खंड (ठ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (ड) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय कोई भी सहकारी सोसाइटी भारत में बैंककारी कारबार उस दशा के सिवाय नहीं करेगी—

[1]* * * *

(ख) जब कि वह सहकारी बैंक है और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसी रिजर्व बैंक अधिरोपित करना ठीक समझे, इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति धारण करता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी को, जो बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारम्भ पर बैंककारी कारबार करने वाली प्राथमिक उधार सोसाइटी या सहकारी बैंक नहीं है, ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगी :

[2]["परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात, प्राथमिक उधार सोसाइटी को, जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व बैंककारी कारबार कर रही है, एक वर्ष की अवधि के लिए या तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए जिसको रिजर्व बैंक लिखित में ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् बढ़ा सके, लागू नहीं होगी ।]

[3][(2) बैंककारी विधि (सहकारी सोसइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर, सहकारी बैंक के रूप में कारबार करने वाली प्रत्येक सहकारी सोसाइटी ऐसे प्रारंभ से तीन मास के अवसान के पूर्व, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रत्येक सहकारी बैंक, जो सहकारी बैंक के रूप में कारबार करने वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के विभाजन या बैंककारी कारबार करने वाली दो या दो से अधिक सहकारी सोसाइटियों के समामेलन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आता है अपने इस प्रकार अस्तित्व में आने के तीन मास के अवसान के पूर्व [4][प्रत्येक प्राथमिक उधार सोसाइटी जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व प्राथमिक सहकारी बैंक हो गई थी, उस तारीख से, जिसको वह प्राथमिक सहकारी बैंक बनी थी, तीन मास के अवसान से पूर्व] और [1]*** प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, भारत में बैंककारी कारबार प्रारंभ करने के पूर्व, इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व बैंक को लिखित आवेदन करेगी :

परन्तु उपधारा (1) के खंड (ख) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह—

(i) बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर सहकारी बैंक के रूप में कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी को ; या

(ii) बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी समय किसी सहकारी बैंक के रूप में कारबार करने वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के विभाजन या बैंककारी कारबार करने वाली दो या दो से अधिक सहकारी सोसाइटियों के समामेलन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाली [4][किसी सहकारी बैंक को ;]

[1]* * * *

इस धारा के अनुसरण में उसे अनुज्ञप्ति दिए जाने तक या रिजर्व बैंक द्वारा उसके लिखित सूचना द्वारा यह इत्तिला दिए जाने तक कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी दी जा सकती, बैंककारी कारबार करने से प्रतिषिद्ध करती है ।]

[5][(ii) उपधारा (3क) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (4) के खंड (iii) में, "और उपधारा (3क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;]

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा लोप ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2013 के अधिनियम सं० 3 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) उपखंड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**22क. बहु-राज्य सहकारी सोसइटियों को रिजर्व बैंक द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्तियों का विधिमान्यकरण**—किसी विधि या किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) धारा 22 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किसी ऐसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति जो बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान थी अविधिमान्य नहीं होगी या केवल ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के कारण कभी अविधिमान्य हुई नहीं समझी जाएगी ;

(ख) धारा 22 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी को अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति, जो बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान थी, विधिमान्य नहीं होगी । केवल ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के कारण कभी अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ;

(ग) ऐसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी, जिसका, बैंककारी कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का आवेदन, रिजर्व बैंक के पास बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख को लम्बित था, तब तक बैंककारी कारबार करने के लिए पात्र होगी जब तक धारा 22 के अनुसरण में कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाती है या रिजर्व बैंक द्वारा लिखित में सूचना द्वारा यह अधिसूचित नहीं किया जाता है कि उसे अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जा सकती है ;]

(त) [2][धारा 23 में, —

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—]

"(1) रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना कोई सहकारी बैंक नया कारबार का स्थान न खोलेगा और विद्यमान कारबार के स्थान के अवस्थान का अन्तरण उस नगर, नगरी या ग्राम के बाहर न करेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी—

(क) किसी प्रदर्शनी, सम्मेलन या मेले के अवसर पर अथवा किसी अन्य वैसे ही अवसर पर जनता को बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध करने के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी नगर, नगरी या ग्राम में जिसके अन्दर सहकारी बैंक का पहले से ही कारबार का स्थान अथवा उसके आस पास एक मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी कारबार का स्थान खोलना ;

(ख) किसी केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर [3][शाखाएं खोलना या उन शाखाओं के अवस्थान का अंतरण] करना ।";

[4][(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न ऐसा कोई सहकारी बैंक, जो इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक की अनुज्ञा की अपेक्षा करता है, अपना आवेदन रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से भेजेगा जो आवेदन के गुणावगुण पर अपनी टीका-टिप्पणी देगा और उसे रिजर्व बैंक को भेजेगा :

परंतु सहकारी बैंक आवेदन की एक अग्रिम प्रति रिजर्व बैंक को सीधे भी भेज सकेगा । " ;]

[5][(थ) धारा 24 में,—

[6]* * * *

[7][(ii) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी अर्थात् :—

"(2क) कोई अनुसूचित सहकारी बैंक, उस औसत दैनिक अतिशेष के अतिरिक्त जो वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है, या जिसको रखे जाने की

---

[1] 2004 के अधिनियम सं०24 की धारा 2 द्वारा (24-9-2004 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची, भाग 2 द्वारा (1-5-1982 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 21 द्वारा (1-2-1969 से) "शाखाएं खोलना" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित उपखंड (ii), 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (29-3-1985 से) उपखंड (थ) अंत:स्थापित ।

[6] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया ।

[7] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अपेक्षा की जाए और प्रत्येक अन्य सहकारी बैंक, उस नकद आरक्षिती के अतिरिक्त, जो वह धारा 18 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है, भारत में ऐसी आस्तियों को रखेगा जिनका मूल्य द्वितीय पूर्ववर्ती पक्ष के अंतिम शुक्रवार को उसकी कुल मांग और समय दायित्वों के चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी प्रतिशतता से कम नहीं होगा जो रिजर्व बैंक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियां ऐसे रूप और रीति से रखी जाएंगी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं । ”] ;

(iii) उपधारा (3) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न प्रत्येक सहकारी बैंक भी उक्त अवधि के भीतर उक्त विवरणी की प्रति राष्ट्रीय बैंक को देगा ।" ;

(iv) उपधारा (6) के खंड (क) में, "चौदह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ;] ;

[1][(थथ) धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"24क. छूट देने की शक्ति—धारा 53 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि ऐसी अवधि के लिए और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 18 या धारा 24 के संपूर्ण उपबंध या उसका कोई भाग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे सहकारी बैंक या बैंको के सभी या किन्हीं कार्यालयों के प्रति निर्देश से अथवा ऐसे सहकारी बैंक या बैंकों की संपूर्ण आस्तियों और दायित्वों या उनके किसी भाग के प्रति निर्देश से ऐसे किसी सहकारी बैंक या किसी वर्ग के सहकारी बैंकों को लागू नहीं होगा । ”] ;

(द) धारा 25 का लोप किया जाएगा ;

[2][(दi) धारा 26 के द्वितीय परंतुक में "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक" पद के स्थान पर "प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी बैंक" पद रखा जाएगा ;

[3][(दiक) धारा 26क में, "बैंककारी कंपनी" शब्दों के स्थान पर "सहकारी बैंक" शब्द रखे जाएंगे ;] ;

(दii) धारा 27 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न प्रत्येक सहकारी बैंक ऐसी विवरणी की प्रति, जो वह उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक को देता है, राष्ट्रीय बैंक को भी देगा और उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी बैंक के संबंध में राष्ट्रीय बैंक द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी ।"] ;

(ध) [4][धारा 29] के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"29. लेखा और तुलनपत्र—(1) जून के तीसवें दिन को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष [5][या ऐसी तारीख को जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि,] की समाप्ति पर प्रत्येक सहकारी बैंक, उस समस्त कारबार की बाबत जो उसने किया हो, उस वर्ष के संबंध में तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, जैसा वह उस वर्ष [5][या अवधि] के अंतिम कार्य दिवस को है, उन प्ररूपों में जो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं या परिस्थितियों में यथासाध्य निकटतम प्ररूपों में तैयार करेगा ।

(2) तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा बैंक के प्रबंधक या प्रधान अधिकारी द्वारा और जहां उस बैंक के तीन से अधिक निदेशक हैं वहां उन निदेशकों में से कम से कम तीन द्वारा, अथवा जहां तीन निदेशकों से अधिक नहीं हैं, वहां सब निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् उन प्ररूपों को, जो तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं, वैसी ही अधिसूचना द्वारा समय-समय पर संशोधित कर सकेगी :]

[5][परंतु केंद्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन एक लेखा अवधि से दूसरी लेखा अवधि में संक्रमण को सुगम बनाने की दृष्टि से, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जैसे वह, यथास्थिति, संबंधित वर्ष या अवधि के बारे में तुलनपत्र या लाभ-हानि लेखा तैयार करने के लिए या उनसे संबंधित अन्य विषयों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ;]

[3][(धक) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"30. संपरीक्षा—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित या सहकारी बैंक या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची, भाग 2 द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 1991 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

करना आवश्यक है, वहां वह किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि किन्हीं ऐसे संव्यवहारों या संव्यवहारों के वर्ग के लिए या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकारी बैंक के लेखाओं की अतिरिक्त संपरीक्षा संचालित की जाएगी और उसी या भिन्न आदेश द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा किए जाने के लिए नियुक्त कर सकेगा और संपरीक्षक ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा तथा ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देगा और उसकी एक प्रति सहकारी बैंक को अग्रेषित करेगा ।

(2) रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संपरीक्षा के व्यय या आनुषंगिक व्यय सहकारी बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षक के पास ऐसी शक्तियां होंगी, वह ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसमें विहित हों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 द्वारा कंपनियों के संपरीक्षकों पर अधिरोपित दायित्वों और शास्तियों के अधीन होगा और साथ ही सहकारी बैंक को स्थापित, गठित या बनाने वाली विधि द्वारा, जहां तक ऐसी विधि के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के विस्तार तक असंगत नहीं हैं, नियुक्त संपरीक्षक, यदि कोई हों, पर अधिरोपित दायित्वों और शास्तियों के अधीन होंगे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आदेश में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कथन करेगा :—

(क) क्या उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण समाधानप्रद रूप में पाया गया है या नहीं ;

(ख) क्या सहकारी बैंक के संव्यवहार, जो उसकी जानकारी में आए हैं, सहकारी बैंक की शक्तियों के भीतर हैं या नहीं ;

(ग) क्या सहकारी बैंक के शाखा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को अपनी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है या नहीं ;

(घ) क्या लाभ और हानि लेखा, ऐसे लेखा के अधीन अवधि के लिए सही अतिशेष या लाभ या हानि दर्शित करते हैं ;

(ङ) कोई अन्य मामला जिस पर वह विचार करे कि रिजर्व बैंक और सहकारी बैंक के शेयर धारकों की जानकारी में लाना चाहिए ।]"

[1][(न) धारा 31 में,—

(i) "तीन मास के अंदर" और "तीन मास की" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "छह मास के अंदर" और "छह मास की" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) द्वितीय परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी बैंक राष्ट्रीय बैंक को भी ऐसी विवरणियां देगा । "] ;

(प) 32 से लेकर 34 तक की धाराओं का लोप किया जाएगा ;

(फ) धारा 34क में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

(ब) धारा 35 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 235 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबद्ध किसी विधि में" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

[2][(ख) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि रिजर्व बैंक ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह इस उपधारा के अधीन किसी प्राथमिक सहकारी बैंक का निरीक्षण, उस राज्य के, जिसमें ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है, एक या अधिक अधिकारियों द्वारा करवा सकेगा । "] ;

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची, भाग 2 द्वारा (1-5-1982 से) खंड (न) प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) प्रतिस्थापित ।

(ii) उपधारा (4) में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

[1][(iii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रिजर्व बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह निरीक्षण या संवीक्षा संबंधी रिपोर्ट की प्रति, उस राज्य के राज्य सहकारी बैंक और सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को दे सकेगा ऐसा बैंक, जिसका निरीक्षण किया गया है या ऐसी सोसाइटी जिसके क्रियाकलाप की संवीक्षा की गई है, रजिस्ट्रीकृत है । "] ;

[2][(iv) [उपधारा (6) में, जहां कहीं भी "प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों" और "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक" पद आते हैं, उनके स्थान पर क्रमश: "प्राथमिक सहकारी बैंकों से भिन्न सहकारी बैंक" और "प्राथमिक सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी बैंक" पद रखे जाएंगे । ;

[3][(v)] स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(भ) धारा 35क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में "किसी बैंककारी कंपनी" शब्दों के स्थान पर "किसी सहकारी बैंक के बैंककारी कारोबार" शब्द रखे जाएंगे ;

(म) धारा 35ख का लोप किया जाएगा ;

[4][(य) धारा 36 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) यदि किसी समय उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारी प्रत्यय का ठोस आधारों पर पुनर्गठन या विस्तार करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा और ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं,—

(i) सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड के या उसके द्वारा गठित किसी अन्य निकाय के किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों को देखने के लिए अपने एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकेगा और सहकारी बैंक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे अधिवेशनों में सुनवाई का और ऐसे विषयों पर ऐसी राय देने का अवसर दे जो वह अधिकारी, सहकारी प्रत्यय का ठोस आधारों पर पुनर्गठन या विस्तार करने के लिए आवश्यक या उचित समझे और ऐसे अधिकारी से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह ऐसी कार्यवाहियों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजे ;

(ii) अपने एक या अधिक अधिकारियों को सहकारी बैंक या उसके कार्यालयों या शाखाओं के कार्यकलापों की ऐसी रीति का, जिससे उनका संचालन किया जाता है ; संप्रेक्षण करने और उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कर सकेगा ; "] ;

(यक) धारा 36क में—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 11, धारा 13 और धारा 24 के उपबंध ऐसे सहकारी बैंक को लागू न होंगे जिसे धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया गया है या जिसकी अनुज्ञप्ति उस धारा के अधीन रद्द कर दी गई है, अथवा जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के अथवा इसकी उपलब्धियों में किए गए किसी परिवर्तन के आधार पर निक्षेप स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध या प्रवारित है या कर दिया गया है ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी, जो बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में कारबार चला रही है, अथवा कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी, जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है, इस बात के होते हुए भी कि वह तत्पश्चात् किसी

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) उपखंड (iii) को उपखंड (iv) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) मूल उपखंड (iv) को उपखंड (v) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (य) प्रतिस्थापित ।

समय [1][धारा 5 के खंड (गगv)] में प्राथमिक सहकारी बैंक की परिभाषा की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती, इस अधिनियम के अर्थ में प्राथमिक सहकारी बैंक बनी रहेगी तथा रिजर्व बैंक के अनुमोदन से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बैंककारी कारबार चलाती रहेगी ।" ;

[2][‘(यकक) मूल अधिनियम की धारा 36कक के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"**36ककक. बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण**—(1) जहां, रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में या ऐसे बहु-राज्य सहकारी बैंक के क्रियाकलापों को, जो निक्षेपकर्ताओं के या बहु-राज्य सहकारी बैंक के हितों के लिए हानिकर रीति में क्रियाकलाप चला रहा है, निवारित करने के लिए या बहु-राज्य सहकारी बैंक के समुचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां रिजर्व बैंक, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा ऐसे बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड को, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, अधिक्रान्त कर सकेगा तथापि ऐसी कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के अधीन बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर, ऐसी अवधि के लिए जैसा वह अवधारित करे, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा ।

(3) रिजर्व बैंक, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा वह समुचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(4) किसी बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश करने पर,—

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक, बोर्ड के अधिक्रमण की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या ऐसे सहकारी बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, उस समय तक जब तक कि ऐसे सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा :

परन्तु यह कि प्रशासक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति ऐसे बहु-राज्य सहकारी बैंक के साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प द्वारा प्रयोक्तव्य है ।

(5) (क) रिजर्व बैंक, प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए ऐसे तीन या अधिक व्यक्तियों की एक समिति का गठन कर सकेगा जिन्हें विधि, वित्त, बैंककारी, प्रशासन या लेखाकर्म में अनुभव है ।

(ख) समिति, ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

(6) प्रशासक और रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति के सदस्यों के वेतन और भत्ते वे होंगे जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और संबंधित बहु-राज्य सहकारी बैंक द्वारा संदेय होंगे ।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर और उससे पूर्व, बहु-राज्य सहकारी बैंक का प्रशासक नया निदेशक निर्वाचित करने के लिए सोसाइटी का साधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(8) किसी अन्य विधि या संविदा अथवा किसी बहु-राज्य सहकारी बैंक की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(9) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के निदेशक बोर्ड के गठन के तुरन्त पश्चात् पद रिक्त कर देगा ।

36ककख. बहु-राज्य सहकारी बैंक के परिसमापन आदेश का कतिपय मामलों में अन्तिम होना— जहां, कोई बहु-राज्य सहकारी बैंक, जो एक मात्र सहकारी बैंक है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम,

---

[1] 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) "धारा 5 के खंड (गगग)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2004 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (24-9-2004 से) अंत:स्थापित ।

1961 (1961 का 47) की धारा 13क के अधीन, किसी बीमाकृत बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और तत्पश्चात्—

(क) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 18 के अधीन रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तैयार किसी स्कीम के अनुसरण में, समझौता और व्यवस्था या पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की स्कीम को मंजूर करते हुए कोई आदेश किया गया है ; या

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा अध्यपेक्षा पर, बहु-राज्य सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 87 के अधीन आदेश कर दिया गया है ;

(ग) बोर्ड के अधिक्रमण और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश धारा 36 ककक के अधीन किया गया है,

वहां खण्ड (क) के अधीन समझौते और व्यवस्था या पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की स्कीम को मंजूर करने या खण्ड (ख) के अधीन बहु-राज्य सहकारी बैंक का परिसमापन करने का ऐसा आदेश या खंड (ग) के अधीन बोर्ड के अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किसी रीति से प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा ।

36ककग. परिसमापक या अन्तरिती बैंक द्वारा निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति— जहां, किसी बहु-राज्य सहकारी बैंक का, जो निक्षेप बीमा और प्रत्येक गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) के अर्थान्तर्गत कोई बीमाकृत बैंक है, परिसमापन हो जाता है और निक्षेप बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं के लिए दायी हो जाता है, वहां निक्षेप बीमा निगम की परिसमापक या परिस्थितियों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अधिनियम की धारा 21 में उपबन्धित सीमा तक और रीति में प्रतिपूर्ति की जाएगी । ” ;

(यकख) धारा 36कघ में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ; ' ;]

(यख) [1][भाग 2क, धारा 36ककक, धारा 36ककख, और धारा 36ककग के सिवाय] [2][भाग 2ग,] धारा 45 की उपधारा (1), (2) और (3) के सिवाय भाग 3 तथा धारा 45ब के सिवाय भाग 3क का लोप किया जाएगा ;

[3][(यग) धारा 46 में—

(i) उपधारा (4) में, खंड (i) के अंत में आने वाले शब्द "या" और खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (क) में "अंतर्गत" शब्द के पश्चात् "सहकारी सोसाइटी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;]

(यघ) धारा 47 में "धारा 36कक की उपधारा (5) या" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(यङ) धारा 49 का लोप किया जाएगा ;

(यच) धारा 49क में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी :—

(क) किसी प्राथमिक उधार सोसाइटी को ;

(ख) बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटियों को लागू होना) अधिनियम, 1965 (1965 का 23) के प्रारंभ पर ऐसे निक्षेप स्वीकार करने वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक ; तथा

(ग) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी बचत बैंक स्कीम को । " ;

(यछ) धारा 49ख और 49ग का लोप किया जाएगा ;

(यज) धारा 50 में, "10", "12क", "16", "35ख" तथा "43क" अंको और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(यझ) धारा 51 का लोप किया जाएगा ;

(यञ) धारा 52 में,—

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा (24-9-2004 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं०58 की धारा 21 द्वारा (1-2-1969 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं०1 की धारा 42 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (यग) प्रतिस्थापित ।

(i) उपधारा (2) में "तथा उस प्ररूप के लिए, जिसमें शासकीय समापक ऋणियों की सूचियों को अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में भाग 3 या भाग 3क के अधीन फाइल कर सकेगा तथा उन विशिष्टियों के लिए, जो ऐसी सूचियों में अंतर्विष्ट हो सकेंगी," शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ;

[1][(यञi) धारा 54 में, जहां कहीं भी "रिजर्व बैंक" पद आता है वहां उसके पश्चात् "या राष्ट्रीय बैंक" पद अंत:स्थापित किया जाएगा ;] ;

(यट) धारा 55 और प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"55. 1891 के अधिनियम 18 और 1949 के अधिनियम 46 का सहकारी बैंकों के संबंध में लागू होना —(1) बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 किसी सहकारी बैंक के संबंध में वैसे ही लागू होगा जैसे वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी बैंक के संबंध में लागू होता है ।

(2) बैंककारी कंपनी (विधि-व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949 किसी सहकारी बैंक के संबंध में वैसे ही लागू होगा जैसे वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में लागू होता है । " ;

(यठ) तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

[1] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।

"तीसरी अनुसूची"

(धारा 29 देखिए)

प्ररूप क

तुलनपत्र का प्ररूप

पूंजी और दायित्व

रु० पै० रु० पै०

1. पूंजी :

(i) प्राधिकृत पूंजी

.............रु० प्रति शेयर वाले ....शेयर
.............रु० प्रति शेयर वाले ....शेयर
....

(ii) प्रतिश्रुत पूंजी

.............रु० प्रति शेयर वाले ....शेयर

.............रु० प्रति शेयर वाले ....शेयर

....

(iii) आहूत रकम

........रु० प्रति शेयर वाले ......शेयरों पर आहूत रकम में से उपर्युक्त (iii) की वे आहूत असमादत्त राशियां घटाइए, जो निम्नलिखित द्वारा धृत है:

(क) व्यष्टियों द्वारा

(ख) सहकारी संस्थाओं द्वारा

(ग) राज्य सरकार द्वारा

2. आरक्षित निधि और अन्य आरक्षितियां :

(i) कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षिति

(ii) कृषि (उधार स्थिरीकरण निधि)

(iii) भवन निधि

(iv) लाभांश समकरण निधि

(v) विशेष डूबंत ऋण आरक्षिति

(vi) डूबंत और शंकास्पद ऋण आरक्षिति

(vii) विनिधान अवक्षयण आरक्षिति

(viiii) अन्य निधियां और आरक्षितियां (जो विनिर्दिष्ट की जाएंगी)

3. प्रधान/समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि खाता :

निम्नलिखित की शेयर पूंजी मद्धे :

(i) केंद्रीय सहकारी बैंक

(ii) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटियां

(iii) अन्य सोसाइटियां

संपत्ति और आस्तियां

रु० पै० रु० पै०

1. **नकदी :**

हाथ में तथा रिजर्व बैंक [1][राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक में]

2. **अन्य बैंकों में अतिशेष :**

(i) चालू निक्षेप

(ii) बचत बैंक निक्षेप

(iii) नियतकालिक निक्षेप

3. **मांग पर अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि :**

4. **विनिधान :**

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में (खाता मूल्य में)

अंकित मूल्य ....रु०

बाजार मूल्य ....रु०

(ii) अन्य न्यासी प्रतिभूतियां

(iii) नीचे की मद (5) से भिन्न सहकारी संस्थाओं में शेयर

(iv) अन्य विनिधान (जो विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)

5. प्रधान/समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि में से विनिधान :

निम्नलिखित के शेयरों में :

(i) केंद्रीय सहकारी बैंक

(ii) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटियां

(iii) अन्य सोसाइटियां

6. अग्रिम धन †

(i) जिनके अल्पावधि उधार, नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मिती काटे पर दिए गए विनियम पत्र

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित ।

पूंजी और दायित्व	रु० पै० रु० पै०	संपत्ति और आस्तियां	रु० पै० रु० पै०
4. निक्षेप और अन्य खाते :			
(i) नियतकालिक निक्षेप*		निम्नलिखित से प्रतिभूत है :	
(क) व्यष्टियों के**		(क) सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	
(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के		(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@	
(ग) अन्य सोसाइटियों के		अग्रिम धनों में से वह् रकम जो व्यष्टियों द्वारा देय है	————
(ii) बचत बैंक निक्षेप :		वे अग्रिम धन जो अतिशोध्य है वे अग्रिम धन जो डूबंत समझे जाते है तथा जिनकी वसूली शंकास्पद है †	
(क) व्यष्टियों के**			
(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के			
(ग) अन्य सोसाइटियों के			
(iii) चालू निक्षेप :		(ii) मध्यम अवधि उधार जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है;	
(क) व्यष्टियों के**			
(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के		(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	
(ग) अन्य सोसाइटियों के		(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@	
(iv) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि			
5. उधार † :		अग्रिम धनों में से वह रकम जो व्यष्टियों द्वारा देय है	
(i) भारतीय रिजर्व बैंक, [1][राष्ट्रीय बैंक] राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंक से :		अग्रिम धनों में से वह रकम जो अतिशोध्य है	
(क) अल्पावधि उधार, नकद उधार और ओवर-डाफ्ट		वे अग्रिम धन जो डूबंत समझे जाते हैं तथा जिनकी वसूली शंकास्पद है	
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :		(iii) दीर्घ अवधि उधार	
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		जो निम्नलिखित के प्रतिभूत है;	
		(क) सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@		(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@	
(ख) मध्यम अवधि उधार		अग्रिम धनों की वह रकम जो व्यष्टियों द्वारा देय है	
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :			
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		अग्रिम धनों की वह रकम जो अतिशोध्य है	
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@		वे अग्रिम धन जो डूबंत समझे जाते हैं तथा जिनकी वसूली शंकास्पद है	
(ग) दीर्घ अवधि उधार		**7. प्राप्त ब्याज**	
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :		जो अतिशोध्य है	
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		वह ब्याज जो डूबंत समझा जाता है तथा जिसकी वसूली शंकास्पद है।	
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@			

[1] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अंत:स्थापित।

पूंजी और दायित्व		संपत्ति और आस्तियां	
	रु० पै० रु० पै०		रु० पै० रु० पै०
(ii) भारतीय स्टेट बैंक से		8. प्राप्य बिल जो संग्रहण के लिए है जैसा कि समानांतर स्तंभ में दिखाया गया है	________
(क) अल्पावधि उधार, नकद उधार और ओवरड्राफ्ट		9. शाखा समायोजन	________
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :		10. परिसर जिनके मूल्य में से अवक्षयण कम कर दिया जाएगा	________
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		11. फर्नीचर और फिक्सचर जिनके मूल्य में से अवक्षयण कम कर दिया जाएगा	________
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@		12. अन्य आस्तियां (जो विनिर्दिष्ट की जाएंगी)	________
(ख) मध्यम अवधि उधार			
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :		13. गैर- बैंककारी आस्तियां जो दावों की तृष्टि में अर्जित की गई हैं (उनके मूल्यांकन की रीति लिखिए)	________
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@		14. लाभ और हानि	
(ग) दीर्घ अवधि उधार			
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :			
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@			
(iii) राज्य सरकार से			
(क) अल्पावधि उधार			
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :			
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@			
(ख) मध्यम अवधि उधार			
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :			
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@			
(ग) दीर्घ अवधि उधार			
जो निम्नलिखित से प्रतिभूत है :			
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
(ख) अन्य मूर्त प्रतिभूतियां@			
(iv) अन्य स्रोतों से उधार (स्रोत और प्रतिभूति विनिर्दिष्ट की जाएंगी)।	________		

पूंजी और दायित्व	रु० पै० रु० पै०	संपत्ति और आस्तियां	रु० पै० रु० पै०
6. प्राप्य बिल जो संग्रहण के लिए है जैसा समानांतर स्तंभ में दिखाया गया है			
7. शाखा समायोजन			
8. अतिशोध्य ब्याज आरक्षिति			
9. देय ब्याज			
10. अन्य दायित्व :			
(i) देय बिल			
(ii) दावा न किए गए लाभांश			
(iii) उचंत			
(iv) विविध			
11. लाभ और हानि			
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार लाभ जिसमें से विनियोजित राशियां कम कीजिए लाभ हानि लेखे में से वर्ष के लिए लिया गया लाभ जोड़ दीजिए।			
जोड़		जोड़	
समाश्रित दायित्व			
(i) दी गई प्रत्याभूतियों लेखे विद्यमान दायित्व			
(ii) अन्य			
जोड़			

टिप्पण

*"नियतकालिक निक्षेपों" के अंतर्गत सोसाइटियों के आरक्षित निधि निक्षेप, कर्मचारी भविष्य निधि निक्षेप, कर्मचारिवृंद प्रतिभूति निक्षेप, आवर्ती निक्षेप, नकदी-पत्र आदि आते हैं।

**"व्यष्टियों" मद के अधीन सहकारी बैंकों और सोसाइटियों से भिन्न संस्थाओं से प्राप्त निक्षेप सम्मिलित किए जा सकते हैं।

† "उधार" और "अग्रिम धन", अल्पावधि उधार पंद्रह मास तक की अवधि के लिए, मध्यम अवधि उधार पंद्रह मास से पांच वर्ष तक के लिए और दीर्घ अवधि उधार पांच से अधिक वर्ष के लिए होंगे।

@ "अन्य मूर्त प्रतिभूतियां" के अंतर्गत स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों, माल की पुन: गिरवी, भूमि के बंधक आदि पर उधार आते हैं।

साधारण अनुदेश—उस वर्ष के जिससे तुलन-पत्र संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए इन मदों के लिए रकम (यदि वांछा की जाए तो निकटतम रुपए में) पृथक् स्तंभों में दिखाई जाएंगी।

प्ररूप ख

लाभ हानि लेखा का प्ररूप

_________ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

व्यय	रु० पै० रु० पै०	आय	रु० पै० रु० पै०
1. निक्षेपों, उधारों आदि पर ब्याज		1. ब्याज और मिती काटा	
2. वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि		2. कमीशन, विनियम और दलाली	
3. निदेशकों और स्थानीय समिति के सदस्यों की फीसें और भत्ते		3. साहाय्यिकी और संदान	
4. भाटक, कर, बीमा, रोशनी आदि		4. गैर-बैंककारी आस्तियों से आय तथा ऐसी आस्तियों के विक्रय या उनमें किए गए व्यवहार में हुआ लाभ	
5. विधि प्रभार		5. अन्य प्राप्तियां	
6. डाक महसूल, तार और टेलीफोन प्रभार		6. हानि (यदि कोई हो)	
7. लेखापरीक्षक की फीस			
8. संपत्ति संबंधी अवक्षयण और उसकी मरम्मत			
9. लेखन सामग्री, मुद्रण और विज्ञापन आदि			
10. गैर-बैंककारी आस्तियों के विक्रय या उनमें किए गए व्यवहार में हुई हानि			
11. अन्य व्यय			
12. लाभ का अतिशेष			
जोड़		जोड़	

साधारण अनुदेश : उस वर्ष के, जिससे लाभ हानि लेखा संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए इन मदों के लिए रकम (यदि वांछा की जाए तो निकटतम रुपए में) पृथक् स्तंभों में दिखाई जाएगी ।]

पहली अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

संशोधन

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	**2**	**3**	**4**
1934	2	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934	(1) धारा 17 में, खंड (15क) में "किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
			"और बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 14) के अधीन,";
			(2) (क) धारा 18 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) में—

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	**2**	**3**	**4**
			(i) खंड (3) में " उस धारा के खंड (4) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों पर" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— "या जब उधार या अग्रिम बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 14) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी को दिया जाना हो तो अन्य प्रकार की ऐसी प्रतिभूति पर जैसी बैंक पर्याप्त समझे,"; (ii) "इस धारा के अधीन" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते है, " इस उपधारा के अधीन" शब्द रखे जाएंगे; (ख) इस प्रकार पुन:संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(2) जहां किसी बैंककारी कंपनी का जिसे उपधारा (1) के खंड (3) के उपबंधों के अधीन उधार या अग्रिम दिया गया है, परिसमापन किया जाता है, वहां ऐसे उधार या अग्रिम की बाबत रिजर्व बैंक को देय कोई राशियां उसे बैंककारी कंपनी की आस्तियों पर प्रथम भार केवल उन दावों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए होंगी जो किसी पूर्ववर्ती ऐसे उधार या अग्रिम की बाबत किसी अन्य बैंककारी कंपनी के हैं, जो उधार या अग्रिम ऐसी बैंककारी कम्पनी ने किसी प्रतिभूति पर दिया था ।"; (3) धारा 42 में उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— "(6) एतत्पश्चात् यथा उपबंधित को छोड़कर रिजर्व बैंक भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,— (क) किसी ऐसे बैंक का द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किए जाने का निदेश करेगा जो पहले से उसमें ऐसे सम्मिलित नहीं हैं और जो भारत के किसी प्रांत में बैंककारी कारबार करता है, और— (i) जिसके पास पांच लाख रुपए के अन्यून से संकलित मूल्य की समादत्त पूंजी और आरक्षितियां हैं, और (ii) जो रिवर्ज बैंक का यह समाधान करा देता है कि उस बैंक के कार्यकलापों को उसके निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रीति से नहीं चलाया जा रहा है, और (iii) जो कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) की धारा 2 के खंड (2) में यथापरिभाषित कंपनी है या जो भारत के प्रांतों के बाहर किसी स्थान में प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन निगमित निगम या कंपनी है । (ख) किसी ऐसे अनुसूचित बैंक को उसे अनुसूची से निकाले जाने का निदेश करेगा,— (i) जिसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य किसी समय पांच लाख रुपए से कम हो जाता है, या (ii) जिसकी बाबत रिजर्व बैंक की राय बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन निरीक्षण करने के पश्चात् यह है कि वह अपने कार्यकलापों को अपने निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रूप से चला रहा है, या

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
			(iii) जिसका समापन हो जाता है या जो अन्यथा बैंककारी कारबार चलाना बंद कर देता है : परंतु रिजर्व बैंक संयुक्त अनुसूचित बैंक के आवेदन पर और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी वह अधिरोपित करे, इतनी कालावधि के लिए, जितनी रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक को, यथास्थिति, अपनी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य पांच लाख रुपए से अन्यून तक बढ़ाने या अपने कारबार के संचालन की त्रुटियों को दूर करने का अवसर देने के लिए युक्तियुक्त समझता हो, खंड (ख) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के अधीन किसी निदेश का देना आस्थगित कर सकेगा ; (ग) जब कभी अनुसूचित बैंक अपना नाम बदलता है तब अनुसूची में उसका वर्णन बदल देगा । **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा में, "मूल्य" पद से वास्तविक या विनिमय मूल्य, अभिप्रेत है न कि वह खाता मूल्य जो संबद्ध बैंक की बहियों में दिखाया हुआ हो, और यदि किसी बैंक की समादत्त पूंजी या आरक्षितियों का संकलित मूल्य संगणित करने के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो रिजर्व बैंक द्वारा उसका अवधारण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा ।

दूसरी अनुसूची—[निरसित ।] निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 52 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

[1]तीसरी अनुसूची

(धारा 29 देखिए)

प्ररूप क

तुलनपत्र का प्ररूप

पूंजी और दायित्व	रु० पै०	संपत्ति और आस्तियां	रु० पै०
1. पूंजी (क)— प्राधिकृत पूंजी —रु० प्रति शेयर वाले—शेयर निर्गमित पूंजी		1. नकदी हाथ में तथा रिजर्व बैंक [2][राष्ट्रीय बैंक] और इम्पीरियल बैंक में (विदेशी करेंसी नोटों सहित)	
—रु० प्रति शेयर वाले—शेयर प्रतिश्रुत पूंजी	________	2. अन्य बैंकों में अतिशेष (यह दिखाइए कि निक्षेप में है या चालू खाते में)	
—रु० प्रति शेयर वाले—शेयर प्रति शेयर पर—रु० की दर से आहूत रकम	________	(ii) [3][भारत में]— (ii) [4][भारत के बाहर]—	________

[1] इस अनुसूची का मुद्रण अधिनियम सं०का०नि०आ० 2020, तारीख 22-12-1951, भारत का राजपत्र, 1951, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 2155, अधिसूचना सं० 1137 तारीख 24-11-1958, भारत का राजपत्र, 1958, भाग 2, अनुभाग 3,(i), पृ० 1113 और अधिसूचना सं०का०आ० 786(अ), तारीख 20-12-1973, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1973, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ० 2415 के अनुसार किया गया ।

[2] 1981 के अधिनियम सं० 61 की धारा 61 और दूसरी अनुसूची द्वारा (1-5-1982 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यों में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्य से बाहर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पूंजी और दायित्व	रु० पै०	संपत्ति और आस्तियां	रु०पै०
आहूत असमादत्त राशियों को घटाइए समपहृत्त शेयर जोड़ दीजिए	————	3. मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	
2. आरक्षित निधि और अन्य आरक्षितियां		4. विनिधान [मूल्यांकन की रीति लिखिए अर्थात् लागत या बाजार (मूल्य) (च)]—	
3. निक्षेप और अन्य खाते :			
नियतकालिक निक्षेप, बचत बैंक निक्षेप, चालू खाते, आकस्मिकता खाते, आदि	————	(i) केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां तथा अन्य न्यासी प्रतिभूतियां जिनके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों के खजाना विपत्र भी हैं;	
(i) बैंक से			
(ii) अन्य से		(ii) शेयर (इसका अधिमानी, मामूली, आस्थगित और अन्य वर्गों के शेयरों में वर्गीकरण कीजिए और पूर्णत: समादत्त तथा भागत: समादत्त शेयरों को पृथक्त: दिखाइए)	
4. अन्य बैंककारी कंपनियों, अभिकर्ताओं आदि से उधार—			
(i) [1][भारत में] देय		(iii) डिबेंचर या बंधपत्र	
(ii) [2][भारत से बाहर] देय	————	(iv) अन्य विनिधान जो समुचित शीर्षकों के अधीन वर्गीकृत किए जाएंगे	
विशिष्टियां :			
(i) प्रतिभूत (प्रतिभूति का स्वरूप लिखिए)		(v) स्वर्ण	
(ii) अप्रतिभूत		5. अग्रिम धन—	
5. देय बिल		(डूबंत और शंकास्पद ऋणों से भिन्न, जिनके लिए लेखापरीक्षकों को समाधानप्रद रूप में उपबंध कर दिया गया है)	
6. प्राप्य बिल जो संग्रहण के लिए है जैसा कि समानांतर स्तंभ में दिखाया गया है			
(i) [1][भारत में] देय		(I) उधार, नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट आदि :	
(ii) [2][भारत से बाहर] देय		(i) [1][भारत में] देय	
7. अन्य दायित्व (ग)		(ii) [2][भारत के बाहर] देय	————
8. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं जो समानांतर स्तंभ में दिखाई गई हैं।		(II) मिती काटे पर दिए गए और खरीदे गए (केंद्रीय और राज्य सरकारों के खजाना विपत्रों से भिन्न) विनियम पत्र;	
9. लाभ और हानि		(i) भारत में देय	
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार लाभ जिसमें से विनियोजित राशियां कम कीजिए।		(ii) भारत के बाहर देय	————
		अग्रिम धनों की विशिष्टियां :	
लाभ हानि लेखे में से वर्ष के लिए लिया गया लाभ जोड़ दीजिए।		(i) वसूली योग्य समझे जाने वाले ऋण जिनकी बाबत बैंककारी कंपनी पूर्णत: प्रतिभूत है,	
10. समाश्रित दायित्व (घ)		(ii) वसूली योग्य समझे गए ऋण जिनके लिए बैंककारी कंपनी ऋणियों की वैयक्तिक प्रतिभूति से भिन्न कोई प्रतिभूति धारण नहीं करती,	
		(iii) वसूली योग्य समझे गए ऋण जो ऋणियों की वैयक्तिक प्रतिभूति के अलावा एक या अधिक पक्षकारों के वैयक्तिक दायित्वों द्वारा प्रतिभूत है,	

[1] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "किसी राज्य में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्य से बाहर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पूंजी और दायित्व	रु० पै०	संपत्ति और आस्तियां	रु०पै०
		(iv) शंकास्पद या डूबंत समझे गए ऋण जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है,	
		(v) बैंककारी कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनमें से किन्हीं द्वारा या तो पृथक्त: या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्तत: देय ऋण,	
		(vi) उन कंपनियों या फर्मों द्वारा देय ऋण जिनमें बैंककारी कंपनी के निदेशक, निदेशकों, भागीदारों या प्रबंध अभिकर्ताओं के रूप में अथवा प्राइवेट कंपनियों की दशा में सदस्यों के रूप में हितबद्ध हैं,	
		(vii) बैंककारी कंपनी के निदेशकों, या प्रबंधकों या अधिकारियों को या उनमें से किसी को पृथक्त: या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्तत: वर्ष के दौरान किसी समय दिए गए अस्थायी अग्रिम धनों सहित अग्रिम धनों की अधिकतम कुल रकम (चच).	
		(viii) उन कंपनियों या फर्मों को जिनमें बैंककारी कंपनी के निदेशक, निदेशकों, भागीदारों या प्रबंध अभिकर्ताओं के रूप में अथवा प्राइवेट कंपनियों की दशा में सदस्यों के रूप में हितबद्ध हैं, वर्ष के दौरान दिए गए अस्थायी अग्रिम धनों सहित अग्रिम धनों की अधिकतम कुल रकम (चच),	
		(ix) बैंककारी कंपनियों द्वारा देय	
		6. प्राप्य बिल जो संग्रहण के लिए है जैसा कि समानांतर स्तंभ में दिखाया गया है :	
		(i) [1][भारत में] देय	
		(ii) [2][भारत के बाहर] देय	
		7. स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं मद्दे व्यौहारियों के दायित्व जैसा कि समानान्तर स्तंभ में दिखाया गया है	
		8. परिसर जिनके मूल्य में से अवक्षयण कम कर दिया जाएगा (छ)	
		9. फर्नीचर और फिक्सचर जिनके मूल्य में से अवक्षयण कम कर दिया जाएगा (छ)	
		10. चांदी सहित अन्य आस्तियां (जो विनिर्दिष्ट की जाएंगी) (ज)	

[1] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "किसी राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्य से बाहर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

पूंजी और दायित्व	रु० पै०	संपत्ति और आस्तियां	रु०पै०
		11. गैर-बैंककारी आस्तियां जो दावों की तुष्टि में अर्जित की गई हैं (उनके मूल्यांकन की रीति लिखिए) (झ)	
	__________	12. लाभ और हानि।	_________
जोड़े	__________	जोड़े	_________

टिप्पण

(क) पूंजी :—

(i) विभिन्न वर्गों की पूंजी, यदि कोई हो, सुभिन्न की जानी चाहिए।

(ii) जो शेयर नकदी में संदाय प्राप्त हुए बिना किसी संविदा के अनुसरण में पूर्णत: समादत्त रूप में निगमित किए गए हैं वे पृथक्त: लिखे जाने चाहिएं।

(iii) जहां परिस्थितियों में संभव हो वहां निर्गमित तथा प्रतिश्रुत पूंजी तथा वह रकम, जो आहूत की गई हो, एक मद के रूप में दिखाई जानी चाहिए, जैसे, निर्गमित और प्रतिश्रुत पूंजी के _________ रु० के___________ शेयर जो समादत्त कर दिए गए हैं।

(iv) उन बैंककारी कंपनियों की दशा में, जो [1][भारत के बाहर] निगमित की गई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किए गए निक्षेप की रकम, इस शीर्षक के अधीन दिखाई जानी चाहिए; किंतु रकम बाहरी स्तंभ तक फैला कर नहीं लिखी जानी चाहिए।

*   *   *   *   *   *   *

(ग) इस शीर्षक के अधीन निम्नलिखित प्रकार की मदें सम्मिलित की जा सकती हैं :—

पेंशन या बीमा निधियां, दावा न किए गए लाभांश, अग्रिम संदाय तथा अनवसित मिति काटे, समनुषंगी कंपनियों के प्रति दायित्व तथा कोई अन्य दायित्व।

(घ) ये निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत किए जाने चाहिएं :—

(i) बैंककारी कंपनी के विरुद्ध दावे, जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।

(ii) निदेशकों या अधिकारियों के निमित्त बैंककारी कंपनी द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति की रकम पृथक्त: दिखाते हुए वह धनराशि जिसके लिए बैंककारी कंपनी का समाश्रित दायित्व है।

(iii) आकलित अधिमानी लाभांशों के बकाया।

(iv) पुन: निती काटा पर दिए गए विनियम पत्र मद्दे दायित्व।

(v) विद्यमान अग्रिम विनिमय संविदाओं मद्धे दायित्व।

*   *   *   *   *   *

(च) जहां तुलनपत्र के बाहरी स्तंभ में दिखाए गए विनिधानों का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है, वहां बाजार मूल्य पृथक्त: कोष्ठकों में दिखाया जाएगा।

(चच) वर्ष के दौरान किसी दिन एक इकाई के रूप में ऐसे सब खातों में अधिकतम कुल विद्यमान अतिशेष, इस शीर्षक के अधीन दिखाया जाएगा।

(छ) कारबार के प्रयोजनों के लिए बैंककारी कंपनी के पूर्णत: या भागत: अधिभोगाधीन परिसरों को "परिसर जिनके मूल्य में से अवक्षयण कम कर दिया जाएगा" मद के सामने दिखाया जाएगा। नियत पूंजीगत व्यय की दशा में मूल लागत और वर्ष के दौरान उसमें जोड़ी गई रकमों और उससे घटाई गई रकमों को दिखाया जाएगा, तथा वह कुल अवक्षयण भी दिखाया जाएगा, जो बट्टे खाते डाल दिया गया है। जहां कोई धनराशियां पूंजी के कम किए जाने पर या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर बट्टे खाते डाल दी गई है वहां प्रथम तुलनपत्र के बाद के हर ऐसे तुलनपत्र में, जो उस कमी या पुनर्मूल्यांकन के बाद का हो, कम की गई राशियां, कमी करने की तारीख और

[1] 1950 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "राज्यों से बाहर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

रकम के साथ दिखाई जानी चाहिए । जो फर्नीचर, फिक्सचर और अन्य आस्तियां, पूर्णत: बट्टे खाते डाल दी गई है उन्हें तुलनपत्र में दिखाना जरूरी नहीं है ।

(ज) इस शीर्षक के अधीन निम्नलिखित प्रकार की मदें सम्मिलित की जानी चाहिएं और वे समुचित रूप से वर्णित शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जानी चाहिएं । प्रारंभिक, व्यय-निर्माण और संगठन व्यय, विकास व्यय, शेयरों पर कमीशन और दलाली, विनिधानों पर प्रोद्‌भूत किंतु संगृहीत न किया गया ब्याज, समनुषंगी कंपनियों के शेयरों में विनिधान और कोई अन्य आस्तियां ।

(झ) दिखाया हुआ मूल्य, बाजार मूल्य से तथा उन दशाओं में, जिनमें बाजार मूल्य अभिनिश्चेय नहीं है, वसूल किए जा सकने वाले प्राक्कलित मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

साधारण अनुदेश : उस वर्ष के, जिससे लाभ हानि लेखा संबंधित है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए इन मदों के लिए रकम (यदि वांछा की जाए तो निकटतम रुपए में) पृथक् स्तंभों में दिखाई जाएंगी ।

प्ररूप ख

लाभ हानि लेखा का प्ररूप

………………. के……………….. [1]*** को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

व्यय	*आय (जिसमें से वर्ष के दौरान डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किया गया उपबंध और अन्य सामान्य या आवश्यक उपबंध घटाइए)
निक्षेपों, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज	ब्याज और मिति काटा,
वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि [2]***	कमीशन, विनियम और दलाली भाटक [2]***
निदेशकों और स्थानीय समिति के सदस्यों की फीसें और भत्ते,	विनिधानों, स्वर्ण और चांदी, भूमि, परिसर और अन्य आस्तियों के विक्रय पर शुद्ध लाभ (जो आरक्षितियों में या किसी विशिष्ट निधि या
भाटक, कर, बीमा, रोशनी आदि	
विधि प्रभार	खाते में जमा नहीं किया गया है)
डाक महसूल, तार और स्टांप	विनिधानों, स्वर्ण और चांदी, भूमि, परिसर और अन्य आस्तियों के
लेखापरीक्षकों की फीसें	पुनर्मुल्यांकन पर शुद्ध लाभ (जो आरक्षितियों में या किसी विशिष्टि
बैंककारी कंपनी की संपत्ति मद्धे अवक्षयण और उसकी मरम्मतें	निधि या खाते में जमा नहीं किया गया है)
बैंककारी सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि	गैर बैंककारी आस्तियों से आय और ऐसी आस्तियों के विक्रय या उनमें किए गए व्यवहार में हुआ लाभ ।
गैर बैंककारी आस्तियों के विक्रय या उनमें किए गए व्यवहार में हुए हानि	अन्य प्राप्तियां
अन्य व्यय	निधि या खाते में जमा नहीं किया गया है)
लाभ का अतिशेष	**हानि (यदि कोई हो)**
जोड़	जोड़

* विनिधानों, स्वर्ण या चांदी, भूमि, परिसर और अन्य आस्तियों के विक्रय या पुर्नमूल्यांकन पर हुई शुद्ध हानि, यदि कोई हो, आय में से घटा दी जा सकती है ।

[3][इस प्ररूप के साथ निम्नलिखित विशिष्टियों वाला टिप्पण होगा, अर्थात् :—

प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पारिश्रमिक संबंधी विशिष्टियां जिनमें निम्नलिखित मदों में से हर एक की बाबत वर्ष भर में किए गए या उपबंधित सब संदाय पृथक्त: तथा ऐसी सब मदों का योग दर्शित होगा, अर्थात् :—

(i) वेतन,

[1] 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 11 द्वारा (30-12-1988 से) "दिसंबर" शब्द का लोप किया गया ।

[2] कतिपय शब्द अधिसूचना सं०का०आ० 3555, तारीख 17-12-1963, भारत का राजपत्र 1963, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ० 4323 द्वारा लोप किए गए ।

[3] अधिसूचना सं०का०आ० 3555, तारीख 17-12-1963, भारत का राजपत्र 1963, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ० 4323 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) भत्ते,

(iii) बैठकों संबंधी फीस,

(iv) बोनस,

(v) भविष्य-निधि, पेंशन निधि या किसी अन्य अधिवार्षिकी निधि में नियोजक के अभिदाय,

(vi) नियोजक के अभिदाय और उन पर ब्याज के अतिरिक्त उपदान या पेंशन के तौर पर या अन्यथा किए गए संदाय, और

(vii) किन्हीं अन्य फायदों या परिलब्धियों का आर्थिक मूल्य ।]

[1][चौथी अनुसूची

[धारा 45घ(2) देखिए]

ऋणियों की सूची

1. शासकीय समापक समय-समय पर ऋणियों की सूचियां उच्च न्यायालय को देगा जिनमें से प्रत्येक सूची शपथ द्वारा सत्यापित होगी ।

2. ऐसी प्रत्येक सूची में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

(क) ऋणियों के नाम और पते,

(ख) प्रत्येक ऋणी द्वारा बैंककारी कंपनी को देय ऋण की रकम,

(ग) यदि कोई ब्याज हो तो उसकी दर, तथा वह तारीख जिस तक प्रत्येक ऋणी के मामले में ब्याज परिकलित किया गया है,

(घ) प्रत्येक ऋण संबंधी कागजपत्रों, लेखों और दस्तावेजों का, यदि कोई हों, वर्णन,

(ङ) प्रत्येक ऋणी के विरुद्ध दावा किया गया या किए गए अनुतोष ।

3. (क) प्रत्येक ऐसी सूची में शासकीय समापक उन ऋणों के, जिनके लिए बैंककारी कंपनी वैयक्तिक प्रतिभूति से भिन्न कोई प्रतिभूति धारण किए हुए है और उन ऋणों के, जिनके लिए कोई भी प्रतिभूति नहीं दी गई है या केवल वैयक्तिक प्रतिभूति दी गई है, बीच भेद करेगा,

(ख) प्रतिभूत ऋणों की दशा में उन प्रतिभूतियों की विशिष्टियां जिनका दावा बैंककारी कंपनी करती है और जहां कहीं संभव हो उनका प्राक्कलित मूल्य तथा यदि उन प्रतिभूतियों में या उनके मोचन के अधिकार में हित रखने वाला कोई व्यक्ति है या हित रखने वाले कोई व्यक्ति हैं तो उनके नाम और पते,

(ग) यदि ऋण के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रत्याभूति दी गई है तो प्रत्याभूतिदाता या प्रत्याभूतिदाताओं के नाम और पते तथा जिस परिमाण तक वह ऋण प्रत्याभूत है उसकी विशिष्टियां तथा ऐसी प्रत्याभूति का समर्थन करने वाली दस्तावेजों, कागजपत्रों और लेखों का वर्णन ।

4. यदि ऋणी किसी ऐसी सूची में सम्मिलित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उस सूची के स्थिर किए जाने से पूर्व दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है, तो उसकी संपदा के, यथास्थिति, समनुदेशिती या रिसीवर का नाम और पता उस सूची में कथित किया जाना या जोड़ दिया जाना चाहिए ।

5. यदि मूल ऋणी किसी ऐसी सूची में सम्मिलित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उस सूची के स्थिर किए जाने के पूर्व मर जाता है, तो उसके स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के नाम और पते रखे जाएंगे जहां तक कि उन्हें शासकीय समापक अभिनिश्चित कर सकता है ।]

[2][पांचवी अनुसूची

(धारा 36कछ देखिए)

प्रतिकर के सिद्धांत

1. धारा 36कछ के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम इस अनुसूची के भाग 1 के उपबंधों के अनुसार संगणित अर्जित बैंक की नियत दिन के ठीक पूर्व की आस्तियों के मूल्य के बराबर होगी जैसी कि वह इस अनुसूची के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार संगणित उसके दायित्वों की कुल रकम को घटाकर आए ।

---

[1] 1953 के अधिनियम सं० 52 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1968 के अधिनियम सं० 58 की धारा 22 द्वारा (1-2-1969 से) अंत:स्थापित ।

भाग 1—आस्तियां

इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आस्तियों" से निम्नलिखित का योग अभिप्रेत है :—

(क) अपने हाथ में तथा रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में नकद रकम (जिसके अंतर्गत विदेशी करेंसी नोट होंगे जिन्हें बाजार की विनिमय दर पर संपरिवर्तित किया जाएगा);

(ख) किसी बैंक में अतिशेषों की रकम, चाहे निक्षेप के रूप में या चालू खाते में हों, तथा मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि, भारत के बाहर धारित अतिशेष जिन्हें बाजार की विनिमय दर पर संपरिवर्तित किया जाएगा;

परन्तु जो अतिशेष पूर्णत: वसूली योग्य नहीं हैं उनकी बाबत यह समझा जाएगा कि वे ऋण हैं और उनका तद्नुकुल मूल्यांकन किया जाएगा;

(ग) संबंधित बैंक द्वारा धारित किन्हीं प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों, बंधपत्रों और अन्य विनिधानों का बाजार मूल्य जैसा कि वह नियत दिन से ठीक पूर्व के दिन है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) केंद्रीय और राज्य सरकारों की [उन प्रतिभूतियों से भिन्न जो इस स्पष्टीकरण के उपखंड (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट हैं,] प्रतिभूतियों का मूल्याकंन, जो नियत दिन से पांच वर्ष के अंदर मोचन के लिए परिपक्व हो जाती हैं, उनके अंकित मूल्य या बाजार मूल्य के, इनमें से जो भी अधिक हों, उसके अनुसार किया जाएगा;

(ii) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का, जैसे डाकघर प्रमाणपत्र और खजाना बचत जमा पत्र तथा केंद्रीय सरकार की छोटी बचत योजना के अधीन निर्गमित या निर्गमित की जाने वाली किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य अथवा नियत दिन के ठीक पूर्व के दिन उनके बाजार मूल्य के नकदी में मिल सकने वाले मूल्य के, इनमें से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार किया जाएगा;

(iii) जहां किसी ऐसी सरकारी प्रतिभूति का, जैसे जमींदारी उन्मूलन बंधपत्र या वैसी ही अन्य प्रतिभूति का, जिसकी बाबत मूलधन किस्तों में देय है, बाजार मूल्य अभिनिश्चेय नहीं है या किसी कारणवश उसका समुचित मूल्य प्रतिदर्शित करने वाला नहीं समझा जाता या अन्यथा समुचित नहीं समझा जाता, वहां ऐसी प्रतिभूति का मूल्य इतनी रकम लगाया जाएगा जितनी संदेय बाकी मूलधन और ब्याज की किस्तों का तथा उस अवधि का, जिसके दौरान ऐसी किस्त देय है, तथा वैसी ही या लगभग वैसी ही परिपक्वता वाली सरकार द्वारा निर्गमित किसी ऐसी प्रतिभूति से, जिससे वह प्रतिभूति संबंधित हो, प्राप्ति का तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए उचित समझी जाती है;

(iv) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य इस कारण उचित नहीं समझा जाता कि वह असामान्य बातों से प्रभावित हुआ है, वहां विनिधान का मूल्यांकन किसी युक्तियुक्त अवधि के दौरान उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जा सकेगा;

(v) जहां किसी प्रतिभूति, डिबेंचर, शेयर बंधपत्र या अन्य विनिधान का बाजार मूल्य अभिनिश्चेय नहीं है, वहां केवल ऐसा मूल्य, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाएगा जो उसे निर्गमित करने वाले समुत्थान की वित्तीय स्थिति का, पूर्वगामी पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा दिए गए लाभांश का तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, उचित समझा जाता है;

(घ) अग्रिम धनों की (जिनके अंतर्गत उधार, नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट खरीदे गए और मिति काटे पर दिए गए विनिमय पत्र भी हैं) रकम तथा चाहे प्रतिभूत या अप्रतिभूत अन्य ऋण जहां तक कि वे प्रतिभूत के, यदि कोई हो, मूल्य को, खाते में किए गए लेन-देन, उधार लेने वाले को ज्ञात साख और प्रतिष्ठा को, वसूली की संभावनाओं को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए वसूली योग्य समझे जाते हैं;

(ङ) किसी भूमि या भवनों का मूल्य;

(च) सब पट्टाधृत संपत्तियों की बाबत दिए गए प्रीमियमों की कुल रकम जैसी कि वह प्रत्येक ऐसे प्रीमियम की दशा में इतनी रकम को घटा कर आए जितनी का ऐसे प्रीमियम से वही अनुपात है, जो उस पट्टे की समाप्त अवधि का, जिसकी बाबत कि ऐसा प्रीमियम दिया गया है, पट्टे की कुल अवधि से है;

(छ) सब फर्नीचर, फिक्सचरों और फिटिंगों का बहियों के अनुसार अपलिखित मूल्य या वसूली योग्य मूल्य, इनमें से जो भी उचित समझा जाए;

(ज) बैंक की बहियों में दी हुई अन्य आस्तियों का बाजार या वसूली योग्य मूल्य, जो भी समुचित हो, जबकि शेयर विक्रय, कमीशन, संगठन-व्यय और दलाली, उपगत हानियों और इसी प्रकार की अन्य मदों जैसे पूंजीकृत व्यय के लिए कोई मूल्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

भाग 2—दायित्व

इस भाग के प्रयोजनों के लिए, "दायित्व" से, उन सब बाहरी दायित्वों की, जो नियत दिन को विद्यमान हैं, और उन सब समाश्रित दायित्वों की, जिनकी बाबत केंद्रीय सरकार या अंतिरिती बैंक से उचित रूप से यह अपेक्षा की जा सकती है कि नियत दिन को या उसके पश्चात् उनकी पूर्ति उन्हीं के स्रोतों से की जाएगी, कुल रकम अभिप्रेत है और जहां अर्जित बैंक भारत से बाहर निगमित कोई बैंककारी कंपनी है वहां उस अर्जित बैंक के भारत के कार्यालयों और शाखाओं के भारत के बाहर उसके कार्यालयों और शाखाओं के प्रति दायित्व इसके अंतर्गत हैं।

2. यदि अर्जित बैंक भारत में निगमित नहीं है तो, यथास्थिति, बैंक की आस्तियां या दायित्व भाग 1 और भाग 2 के प्रयोजनों के लिए तथा उनके अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत में स्थित बैंक के कार्यालयों की आस्तियां और दायित्व होंगे।

शेयरधारकों को देय प्रतिकर

3. अर्जित बैंक के प्रत्येक शेयरधारक को, जिसे प्रतिकर संदेय है, प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दी जाएगी जिसका पैरा 1 के उपबंधों के अनुसार परिकलित कुल प्रतिकर से वही अनुपात है जो उस शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की समादत्त पूंजी की रकम का अर्जित बैंक की कुल समादत्त पूंजी से है।

कतिपय लाभांशों का हिसाब में न लिया जाना

4. नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती ऐसी किसी अवधि की बाबत किन्हीं लाभों या किसी लाभांश के लिए कोई पृथक् प्रतिकर संदेय न होगा जिस अवधि के लिए लाभों का अंतरण या लाभांश की घोषणा सामान्य अनुक्रम में नियत दिन के पश्चात् की गई होती।

उपाबंध

बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 95)

[28 दिसंबर, 1956]

**बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 का और
संशोधन करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित हो : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1956 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2 से 13. [बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 में संशोधन ।]— पुन: मुद्रित नहीं करवाए गए।

14. अन्य प्रकीर्ण संशोधन— मूल अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाएगा :

परन्तु मूल अधिनियम की धारा 2 और भाग 3 और भाग 3क में अंतर्विष्ट धाराओं से संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन ऐसी बैंककारी कंपनी को लागू नहीं होंगे जिसका परिसमापन 1 अप्रैल, 1956 के पहले आरंभ हो गया था और मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी बैंककारी कंपनी को ऐसे लागू होंगे मानो पूर्वोक्त संशोधन किए ही न गए हों।

अनुसूची

(धारा 14 देखिए)

[बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 में अन्य प्रकीर्ण संशोधन]—पुन: मुद्रित नहीं करवाए गए ।

बैंककारी कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 37)

[19 सितंबर, 1960]

बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 का और
संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित हो : —

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1960 है ।

2 से 9. [बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 में संशोधन ।]—पुन: मुद्रित नहीं करवाए गए ।

10. कतिपय परिसमापन संबंधी कार्यवाहियों का मूल उपबंधों द्वारा शामिल होना—मूल अधिनियम में धारा 3 और धारा 4 द्वारा किए गए संशोधन किसी ऐसी बैंककारी कंपनी के परिसमापन को और के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले ऐसे परिसमापन के अनुक्रम में किसी प्रारंभिक लाभांश का संदाय कर दिया गया है, किंतु मूल अधिनियम के उपबंध, जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थे, ऐसे परिसमापन को और के संबंध में लागू होंगे ।

———